बुधवार,
१७ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १७ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन [हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल

*१०७८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल ने टाइप की जो परीक्षायें ली थीं उन में कितने उम्मीदवार बैठे थे;

(ख) कितने उम्मीदवार सफल घोषित किये गये; तथा

(ग) केन्द्रीय सेवाओं में कितने उम्मीदवार ले लिये गये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३,४९३ ।

(ख) ८९४ ।

(ग) ६१३ ।

मैं यह भी बता दूं कि उन ६१३ उम्मीदवारों के अतिरिक्त, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के विभागों में नौकरी मिल गई है, १९५३ में ९ उम्मीदवारों को राज्य सरकार के विभागों

में तथा १५ को निजी उद्योगों में रखा गया। इस प्रकार उन ८९४ उम्मीदवारों में से, जो १९५३ में सफल घोषित किये गये थे ६३७ को दिल्ली के प्रादेशिक नौकरी दफ्तर ने दिसम्बर १९५३ के अन्त में व्यवसाय दिलाया । सफल उम्मीदवारों में २२० दिल्ली दफ्तर के चालू रजिस्टर पर थे तथा काम चाहते थे । यह समझा जाता है कि शेष ३ को स्वयं अपने प्रयत्नों से ही काम मिल गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस पर प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली गई परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये ये परीक्षार्थी नौकरी दफ्तर के द्वारा गये थे, अथवा सीधे सम्मिलित हो सके थे ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्हें नौकरी दफ्तर के द्वारा आना पड़ता है ।

सरदार हुक्म सिंह : परीक्षा देने तथा निर्धारित स्तर तक न होने की घोषणा होने के उपरान्त क्या उन्हें रजिस्टर पर रखा जाता है या उनका नाम काट दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : वे अब भी वहीं हैं, जब तक कि उन्हें काम नहीं मिलता है । दो मास में एक बार उन्ह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह प्रशिक्षण स्कूल प्रशिक्षण की भी सुविधाएं देता है, या केवल परीक्षण ही लेता है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रशिक्षण के लिये सुविधायें हैं ।

श्री वीरस्वामी : टाइप की इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुये तथा कितने उम्मीदवार सफल हुये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने उम्मीदवारों को काम मिल चुका है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

वन गवेषणा संस्था देहरादून

*१०७९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार खाद्य तथा कृषि संस्था के काष्ठकर्म विशेषज्ञ के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही कर रही है जो उसने देहरादून में वन गवेषणा संस्था के दौरे के बाद दिया था और जिसमें उसने कहा था कि कुछ हज़ार रुपये की मलीनों और कर्मचारियों के न होने के कारण संस्था में उसका काम योजना के अनुसार नहीं चल रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के छटे प्रतिवेदन के पृष्ठ १५, कण्डिका २० में दी गई सिफ़ारिश को जब तक लागू किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) आवश्यक सामग्री का बहुत कुछ भाग प्राप्त किया जा चुका है तथ अवशेष सामग्री की आवश्यकता होने पर उसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खाद्य तथा कृषि संस्था के विशेषज्ञ का १६ अक्तूबर १९५३ को अचानक ही स्वर्गवास हो गया तथा वह कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सका ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह कब तक पूर्ण होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें कोई अधिक कठिनाई नहीं है । अब यह लगभग पूर्ण हो चुका है; प्रारम्भिक काम पूर्ण हो गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न की मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

*१०८०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने उनके मंत्रालय के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की किन किन सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है;

(ख) सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इन सिफारिशों पर सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम सिफारिशों को बहुत शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे—मैं उनका निर्देश कर रहा हूं जो हमारे मंत्रालय न स्वीकार कर ली हैं ।

बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां

*१०८१. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ के अन्त में ऐसी रेलवे लाइनों की कुछ लम्बाई कितनी थी जिन पर बिजली से रेलगाड़ियां चलती थीं, और उनके इंजनों और डिब्बों की संख्या कितनी थी ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३**]

सेठ गोविन्द दास: क्या इन दो वर्षों में इन रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा यह ज्यों की त्यों हैं ?

श्री अलगेशन: रेलगाड़ियों की संख्या १—मेरे पास सूचना नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: मैं लाइनों की मीलों में लम्बाई तथा रेलगाड़ियों की संख्या के विषय में जानना चाहता हूं ?

श्री अलगेशन: लाइनों की मीलों लम्बाई में कोई बृद्धि नहीं हुई है ।

सेठ गोविन्द दास: जल-विद्युत की ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जो पूर्ण हो रही हैं और शीघ्र ही कार्ययोग्य हो जायेंगी । क्या कोई ऐसी योजना है कि जल-विद्युत की इन योजनाओं के पूर्ण होते ही बहुत सी लाइनों पर बिजली से चलने वाली और अधिक गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

श्री अलगेशन: जहां तक कलकत्ता विद्युतीकरण का संबंध है, जैसा कि पिछली बार सदन में कहा गया था, हम दामोदर घाटी निगम से पत्र व्यवहार कर रहे हैं ।

हावड़ा के समीप रेल दुर्घटना

***१०८२. सरदार ए० एस० सहगल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी १९५४ को हावड़ा में तिकपारा रेलवे यार्ड के समीप एक रिक्त रेक तथा कोयला से भरी एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई ;

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ग) कितने कमचारियों को गहरी चोटें लगीं तथा कितनों की मत्यु हुई ; तथा

(घ) इस दुर्घटना के कारण कितनी आने वाली गाड़ियां रोकी गईं ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां । १ जनवरी १९५४ को रात्रि को ८ बजकर ५ मिनट पर जब कि जाने वाली माल गाड़ी संख्या १०८, जो कोयला से भरी थी, हावड़ा सोर्टिंग यार्ड से डाउन गुड्स लाइन की ओर जा रही थी, हावड़ा स्टेशन से आती हुई ३१४ जाने वाली यात्रीगाड़ी का रिक्त रेक कोयला भार से टकरा गया ।

(ख) जाने वाली रिक्त रेक संख्या ३१४ का ड्राइवर खतरे के सिगनलों को पार कर गया था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई ।

(ग) मृत्यु किसी की नहीं हुई । पांच रेलव कर्मचारियों को छोटी छोटी तथा अन्य दो रेलवे कर्मचारियों को गहरी चोटें आईं ।

(घ) १-१-१९५४ को आने वाली पांच रेलगाड़ियां तथा २-१-१९५४ को आने वाली ३१ रेलगाड़ियां रोकी गईं । १-१-१९५४ को हावड़ा से सन्तरागाची को सीधी आने वाली ६ रेलगाड़ियां रद्द की गईं ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि बुरे लोहपथ दुर्घटना के कारणों में से एक है ?

श्री अलगेशन: जांच पड़ताल यह नहीं बताती है ।

चीनी को बिक्री के लिये मुक्त करना

***१०८३. श्री झूलन सिन्हा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कारखानों की चीनी को बिक्री के लिय मुक्त करने

पर से समस्त प्रतिबन्धों को हाल में ही हटा लिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही से उपभोक्ताओं को कोई सहारा मिला है या मिलने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या आजकल भी दिल्ली के बाजार में चीनी का मूल्य ३३ रु० २ आने से ३४ रु० ६ आने तक प्रति मन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है कि कुछ स्थानों में ये मूल्य हों क्योंकि आयात की गई चीनी के अतिरिक्त और किसी के मूल्य पर नियन्त्रण नहीं है । आयात की गई चीनी निश्चित मूल्य पर बेचने के लिये कुछ व्यापारियों को दी जाती है । किन्तु शेष चीनी के मूल्य पर नियन्त्रण नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : चीनी के मूल्य के मामले में उपभोक्ता को सहारा देने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसी कारण से मैंने प्रश्न के प्रथम खण्ड का नाकारात्मक उत्तर दिया था । सरकार न यह अधिकार अपने पास रखा है कि वह बाज़ार में किसी भी विशेष मूल्य पर चीनी बेचने के लिये चीनी के उत्पादन का एक चौथाई भाग प्राप्त कर सकती है । जब कभी हमें यह महसूस होता है कि मूल्य में असाधारण वृद्धि हो गई है, तो मह अर्जित चीनी को बिक्री के लिये मुक्त करते हैं ।

श्री शंकरपांडयन् : क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण भारत के चीनी मिलों से हाल में ही कहा है कि वे ६ मई तक अपनी मुक्त की गई चीनी को बेच दें अन्यथा उनकी मुक्ति रद्द करदी जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने दक्षिणी भारत के चीनी मिलों का कोई पत्र नहीं देखा है ।

श्री विभूति मिश्र : इम्पोर्टेड शुगर सरकार किस रेट से बेचती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अग्रेतर प्रश्न ले रहा हूं ।

बाल-पक्षाघात

***१०८४. श्री एस० एन० दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) १९५१, १९५२ और १९५३ वर्षों में विभिन्न राज्यों में बाल-पक्षाघात (पोलियो) के मामलों की कुल-संख्या ;

(ख) इस काल में इस रोग से होने वाली मृत्युओं की कुल संख्या ;

(ग) क्या विश्व-स्वास्थ्य-संघ के दल की सिफ़ारिशों को मंजूर किया गया है और उनको कार्यान्वित किया गया है; तथा

(घ) यदि किया गया है, तो क्या नतीजा निकला ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ) विश्व स्वास्थ्य संघ के दल की सिफारिशों की दृष्टि में के० ई० एम० अस्पताल, बंबई में एक शरीर-चिकित्सा (फिजियोथेरैपी) प्रशिक्षण केन्द्र तथा विद्यालय स्थापित किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : चूंकि यह नया रोग है, इसलिए मैं जान सकता हूं कि सरकार को इसके फैलने की सूचना मिली है या रुक जाने की?

श्रीमती चन्द्रशेखर: रोग का फैलना रोकने के लिए प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही करने के लिए ही बंबई में यह संस्था स्थापित की गई है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संघ ने जन और धन के रूप में इसके लिए कितनी सहायता दी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: विश्व स्वास्थ्य संघ ने हमें सामग्री के लिए ५,००० अमरीकी डालर और दो व्यक्ति दिए हैं ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के किसी डाक्टर ने इस रोग के कारण का पता लगाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य देशों को कुछ डाक्टर भेजेगी, जहां इस विषय में खोज हो रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैं जानती हूं कि इस बीमारी के संबंध में खोज हो रहीं है ।

जहाज से कम अनाज उतरना

***१०८६. श्री दाभी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९४९-५० तथा १९५०-५१ वर्षों में जहाज से कम अनाज उतरने के कारण सरकार को २२५ लाख रुपयों का घाटा हुआ था ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो इसके कारण;

(ग) इस घाटे के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ; तथा

(घ) क्या घाटा जहाज मालिकों से वसूल किया जाएगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) हां ।

(ख) तथा (ग) ये घाटे यात्रा में भाप बनकर उड़ने के प्राकृतिक कारण से तथा जहाज लादने और उतारने के बंदरगाहों पर तौलने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के कारण हुए हैं, अर्थात् लादने के बंदरगाह पर मशीनों से तुलाई की जाती है और उतारने के बंदरगाह पर लट्ठे की तराजू या तोलने वाले पुलों की सहायता से तुलाई की जाती है ।

(घ) हां, जिस सीमा तक माल लदवाने और लादने वाले पक्षों के बीच हुए समझौते के और निर्यातक देशों में प्रवर्तित समुद्र द्वारा माल वहन के अधिनियम के उपबंधों के अधीन दावा किया जा सकता है ।

श्री दाभी: क्या प्राक्कलन समिति ने बताया है कि माल कम उतरने से होने वाले घाटों के लिए दावे करने की वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है, और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस विषय में कुछ कार्रवाई कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: दुर्भाग्य से, यद्यपि प्राक्कलन समिति ने यह बात कही है, परन्तु हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, विधियों और व्यवहारों से परिचालित होता है। भाप बनकल उड़ने आदि प्राकृतिक कारणों से होने वाले घाटों की पूर्ति कोई भी जहाज-कम्पनी नहीं कर सकती । हम ऐसी कम्पनी खोज रहे हैं, जो इन घाटों की पूर्ति कर सके, पर अब तक कोई कम्पनी इसके लिए सहमत नहीं हुई है ।

श्री टी० एन० सिंह: अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन सूखने आदि के लिए सामान्यतः कितना घाटा क्षम्य माना जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यही सोचकर हमने इंगलैंड की सरकार को लिखा था, क्योंकि वह उसी स्थान से आयात करने वाले

प्रमुख देशों में से एक है। इंगलैंड की सरकार ने हमें लिखा है कि घाटे का प्रतिशतक तीन से अधिक होने पर ही वह दावा करते हैं, और हमें ०·६ प्रतिशत का ही घाटा हुआ है।

कुंभ मेला

*१०८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुंभ मेले के समय भारत के विभिन्न भागों से इलाहाबाद तक की यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या; तथा

(ख) इस संबंध में रेल-विभाग को हुई कुल आय ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २० फरवरी, १९५४ तक समाप्त होने वाले समय के संबंध में प्राप्त विवरणों के आधार पर कुंभ-क्षेत्र को जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या १५,०४,७७२ थी और कुंभ-क्षेत्र से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या १५,८८,०७३ थी :

(ख) अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : रेलवे विभाग द्वारा अतिरिक्त और विशेष गाड़ियां चलाने में और कुंभ मेले के संबंध में अन्य व्यवस्था करने में क्या व्यय किया गया था ?

श्री अलगेशन : अन्य व्यवस्था करने । ल लागत लगभग ४५ लाख रुपए है। अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की लागत मैं नहीं बता सकता।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कुंभ मेले के समय भारी भीड़ के कारण गाड़ियों में चढ़ने-उतरने में कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, गाड़ी की छत पर चलने के कारण कुछ लोगों की मृत्युओं का पता चला है। संख्या मुझे विदित नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : बिना टिकट यात्रियों की कुल संख्या कितनी थी ?

श्री अलगेशन : इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि मेले में भारी भीड़ के कारण २ और ३ फरवरी को कई सवारी गाड़ियां इलाहाबाद नहीं आने दी गयीं थीं, और यदि ऐसी बात है, तो इन तिथियों में मेले में न आ सकने वाले यात्रियों की संख्या क्या है ?

श्री अलगेशन : यह बताना कुछ मुश्किल है। यह सच है कि ३ अगस्त को कुंभ-क्षेत्र में होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण बहुत सी गाड़ियों का आना रोक दिया गया था। मैं उन यात्रियों की संख्या नहीं बता सकता, जिनको इलाहाबाद आने से रोक दिया गया था।

बीज के आलू

*१०८८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने शीतल-भंडार में बीज के आलुओं के रखने और वितरण के लिए किसी राज्य सरकार को कुछ सहायता दी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : किसी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। आलुओं के विकास और उसकी व्यावहारिक खोज की सहयोजित योजनाओं के अधीन आलू पैदा करने वाले राज्यों को बहुगुणन (मल्टीप्लिकेशन) केन्द्रों की स्थापना के रूप में प्राविधिक सहायता दी गई है।

श्री एन० एम० लिंगम्: पंचवर्षीय योजना के अनुसार ४० लाख मन बीज के आलू पैदा करने के लक्ष्यबिंदु तक पहुंचने में सरकार ने कितनी प्रगति की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: उत्पादन के वास्तविक आंकड़े मुझे विदित नहीं हैं, पर जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक समझी जा रही है ।

रायगढ़ रेलवे उपनगर

***१०९०. श्री संगण्णा:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कोरापुट जिला (उड़ीसा) में स्थित रायगढ़ रेलवे उपनगर के विद्युत्करण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि कर रही है, तो यह मामला अब किस स्थिति में है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संगण्णा: मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री अलगेशन: स्थानीय अधिकारी उपनगर के विद्युत्करण के लिए एक स्थानीय चीनी मिल से बिजली प्राप्त करने के लिए बातचीत चला रहे हैं । हम इसके प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री संगण्णा: इस तथ्य की दृष्टि में कि मचकुंड परियोजना से बिजली मिल जाएगी क्या वहां से बिजली लेने में बचत न होगी ?

श्री अलगेशन: मैं इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहूंगा ।

ऋतु विज्ञान विभाग

***१०९१. श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में प्रति वर्ष, अंडमान द्वीप-समूहों में भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग द्वारा कितनी धरातल वेधशालाएँ स्थापित की गयी हैं ;

(ख) वे किन किन स्थानों पर स्थित की गयी हैं ;

(ग) इन दो वर्षों में उक्त केन्द्रों से बवंडरों के बनने सम्बन्धी कितनी लाभदायक सूचनाएँ दी गयीं ;

(घ) क्या इस प्रकार की एक सूचना उस समय दी गयी थी जब कि संसद के कुछ सदस्य अंडमान तथा नीकोबार द्वीपों को देख कर पोत द्वारा वापस लौट रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो उस बवंडर का किस प्रकार परिहार किया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) सन् १९५२ में ६ और १९५३ में कोई नहीं ।

(ख) कार नीकोबार, कोंडुल, लौंग द्वीप, मायाबन्दर, नानकोवरी तथा टेबिल द्वीप ।

(ग) अंधड़ों आदि के सम्बन्ध में ये वेधशालाएँ खुद कोई चेतावनी नहीं देतीं । वे अपनी सूचना पोर्ट ब्लेयर द्वारा कलकत्ते में अलीपुर के फोरकास्टिंग कार्यालय को देती हैं । चेतावनी अलीपुर के फोरकास्टिंग कार्यालय द्वारा जारी की जाती है । इन वेधशालाओं से तथा पोर्ट ब्लेयर और बंगाल की खाड़ी के जहाज़ों से प्राप्त ऋतु सम्बन्धी सूचनाओं के आधार पर अलीपुर के फोरकास्टिंग कार्यालय ने बंगाल की खाड़ी में सन् १९५२ में ९ तथा १९५३ में ७ बवंडरों के बारे में मालूम किया ।

(घ) और (ङ). जी हां, २८ जनवरी, १९५३ को प्रातः तड़के, अर्थात् संसद के सदस्यों के अंडमान द्वीपों से वापस रवाना होने के एक दिन बाद, दक्षिणी अंडमान समुद्र में कार नीकोबार से २०० मील पूर्व एक बवंडर बना था। यह बवंडर पहले पच्छिम की ओर अग्रसर हुआ, तब उत्तर पश्चिम की ओर अंत में २९-१-५३ को उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ा तथा रंगून और मोलमीन के बीच ३०-१-५३ को बर्मा तट को पार किया। इस बवंडर के सम्बन्ध में फोरकास्टिंग कार्यालय, अलीपुर द्वारा २८-१-५३ तथा ३०-१-५३ के मध्य चेतावनियां जारी की गयी थीं। किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि उस जहाज़ के कप्तान द्वारा इस बवंडर का परिहार करने के लिए क्या पग उठाये गये जिसमें कि संसद के सदस्य सफर कर रहे थे

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने लिटिल द्वीप में एक केन्द्र की स्थापना का विचार किया था और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह सन् १९५३ में क्यों नहीं स्थापित किया गया था ?

श्री राज बहादुर: जैसा मैंने बतलाया, हमारे पास ६ वेधशालाएँ हैं जो केवल धरातल वेधशाला हैं। इनके अतिरिक्त एक वेधशाला पोर्ट ब्लेयर में है जो पांच संतहों तीन ऊपरी हवा और एक ऊपरी वायु-उष्णता की जांच की जाती है तथा सूचना दी जाती है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से एक केन्द्र रेडियो-सोंडे केन्द्र भी है जो वातावरण की उष्णता तथा नमी की जांच करता है ?

श्री राज बहादुर: जी हां। पोर्ट ब्लेयर केन्द्र में रेडियो सोंडे यंत्र का उपयोग किया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां भारत में—मुख्य भूमि पर—स्थित केन्द्रों से सूचना मिलती है ?

श्री राज बहादुर: धरातल वेधशालाएं उन में से छः—प्रतिदिन दो बार देखा करती हैं तथा परिणामों को पोर्ट ब्लेयर वेधशाला को भेज देती है और पोर्ट ब्लेयर वेधशाला अलीपुर फोरकास्टिंग वेधशाला को सूचित करता है जो इन समस्त सूचनाओं को संकलित तथा समन्वयित करती है तथा उन्हें मौसमी पूर्वसूचना के रूप में प्रसारित करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की पारिषद्यतायें

*१०९४. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ पारिषद्यता योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं ; और

(ख) उन्होंने प्रशिक्षण का क्या पाठ्यक्रम चुना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अंतर्गत कुछ अध्येताओं को भेजने की योजना थी, और यदि हां, तो यह क्यों त्याग दी गयी ?

श्री अलगेशन: जी हां, श्रम मंत्रालय ने हम से इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए कुछ नाम भेजने को कहा था किन्तु बाद में उसने सोचा कि वे चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। मामला अभी इसी स्थिति पर है तथा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विमान दुर्घटनाएं

***१०९५. श्री राधा रमण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में तथा जनवरी १९५४ में कितने भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ख) ये विमान किन-किन कम्पनियों के थे ;

(ग) प्रत्येक में जन और धन की कितनी-कितनी हानि हुई; और

(घ) जांचों से दुर्घटनाओं के क्या कारण ज्ञात हुए ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २६ ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना देते हुए में एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

श्री राधा रमण : इन २६ दुर्घटनाओं में डकोटा विमान कितने थे ?

श्री राज बहादुर : ब्यौरा इस विवरण में दिया हुआ है और मैं समझता हूं कि जहां तक इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के डकोटाओं का सम्बन्ध है, उनकी संख्या दो या तीन है ।

श्री राधा रमण : क्या मुसाफिरों द्वारा किसी मुआवज़े का दावा किया गया है, और यदि हां, तो कितने मामलों में, और कुल कितनी राशि का ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे विदित है कोई मुआवज़े का दावा नहीं किया गया है और नियमों के अनुसार भी कोई मुआवज़ा देय नहीं है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे मामलों में जहां कि विमान-चालक जीवित बच गये थे तथा जांच द्वारा यह पाया गया कि दुर्घटना उनकी असावधानी के कारण हुई, क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री राज बहादुर : विवरण से माननीय सदस्य को मालूम होगा कि २६ मामलों में से, दो या तीन के अतिरिक्त, शेष सब या तो प्राइवेट विमान थे अथवा फ्लाइंग क्लब के विमान थे अथवा सामान्य प्रशिक्षण उड़ानों में संलग्न छोटे विमान थे । इसलिए इन विमान चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा । जहां तक इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के विमानों का सम्बन्ध है ९ मई को पालम पर होने वाली दुर्घटना में स्वयं विमान चालक की मृत्यु हो गई तथा नागपुर वाली दुर्घटना में चालक-दल के तीन सदस्य मर गये तथा एक विमान-चालक—श्री गारनर—अभी अस्पताल में हैं ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि मुसाफिरों के बीमे सम्बन्धी सरकारी योजना में क्या प्रगति हो चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का एक बार वह उत्तर दे चुके हैं । अगला प्रश्न ।

डाक के जाली लिफाफे

***१०९६. श्री गिडवानी :** (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल में बम्बई में पुलिस द्वारा डाकघरों के स्टाम्प-फरोशों से एक बड़ी संख्या में जाली लिफाफे पकड़े हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले में कुछ डाक-कर्मचारी भी सम्मिलित हैं ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा बम्बई में ये जाली लिफाफे कितने समय से बेचे जा रहे थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) दो आने वाले छपे ६२२ जाली लिफाफे पुलिस द्वारा बम्बई में गिरगांव तथा मुम्बादेवी के डाकघरों के स्टाम्प-फरोशों के पास से पकड़े गये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) जाली लिफाफों की बिक्री में डाकघरों के पांच स्टाम्प फरोशों के शामिल होने का संदेह किया जाता है । चूंकि मामले की अभी खोजबीन हो रही है, इसलिए यह नहीं मालूम कि कब से ये जाली लिफाफे बेचे जा रहे हैं ।

श्री गिडवानी: यह जालसाज़ी कितने समय तक नहीं पकड़ी जा सकी ?

श्री राज बहादुर: डाक-विभाग के कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उनकी ही जागरूकता के कारण यह चीज़ प्रकाश में आई । बम्बई के प्रेसीडेंसी पोस्ट मास्टर तथा उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा ही यह चीज़ मालूम की गयी थी । डाक बरतते समय उन्होंने यह बात मालूम की तथा सी० आई० डी० की सहायता से अपराधियों को तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों को पकड़ लिया ।

श्री गिडवानी: क्या मैं जान सकता हूं कि इससे सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

श्री राज बहादुर: मुम्बादेवी तथा गिरगांव डाकघरों से पुलिस द्वारा क्रमशः ४७४ तथा १०७ छपे हुए जाली लिफाफे पकड़े गये थे । इसके अतिरिक्त, मुम्बादेवी डाकघर के स्टाम्प फरोश के घर की तलाशी से ३४१ छपे हुए तथा १२ बिना छपे लिफाफे बरामद किए गये । पुलिस द्वारा अब तक पकड़े गये ६२२ छपे लिफाफों का मूल्य, २ आना प्रति लिफाफे की दर से ११५ रु० ४ आना आता है ।

श्री वल्लाथरास: यह जालसाज़ी बम्बई तक ही सीमित है अथवा अन्य राज्यों में भी पकड़ी गयी है ।

श्री राज बहादुर: यह केवल बम्बई में ही हमारी दृष्टि में आई है । यदि और कहीं भी ऐसा हो रहा है और यदि माननीय सदस्य हमें वह बतलायें तो हम उनके अनुग्रहीत होंगे ।

ईम्फाल में टेलीफोन प्रणाली

*१०९८. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ईम्फाल में टेलीफोन प्रणाली स्थापित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के पास टेलीफोन कनक्शन हैं और कितनों ने टलीफोन के लिए आवेदन किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) विचाराधीन आवेदनों की संख्या ४६

दिए गये कनक्शनों की संख्या २३

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार के पास इम्फाल में टेलीफोन प्रणाली के सुधार तथा विस्तार के लिए कोई योजना है ?

श्री राज बहादुर: हम इंफाल में छः महीनों के अन्दर नई सामग्री, अर्थात, पचास लाइनों वाला सेंट्रल बैटरी बोर्ड टेलीफोन एक्स्चेंज स्थापित करने वाले हैं और इसे सौ लाइनों तक बढ़ाने का हमारा विचार है ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या यह तथ्य है कि मनीपुर के लिए जो स्विच बोर्ड लिया गया था वह आसाम में गोलपारा को भेज दिया गया ।

श्री राज बहादुर: यह तथ्य है कि हमने इंफाल के लिए एक पचास लाइनों वाला स्विच बोर्ड लिया था किन्तु अन्य सामान तथा सामग्री वहां समय के अन्दर भेजी न जा सकने के कारण हमें वह स्विच बोर्ड ले लेना पड़ा ताकि उसमें लगी हुई पूंजी व्यर्थ न पड़ी रहे और उसका अन्यत्र उपयोग किया जाय तब तक कि सारा आवश्यक सामान मनीपुर में उपलब्ध नहीं होता है ।

श्री जयपाल सिंह: क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफ़ोन लगाने के लिए भिन्न दर रखने की दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज बहादुर: यह सुझाव हमें नहीं मिला था और न हमने अब तक इस पर विचार ही किया है । किन्तु हो सकता है कि ऐसी किसी कार्यवाही पर भारत के विभिन्न नागरिकों अथवा क्षेत्रों के बीच भेदभाव का आक्षेप लगाया जाय ।

कुम्भ मेला

***१०९९. श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेले के अवसर पर कितनी विशेष गाड़ियां चलाई गईं ?

(ख) किस रेलवे से यात्रा करने वालों की संख्या सब से अधिक थी ?

(ग) किस लाइन पर सबसे अधिक संख्या में विशेष गाड़ियां चलाई गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कुल संख्या ९८३ है जिस में बड़ी लाइन की ७३० तथा छोटी लाइन की २५३ गाड़ियां सम्मिलित है ।

(ख) तथा (ग) उत्तरी रेलवे ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह बात ठीक है कि नार्थ ईस्टर्न रेलवे पर स्पेशल ट्रेन्स की स्पीड सिर्फ ५ या ७ मील की थी ?

श्री अलगेशन: हो सकता है कि उनकी चाल धीमी थी, मुझे इसका पता नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं जान सकता हूं कि किन मार्गों पर यात्रियों को गाड़ियों के छतों पर बैठ कर प्रवास करना पड़ा ?

अध्यक्ष महोदय: मेरी राय में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद माननीय सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे ।

हिन्दी में तार

***११००. श्री आर० एन० सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले वर्ष में सरकार कितने तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): भारत सरकार की नीति यह है कि आरम्भ में हिन्दी भाषा भाषी राज्यों के जिलों के मुख्य नगरों में हिन्दी तार सेवा जारी की जाए और बाद में जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी, इसे अन्य सारे जिलों के मुख्य नगरों में जारी किया जायेगा ।

श्री आर० एन० सिंह: क्या यह स्कीम जो है वह उन कस्बों में भी लागू की जायेगी जहां पर कि तार घर हैं ?

श्री राज बहादुर: जी हां, दो प्रकार से यह लागू की जाती है । एक तो साधारण मास प्रणाली द्वारा और दूसरे फोनोकोम प्रणाली द्वारा, जिस में तार टेलीफोन के जरिये से भेजे जाते हैं ।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि उनका पहले यह विचार था कि जिन कस्बों में बहुत कम लोग अंगरेजी जानते हैं वहां पर केवल हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था

की जाय, और क्या जो समय हिन्दी में तार देने के लिए नियत किया गया है, दिल्ली वगैरह में, उसको बदलने का भी वह विचार रखते हैं ?

श्री राज बहादुर : हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिन्दी में तार की व्यवस्था का जितनी जल्दी अधिक से अधिक विस्तार हो सके उतना अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि तार अगर हिन्दी जानने वाले स्थानों से गैर हिन्दी जानने वाले स्थानों को भेजा जायगा, तो और हिन्दी जानने वाले क्षेत्रों में अंग्रेज़ी तार व्यवस्था रखना भी आवश्यक होगा।

बरारी तथा महादेवपुर घाट

***११०१. श्री झुनझुनवाला :** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा का प्रवाह बदल जाने से बरारी तथा महादेवपुर घाटों के स्थानांतर पर १९४८ से १९५३ तक हर साल कितना खर्च करना पड़ा ?

(ख) प्रत्येक वर्ष दो किनारों के बीच का न्यूनतम तथा अधिकतम अन्तर कितना होता है और तब इस पार से उस पार जाने में साधारण अवस्था की अपेक्षा कितना अधिक समय लगता है ?

(ग) इन स्थानांतरों के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के बारे में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) जी नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि जानकारी में बरारी तथा महादेवपुर घाटों के बीच चलने वाले जहाज़ दस दिन के लिए बन्द रखे गये थे और यदि हां, तो इस जहाज़ व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री एन० एम० लिंगम : हर साल घाटों का स्थानांतर करने में जो भारी खर्च होता है उसे दूर करने के लिए क्या सरकार किसी स्थायी उपाय पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : स्थिति पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। नदी का प्रवाह बदलता है और जहाज़रानी-योग्य धारा की स्थिति बदलती है और इन कारणों से इन खर्चों की आवश्यकता पड़ती है।

वेतन में महंगाई भत्ता मिलाया जाना

***११०२. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य रेलवे के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने निजाम की स्टेट रेलवे की सेवा-शर्तों के लिये विकल्प दिया था, महंगाई भत्ता समिति की सिफारिश के अनुसार, वेतन में ५० प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलाये जाने की रियायत से क्यों अलग रखा गया है ; तथा

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस विभेद के कारण रेलवे कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष फैला हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इसका कारण यह है कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने रेलवे के मिलाये जाने से पहले वाली सेवा शर्तों के अधीन रहने

की इच्छा प्रकट की थी ; इन शर्तों में महंगाई भत्ता भी आ जाता है ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुये हैं और इस मामले पर आगे विचार हो रहा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या इस विषय में फैसला हो जाने पर, यह रियायत भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : मैं पहले बता चुका हूं कि इस विषय पर अभी विचार हो रहा है और हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है । मैं बहस के समय इस बात का पूरा पूरा उत्तर दे चुका हूं ।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि इन लोगों को शामिल न करने का वास्तविक कारण क्या था क्यों कि यह सिद्धांत तो रेलवे कर्मचारियों के लिये सामान्य रूप से मान लिया गया है ?

श्री अलगेशन: इसके बारे में विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जा चुका है । कारण यह है कि उन्होंने रेलवे के मिलाये जाने से पहले वाली सेवा-शर्तों के अधीन रहने के लिये इच्छा प्रकट की थी ; यानी उन्होंने केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन श्रेणियां स्वीकार करना पसन्द नहीं किया । इसी कारण उन्हें यह रियायत नहीं मिल रही है ।

एटा को रेलवे लाइन

*११०४. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा (उत्तर प्रदेश) को मिलाने वाली रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस सिलसिले में तीन अलग अलग रास्तों का प्रारम्भिक परिमाप किया जा चुका है और उनकी रिपोर्टों पर विचार हो रहा है ।

श्री बादशाह गुप्त: क्या इस विषय में राज्य सरकार की राय भी मांगी गई थी और क्या उसने कोई सिफारिशें की हैं ?

श्री अलगेशन: हमें इस मामले में राज्य सरकार से राय लेने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त: क्या एटा जिले के विधि-जीवी संघ ने इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

श्री अलगेशन: परिमाप से पहले या बाद में ? परिमाप स्थानीय निकायों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के फलस्वरूप किया गया था ।

विभागातरिक्त डाक तार घर

*११०५. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब आगे विभागातरिक्त डाकघर खोलने का विचार नहीं रखती; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार विभागातरिक्त तारघर, टेलीफोन करने के सार्वजनिक स्थान और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

श्री भागवत झा आजाद: क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों में और खास कर थाना आफिसों में तारघर या टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किय जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: जी हां ऐसी योजना तो है कि प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर्स में और जहां तहसील नहीं है वहां थाना

हेडक्वार्टर्स में तार व्यवस्था की जाय परन्तु इसको पूरा करने में देर तो लगेगी ही ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसे बहुत से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंन्टल पोस्ट आफिसेज जो पाच सात साल तक अस्थायी रहने पर भी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं, अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : इसका कारण यह है कि वह अपना पूरा खर्चा नहीं निकाल पाते हैं । कायदा यह है कि जब तक पांच सौ रुपये से अधिक का घाटा नहीं होता तब तो उनको खोला जाता है और जब तक यह घाटा कम होकर २४० तक नहीं आ जाता है उनको स्थायी नहीं किया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकता हूं कि ऐसे भी पोस्ट आफिस हैं, जैसे कसबा दुधीचक एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंन्टल पोस्ट आफिस, जिसका खर्चा ११ रुपये रह गया है मगर उसको अभी तक पक्का नहीं किया गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य का आभारी होऊंगा यदि वह मुझे ऐसे पोस्ट-आफिसों के नाम दे सकें ।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन ने इस बात पर विचार किया है कि एक्स्ट्रा डिपार्ट-मेन्टल पोस्ट आफिसों को धीरे धीरे विभा-गीय पोस्ट आफिस कर दिया जाये, और अगर नहीं तो इसका क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : विचार ही नहीं बल्कि निरन्तर इस पर कार्य भी किया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में चावल का समाहार

*११०६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में इस समय चावल के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समा-हार-कार्य किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ हद तक कलकत्ते की जरूरतों को पूरा करने के लिये चावल का समाहार हो रहा है ; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कलकत्ते तथा औद्योगिक क्षेत्रों की सारी जरूरतों को पूरा करने का जो पहले फैसला किया था, वह अब बदल दिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार को इच्छापूर्वक जो चावल दिया जा रहा है, उसे वह खरीद रही है और समाहार का काम ठीक तरह से चल रहा है । इसमें से कुछ चावल कलकत्ते में राशन के काम में आयेगा । पश्चिमी बंगाल ने केन्द्र से चावल की मांग पहले ही कम करदी है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इसका यह अर्थ है कि अब आगे भारत सरकार कल-कत्ते को कोई चावल नहीं देगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम तो देने को तय्यार हैं परन्तु वे खरीदने के लिये तय्यार नहीं हैं । उन्होंने हम से २६०,००० टन की मांग की थी, जिसे हमने देना मंजूर कर लिया था और हम इसमें से कुछ दे भी चुके हैं । हमने उड़ीसा से उन्हें यह दिया था । उन्हें दो लाख टन का समाहार करने की आशा थी और इस वर्ष वे कम से कम ५ लाख टन की आशा कर रहे हैं । तीन महीने के अन्दर ही वे २ लाख टन का समाहार कर चुके हैं । इतना अधिक समाहार होने के कारण,

उन्हें केन्द्र से और ज्यादा चावल की ज़रूरत नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सच है कि जो व्यापारी खुले बाजार से चावल लेते थे उनसे पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कहा है कि वे यू० पी० तथा अन्य राज्यों से चावल लें ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अब तो खुला व्यापार है । चूंकि हालत सुधर गई है, इसलिये अब उन्हें इसमें भी आपत्ति नहीं हो सकती । जो व्यापारी कलकत्ते में विशेष दुकानें चलाते हैं उनसे हमने कहा था कि वह बंगाल में खरीदने के बजाय यू० पी० में खरीद सकते हैं । ऐसा तो उनसे हमने कहा था, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने नहीं ।

भोपाल में टी० बी० का अस्पताल

***११०७. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या भोपाल में टी० बी० का अस्पताल बनना शुरू हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायगा ?

(ग) उसमें कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य उपमत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) इसके मई, १९५४ में पूरा होने की आशा है ।

(ग) अस्पताल में एक सौ बत्तीस रोगियों के रहने की व्यवस्था की गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अस्पताल के रोगियों का मुफ्त इलाज किया जायेगा या उनसे कुछ पैसा भी लिया जायगा ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : उसमें लगभग १२० रोगियों को मुफ्त रहने की और १२ के पैसा देकर रहने की व्यवस्था होगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अन्य भाग 'ग' राज्यों में कोई और टी० बी० के अस्पताल हैं ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एन० एल० जोशी : अस्पताल पर कितनी लागत आयेगी और इसका भार राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी या कि केन्द्रीय सरकार ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : इस अस्पताल पर जिसमें १३२ रोगियों के रहने की व्यवस्था होगी, लगभग १०.३५ लाख रुपये की कुल अनावर्तक लागत आयेगी । आवर्तक लागत अनुमानतः १.३०२१ लाख रुपये होगी, और चूंकि वह भाग 'ग' राज्य है इस लिये खर्चे का कुछ हिस्सा केन्द्रीय सरकार उठायेगी ।

कुम्भ-सीमा-कर

***११०८. श्री एस० वी० रामस्वामी :** (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के उत्तर **प्रदेश रेल** यात्री सीमा-कर अध्यादेशों के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि जमा हुई है ?

(ख) इस कर को वसूल करने में कितना खर्च हुआ है ?

(ग) क्या इसमें से कोई राशि उत्तर प्रदेश राज्य को विनियोजित की गई है ; यदि हां, तो कितनी ?

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद २७९ के अनुसार भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा शुद्ध आगम अभिनिश्चित तथा प्रमाणित कर दिया गया है ?

(ङ) क्या सीमा-कर अब भी वसूल किया जा रहा है ?

(च) क्या सरकार का विचार सदन के सामने एक ऐसा विवरण रखने का है

जिसमें जमा की हुई राशि और उसके वितरण का ब्योरा दिया हो ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) अभी इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) सारा शुद्ध आगम उत्तर प्रदेश को विनियोजित कर दिया गया है ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) जी नहीं, कर ७-१-५४ से १५-३-५४ तक वसूल किया गया था ।

(च) जी हां, जैसे ही वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : भाग 'ग' के बारे में यह बताया गया है कि सारी राशि विनियोजित कर दी गई है । माननीय वित्त-मंत्री ने कहा कि यह शुल्क अनुच्छेद २६९ के अन्तर्गत लगाया गया था । इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को केवल शुद्ध आगम दिया जा सकता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि शुद्ध आगम कितना है ?

श्री अलगेशन : भाग (ग) का उत्तर इस प्रकार है : सारा शुद्ध आगम उत्तर प्रदेश को विनियोजित कर दिया गया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : शुद्ध आगम कितना है ?

श्री अलगेशन : इसके बारे में भी मैं कह चुका हूं कि अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

बिना टिकट यात्रा

***११०९. श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से लोग गोरख पुर, छितौनी, तुमकुही रोड और नौतनवा के बीच बिना टिकट यात्रा करते हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह तो मालूम है कि इन सेक्शनों पर बिना टिकट यात्रा की जाती है किन्तु ऐसा ज्यादातर नहीं होता है ।

(ख) बिना टिकट यात्रा रोकने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं उनमें यह भी हैं :

(१) ट्रेनों में टीटियों को रखना ।

(२) विभागीय निरीक्षकों तथा टीटियों के निरीक्षकों द्वारा अच्छी तरह जम कर जांच करना ।

(३) गश्ती दस्तों द्वारा अचानक जांच करना ।

(४) विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वारा छापे ।

श्री एच० एस० प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर रेल डिब्बों की कमी है और मुसाफिर काफी चलते हैं, इस लिये आपस में मिल कर रेलवे कर्मचारी, टी० टी० ई०, ड्राइवर और स्टेशन के कुछ स्टाफ वाले बग़ैर टिकट दिये रेल भाड़ा लेने का काम करते हैं जिसकी वजह से आप के पास ऐसी रिपोर्ट आती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि सवारी गाड़ी के डिब्बों की कमी के कारण समस्त वर्ग के रेलवे अधिकारी इस प्रकार की बिना टिकट यात्रा में सहयोग दे रहे हैं ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् ।

श्री एच० एस० प्रसाद : क्या यह मालूम है कि वहां रहने वाले बहुत से लोग हैं, सिसवा बाज़ार और अन्य बडे बडे कस्बों के, जिन्होंने

रेलवे के जनरल मैनेजर के पास इसकी काफी शिकायत भेजी है ?

श्री अलगेशन: मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विशेष रूप से शिकायत करें ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में बहुत से माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

सहकारी संस्थायें

***१११११. ठाकुर युगल किशोर सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वित के लिये सहकारी संस्थाओं की सेवाओं का लाभ उठाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या हिदायतें दी गई हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): कृषि उधार और खेती के सामान, अनाज के बेचने तथा उत्पादन, घरेलू तथा प्रोसेसिंग उद्योगों, मकान व्यवस्था, आदि के सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं के काम लेने के बारे में योजना आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि प्रान्तीय सरकारें इस पर अमल नहीं कर रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक हमारा ख्याल है काफी कोशिश हो रही है इसको अमल में लाने की ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या प्रान्तीय सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जिस वक्त यह तय किया गया था उस वक्त सारे प्रान्तों के रजिस्ट्रार हाजिर थे और उन सब ने इस को मंजूर किया था और हम समझते हैं कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इसको अमल में न लाती हो ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उनसे कोई रिपोर्ट मांगी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम रिपोर्ट मांगते हैं ।

श्री एस० एन० दास : योजना अवधि के पिछले तीन वर्षों में सहकारिता आन्दोलन ने कितना जोर पकड़ा है और क्या यह सच है कि सहकारी संस्थायें पंच वर्षीय योजना में कोई सहायता नहीं दे सकी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में मेरे माननीय सदस्य का ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है । मेरे विचार में काफी प्रगति हो चुकी है तथा अब भी आगे प्रगति करने की गुंजायश है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जितनी डेवलपमेंट कमेटियां बनती हैं उनमें कोआपरेटिव के कोई प्रतिनिधि नहीं रखे जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेम्बर साहब को कोई खास शिकायत हो तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा ।

आसाम ट्रंक रोड की लम्बाई

***१११२. श्री देवेश्वर सर्मा:** (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नुमालीगढ़ पुल और खुवांग पुल के बीच कितनी मील लम्बी आसाम ट्रंक रोड पर कोल तार डाला गया था तथा ३१ जनवरी, १९५४ तक अभी कितनी मील लम्बी सड़क पर और कोलतार डालना बकाया है ?

(ख) क्या यह सच है कि ख़राब काम होने के कारण कुछ ही महीनों में सड़क पर से कोल तार उड़ गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अब तक ६३ मील लम्बी सड़क पर कोल तार बिछाया गया है और

शेष ३६ मील लम्बी सड़क पर कोल तार बिछाने का काम जारी है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री देवेश्वर सर्मा : शेष सड़क पर कब तक कोल तार बिछ जायेगा ?

श्री अलगेशन : मई, १९५४ तक काम समाप्त हो जाने की आशा है ।

श्री देवेश्वर सर्मा : इस सड़क पर होने वाले काम की देखभाल करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

श्री अलगेशन : यह काम आसाम पी० डब्लू० डी० कर रहा है । हमारे सम्पर्क अधिकारी भी हैं ।

श्री अमजद अली : : क्या आसाम ट्रंक रोड का यह भाग राष्ट्रीय राज-पथ में आ जाता है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

चीनी की मिलें

***१११३. श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ में एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी फैक्टरियों को हटाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) दो मामलों में फैक्टरी हटाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं तथा तीसरे प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा रहा है ।

श्री विश्वनाथ राय : प्रार्थी अपनी फैक्टरियों को क्यों हटाना चाहते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: क्यों कि जहां पर वे इस समय हैं वहां उन्हे कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या उन्हे इस सम्बन्ध में पूरा विश्वास है कि नये स्थानों में उन्हें फैक्टरियों से लाभ होने लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम इस बात पर पहले ही पूरी तरह से विचार कर लेते हैं तथा मुझे विश्वास है कि नये स्थान पर वह अपनी हानि पूरी कर सकेंगे ।

श्री झुनझुनवाला : एक राज्य से दूसरे राज्य में फैक्ट्री हटाने की अनुमति देने के सम्बन्ध मे सरकार किन बातों का ध्यान रखती है और क्या सरकार इस बारे में किसी निश्चय पर पहुंची है कि चीनी उद्योग किस राज्य में विशेष रूप से प्रगति कर सकेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं है । हम प्रत्येक मामले की जांच करते हैं तथा इस बात को सुनिश्चय करते हैं कि प्रस्ताव ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सरकारी फैक्टरियां हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, वे गैर सरकारी फैक्टरियां हैं ।

श्री हेडा : कौन से राज्यों में इन फैक्टरियों को हटाया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दो प्रस्ताव थे । एक बम्बई ले जाई जायेगी और मेरे विचार में दूसरी भी उसी राज्य में ले जाई जायेगी परन्तु इसके बारे में मुझे पक्का पता नहीं है ।

प्लेटफार्मों को ऊंचा करना

***१११६. श्री विभूति मिश्र:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

स्टेशन के प्लेट फार्म को ऊंचा कर के रेल गाड़ियों के पावदान के स्तर तक लाने के सम्बन्ध में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अन्तिम लक्ष्य यही है कि महत्व-पूर्ण मेन लाइन वाले समस्त स्टेशनों के प्लेट-फार्मों का स्तर ऊंचा कर दिया जाये ।

श्री विभूति मिश्र : इस नार्थ ईस्टर्न रेलवे में बहुत से स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पर प्लेटफार्म नीचे ही हैं, तो क्या सरकार उनको जल्दी से जल्दी बनाना चाहती है ?

श्री अलगेशन : प्लेटफार्मों का ऊंचा किया जाना यात्री सुविधाओं के अन्तर्गत आता है । रेलवे न खण्ड (जोन) की सलाहकार कमेटी की राय से एक कार्यक्रम बनाया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

नार्थ ईस्टर्न रेलवे में कितने स्टेशनों के प्लेटफार्म नीचे हैं यह मैं नहीं बतला सकता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार उसको कितने दिनों में कार्यान्वित करेगी ?

श्री अलगेशन : यह काम तो चलता ही रहता है ।

हवाई मार्ग

*१११९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल का विचार इस वर्ष सुदूर पूर्व में नये हवाई मार्ग खोलने का है ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १ जुलाई, १९५४ से दो हवाई सर्विसों को जारी करने का विचार है । वे यह हैं :

(१) बम्बई–कलकत्ता–बेंगकाक–हांगकांग–टोकियो,

(२) बम्बई–कोलम्बो–सिंगापुर ।

फिर भी मार्ग और तारीख परीक्षात्मक हैं तथा बहुत कुछ उस तारीख तक प्रारम्भिक प्रबन्ध हो जाने पर निर्भर है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वर्तमान मार्गों का सर्वेक्षण कर लिया गया है या केवल इन्हीं दो मार्गों को चुन लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया इंटरनेशनल के दो अधिकारियों ने उन स्थानों का दौरा किया है जहां से होकर यह सर्विसें गुज़रेंगी । उन्होंने हवाई अड्डों पर बुकिंग आफिस आदि सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओं की जांच की और इसके बाद उक्त सिफारिशें की ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने इन दो मार्गों के अलावा भी किसी और मार्ग की सिफारिश की थी या केवल इन्हीं दो मार्गों की सिफारिश की थी तथा अन्य मार्गों को वायुयान के लिये अभी उचित नहीं समझा गया ?

श्री राज बहादुर : उपलब्ध वायुयानों को ध्यान में रखते हुये उन्होंने यही सिफारिश की है ।

श्री हेडा : क्या बम्बई–कोलम्बो-सिंगापुर रूट में बंगलौर या त्रिवेन्द्रम को स्पर्श किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : नहीं, यह वैदेशिक रूट है ।

श्री जयपाल सिंह : इन नये मार्गों पर स्काईमास्टर चलेंगे या कान्सटेलेशन्स ?

श्री राज बहादुर : हमें जो नये सुपर कान्सटेलेशन्स प्राप्त होने वाले हैं उन्हें यूरोपीय मार्गों पर चलाया जायेगा तथा जो उन मार्गों पर चल रहे हैं उन्हें इन मार्गों पर चलाया जायेगा ।

वन गवेषणा संस्था, देहरादून

*११२०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वन गवेषणा संस्था, देहरादून तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं में जो गवेषणा कार्य हुआ है उसके बारे में आंकड़े जमा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ; तथा

(ख) क्या सरकार ने प्राक्कलन कमेटी की सिफारिशों पर (जो कमेटी की छटवीं रिपोर्ट के पृष्ठ १६ का पैरा २६ पर दी गई हैं) विचार किया है और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) वन उपयोग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिशों पर विचार किया है तथा अपनी कार्यपालिका कमेटी का ध्यान विशेषरूप से इनकी कार्यान्विति की ओर आकर्षित किया है ।

कुम्भ मेला और कांग्रेस अधिवेशन

*११२१. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुम्भ मेले में जाने वालों को वापसी टिकट और अन्य सुविधायें दी गई थीं ; और

(ख) कलकत्ते में कांग्रेस आधिवेशन में सम्मिलित होने वालों को टिकट में रियायत आदि की क्या सुविधायें दी गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे को छोड़कर अन्य सभी रेलों के स्टेशनों पर यात्रियों को वापसी टिकट जारी किये गये ।

इसके अलावा कुछ नये स्टेशन तथा नये टिकट घर खोले गये । स्पेशल गाड़ियां चालू की गईं तथा वर्तमान गाड़ियों की धारिता बढ़ा दी गई । कुछ अधिक प्लेटफार्म भी बनाये गये, आदि आदि ।

(ख) किराये में कोई रियायत नहीं की गई ।

सुविधायें जो दी गई, उनमें वापसी टिकटों का जारी करना, स्पेशल गाड़ियों का चालू करना, वर्तमान सेवाओं का विस्तार गाड़ियों की धारिता बढ़ाना तथा कांग्रेस नगर में एक अस्थायी स्टेशन, जहां कि सीटें तथा बर्थ रिजर्व कराई जा सकती थीं, का खोला जाना शामिल है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पहले इस प्रकार के देश में जितने आयोजन होते थे उन में इस तरह की टिकटें दी जाती थीं, अब इन को बंद करने का क्या कारण है और क्या इस पर फिर से विचार किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं कि किसी कांग्रेस अधिवेशन अथवा पहले के किसी कुम्भ मेले के लिये रियायती टिकटें जारी की गई थीं ।

श्री अच्युतन : दक्षिण रेलवे पर यह सुविधायें क्यों न दी गईं ?

श्री अलगेशन : दक्षिण से बहुत से लोग कुम्भ मेले में शामिल नहीं हुये ।

श्री नम्बियार : उन्हें इस बात का पहले ही कैसे पता लगा ?

श्री अलगेशन : जी हां । हमें इसकी जानकारी है ।

सूखी खेती के तरीक़े

*११२२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन क्षेत्रों में सूखी खेती के तरीकों का प्रयोग हो रहा है अथवा इन्हे सफलतापूर्वक काम में लाया जा रहा है ; था

(ख) इन प्रयोगों अथवा कार्यों का परिणाम क्या निकला है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जहां तक हमें जानकारी है, सूखी खेती से सम्बन्धित गवेषणा कार्य बम्बई तथा मद्रास में किया जा रहा है । गवेषणा कार्य के परिणामों को मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, भोपाल, पंजाब, पैप्सू तथा विन्ध्य प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उपक्रम राज्यों पर छोड़ दिया गया है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार भी इसे हाथ में लेती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य तथा केन्द्र दोनों ही सरकारें इसे हाथ में लेती हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : विभिन्न राज्यों के लिये जो धन राशि मंजूर की गई थी, उस में से कितनी राशि का उन्होंने फायदा उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे अभी उनसे सूचना नहीं मिली है ।

श्री रघवाचारी : क्या ऐसा कोई साहित्य प्रकाशित किया गया है जिस में कि इन गवेषणा कार्यों का परिणाम दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां

श्री लक्ष्मय्या : क्या गवेषणा कार्य आन्ध्र राज्य में भी हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस राज्य की रचना हाल ही में हुई है । मेरा विचार है कि 'मद्रास' में शायद आन्ध्र भी शामिल है ।

फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे

*११२३. **श्री एस० एन० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ठेके की शर्तों के अन्तर्गत सरकार अब ३१-३-५८ को यह लाइन खरीदने अथवा न खरीदने का निश्चय कर सकती है । इस प्रक्रम पर इस पर विचार करना समय से पूर्व की बात होगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास उस रेलवे के वर्तमान काम के प्रबन्ध के बारे में कोई शिकायतें आई हैं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, मुझे इसकी जानकारी नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*११२४. **श्री दाभी** : क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की भ्रष्टाचार विरोधी और मदिरा निषेध की गुप्त वर्ता शाखा नें दक्षिण रेलवे के सुलेभावी स्टेशन पर रेल कर्मचारियों के एक घोटाले का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले की विस्तृत जानकारी क्या है ; और

(ग) उसका पता किस प्रकार लगाया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उल्लिखित कर्मचारियों ने ऐसे व्यक्तियों के एक दल का पता लगाया है जो रेलवे कर्मचारियों की साज़िश से मुफ्त में यात्रा करते थे ।

(ख) और (ग). बम्बई पुलिस की भ्रष्टाचार-विरोधी और मदिरा निषेध शाखा के एक सब इन्सपेक्टर ने समाचार दिया कि २२ दिसम्बर, १९५३ को बिना बुक की हुई ७ भेड़ें और ११० व्यक्ति बिना टिकट एक मालगाड़ी में मिराज से बेलगांव यात्रा कर रहे थे । इस विषय पर पुलिस तथा विभाग दोनों की ओर से जांच की जा रही है । अभी तक निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सका है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार बिना टिकट यात्रा करने के कार्य का पोषण क्या नियमित रूप से होता था ।

पंजाब में "अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें

*११२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अधीन ट्रेक्टर तथा कृषि सम्बन्धी दूसरे उपकरण खरीदने के लिये कृषकों को अग्रिम रुपया देने के लिये पंजाब सरकार को ऋण स्वरूप कितनी रकम दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : ऋण न तो मांगा गया है और न दिया गया है ।

मैं यह कह दूं कि हमारी यह सूचना सच है क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न चालू वर्ष की ओर निर्देश करता है । लेकिन जहां तक १९५४-५५ का सम्बन्ध है १५ लाख रुपये के ऋण की मांग की गई है, और उसे देने का वायदा कर लिया गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं आंकड़ों का ब्यौरा ट्रेक्टरों के लिये--और कृषि सम्बन्धी उपकरणों के लिये--जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विचार है कि यह सम्पूर्ण ऋण ट्रैक्टरों के लियें है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि यह रकम किस प्रकार वसूल की जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका निर्धारण राज्य सरकार का काम है । हम राज्य सरकार से इसे वसूल करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है कि इन ऋणों से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा अथवा क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ अनुमान लगाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इतनी गहराई में नहीं जाते । हम राज्य सरकारों को केवल अग्रिम ऋण देने की योजना स्वीकार करते हैं, ट्रैक्टरों की संख्या का उल्लेख उन्होंने किया है । सरकार और कृषकों का सम्बन्ध निर्धारित करने का काम सरकार पर है ।

गोंडल क्षेत्र के रेल कर्मचारी

*११२७. **श्री गिडवानी :** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के गोंडल क्षेत्र के पचहत्तर अस्थायी कर्मचारियों को उनकी नौकरियां समाप्त करने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार के पास इन्हें वैकल्पिक काम देने का प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन कर्मचारियों को भूतपूर्व सौराष्ट्र रेल द्वारा स्थायी आदेशों के विरुद्ध और बिना अधिकार के भर्ती किया गया था । उनमें से कुछ व्यक्तियों के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें भी नहीं थीं अथवा वे नियत आयु सीमा से अधिक थे । अपेक्षित योग्यता सम्पन्न व्यक्ति रेलवे सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे लेकिन उनमें से कुछ एक चुने नहीं गये अतः रेलवे सेवा आयोग द्वारा समुचित रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को इन रद्द होने वाले व्यक्तियों के स्थान पर रखा गया ।

(ग) जी नहीं, लेकिन इनके नामों की एक सूची रखी जायेगी और स्थान रिक्त होने पर रेलवे सेवा आयोग द्वारा इन पर विचार किये जाने का एक और अवसर मिलेगा ।

श्री गिडवानी : छंटनी से पूर्व वे कितने समय से नौकरी में थे ?

श्री अलगेशन : हमने १ अप्रैल, १९५० के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को नौकर न रखने के अनुदेश भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के जनरल मैनेजर के पास जारी कर दिये थे ; लेकिन इसके बावजूद भी वह भर्ती करता रहा और यह कर्मचारी नियमित सेवा में ले लिये गये । अनेक बार अनुदेश देने पर भी उन्होंने भर्ती करने का काम जारी रखा और १५४ व्यक्ति रख लिये गये । इन १५४ आदमियों में से ५ व्यक्तियों ने त्याग पत्र दे दिये । अतः १४९ व्यक्ति शेष रहे । इन १४९ व्यक्तियों में से ७४ व्यक्तियों की सेवाओं को सेवा अयोग ने बाद में स्वीकृत किया । इन बाकी आदमियों के बाबत ही मैंने कहा था कि उनके नामों की अलग सूची रख ली गई है तथा उन्हें बाद में रख लिया जायेगा क्योंकि न्यूनतम योग्यता की दृष्टि से सन्तोषजनक न होने के साथ साथ वे नियत आयु-सीमा से अधिक या कम आयु के थे ।

श्री गिडवानी : अधिकार के बगैर कौन व्यक्ति उन्हें लगातार नियुक्त करता रहा ?

श्री अलगेशन : सौराष्ट्र रेलवे का जनरल मैनेजर ।

श्री गिडवानी : उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

तम्बाकू

*११२८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत में कितने तम्बाकू का उत्पादन हुआ और उसका कितने प्रतिशत भाग बाहर भेजा गया ;

(ख) विदेशों में भारतीय तम्बाकू को किन देशों के तम्बाकू की प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना पड़ता है ;

(ग) संसार में तम्बाकू उगाने वालों में भारत का क्या स्थान है ; और

(घ) सरकार अच्छी किस्म का तम्बाकू उगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) पत्री वर्षों के हिसाब से फसल का उत्पादन बताना संभव नहीं है। १९५२-५३ में उत्पादित तम्बाकू की अनुमानित मात्रा ४९०६ लाख पौंड थी। सही सही यह कहना भी सम्भव नहीं है कि १९५२-५३ में उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया गया था क्योंकि किसी भी वर्ष के निर्यात में उस वर्ष के साथ बहुधा पूर्व वर्षों का उत्पादन भी सम्मिलित रहता है। इस अवधि में निर्यात तम्बाकू की मात्रा १९५२-५३ के उत्पादन का १७·४ प्रतिशत रही है।

(ख) अमरीका, कनाडा, दक्षिणी रोडेशिय, और न्यासालैण्ड अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वन्द्वी देश हैं।

(ग) तीसरा।

(घ) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम यह जान सकते हैं कि सुरती पर ड्यूटी लगाने के कारण हिन्दुस्तान पाकिस्तान और नैपाल के बाजार खो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री कासलीवाल: क्या यह सच है कि देश के भिन्न भागों में तम्बाकू का भारी स्टाक पड़ा है जिसे निर्यात नहीं किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया है और उसके निर्यात में शीघ्रता करने के उपायों के सुझाव रखे गये हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार तम्बाकू पर लगने वाली एक्साइज़ ड्यूटी को कम करना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अभिसमय

***११२९. श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार काम के घंटे तथा विश्राम-काल (सड़क परिवहन) अभिसमय, १९३९ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ६७ का चालू वर्ष में अनुसमर्थन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके कारण; तथा

(ग) क्या सरकार अभिसमय की एक प्रति को सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) अभिसमय इतने विस्तृत प्रकार का है कि इस व्यावहारिक दृष्टि से इसे निकट भविष्य में किसी सीमा तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की उचित आशा दिखाई नहीं देती है। अभिसमय सड़क यातायात में लगी मोटर गाड़ियों में सेवायुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये काम के घंटे तथा साप्ताहिक विश्राम काल निश्चित करता है जब कि भारतीय मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में केवल यातायात की मोटर गाड़ियों के चालकों (ड्राइवरों) के लिये ही काम के घंटों तथा विश्राम-काल की व्यवस्था की गई है।

(ग) अभिसमय की एक प्रति सदन पटल पर २५ नवम्बर, १९४० को रखी गई थी तथा यह सदन के पुस्तकालय में भी मिल सकती है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने जिस समय इस अभिसमय को स्वीकार किया था, उस समय सरकारी शिष्टमण्डल का रवैय्या क्या रहा था ?

श्री वी० वी० गिरि : उस समय तथा इस समय भी सरकार का रवैय्या यह है कि जहां तक इस अभिसमय का सम्बन्ध मोटर गाड़ियों से है, सरकार द्वारा इसके स्वीकृत किये जाने की प्रत्येक सम्भावना है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार यातायात व्यवस्था में सेवायुक्त समस्त कर्मचारियों को इन उपबन्धों का लाभ देने के लिये भारतीय मोटरगाड़ी अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

रेलवे के बेकार सामान का विक्रय

***११३०. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलों द्वारा बेकार टाई-बारों तथा लकड़ी के स्लीपरों का विक्रय कैसे किया जाता है ; तथा

(ख) अप्रैल, १९५२ से लेकर पूर्वी रेलवे में प्रत्येक वर्ष उन वस्तुओं की कितनी मात्रा का विक्रय किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे की आवश्यकताओं से फालतू तथा बेकार टाई-बारों का विक्रय लोह तथा इस्पात, नियंत्रक कलकत्ता द्वारा किया जाता है तथा लकड़ी के बेकार स्लीपर सार्वजनिक निविदाओं द्वारा बेचे जाते हैं ।

(ख) टाई-बार—सन् १९५२-५३ में २३,३२५ तथा सन् १९५३-५४ में अभी तक २३,१६९ ।

लकड़ी के स्लीपर—सन् १९५२-५३ में १,५४,३१४ तथा सन् १९५३-५४ में अभी तक १,५२,५९९ ।

श्री एस० सी० उान्त : क्या बेकार स्लीपर नीलाम से बेचे जाते हैं, तथा यदि हां, तो वे किस स्थान पर नीलाम होते हैं ?

श्री अलगेशन : इन्हें जनता को सार्वजनिक निविदा द्वारा दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन्हें ज़िला प्रधान-कार्यालय में एकत्र करके नीलाम किया जाता है अथवा ये उसी स्थान पर नीलाम किये जाते हैं ? जहां वे पड़े होते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं निश्चित रूप से नहीं जानता हूं । मेरा विचार है कि इन्हें सुविधायुक्त स्थानों पर एकत्र करके नीलाम कर दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन बेकार स्लीपरों की किसी मात्रा को कर्मचारियों को बिना दाम दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : कुछ स्लीपर दीवार आदि बनाने के लिये दिये जाते हैं तथा कुछ को छोटी पट्टी के स्लीपर बनाकर प्रयोग में लाया जाता है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को अधिक दरों पर भुगतान

अल्प सूचना प्रश्न ८. श्री झूलन सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्टरियों

को उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों द्वारा बेचे गये गन्ने के लिये ४ आना प्रति मन अधिक दर से मूल्य देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके कारण ;

(ग) दूसरे क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों को इस लाभ से वंचित रखने के क्या कारण हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार ने चीनी को २७ रुपये प्रति मन से अधिक दामों पर बेचने से प्राप्त होने वाले नफ़े की बांट के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (घ). एक विवरण तैयार किया गया है तथा उसे सदन पटल पर रखा जाता है, परन्तु माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। यह कोई डेढ़ पृष्ठ का है।

———

विवरण

उत्तर प्रदेश गन्ना संघों के सहकारी फैडरेशन ने मांग की थी कि गन्ने के दामों को १ रुपया १२ आना प्रति मन तक बढ़ा दिया जाना चाहिये और यदि दाम न बढ़ाये गये तो वे अपने सदस्यों को १ फ़रवरी, १९५४ से गन्ना देना बन्द करने के लिए कहेंगे। जैसे ही भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने २५ जनवरी, १९५४ को प्रकाशित एक प्रेस टिप्पणी में इस मामले सम्बन्धी अपनी नीति को स्पष्ट किया। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने गन्ने के न्यूनतम दाम ही निश्चित किये थे तथा कि १ रुपये ७ आने प्रति मन की दर बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रेस टिप्पणी में यह भी कहा गया था कि ऐसा होते हुए भी सरकार एक योजना के आरम्भ करने पर विचार कर रही है जिससे इस ऋतु में गन्ना उद्योग द्वारा कमाये गये अतिरिक्त नफ़े का न्यायोचित भाग गन्ना उत्पादकों को दिया जायगा। इस आश्वासन के फलस्वरूप, गन्ना संघों के फेडरेशन ने अपने उस नोटिस को वापिस ले लिया जो गन्ने के प्रदाय के बन्द करने के सम्बन्ध में था।

२. फैक्टरियों द्वारा कमाये गये अतिरिक्त नफ़े में से गन्ना-उत्पादकों के भाग को निश्चित करने के आधार का अभी फैसला नहीं हुआ है।

३. नफ़े में से भाग देने की योजना को अन्तिम रूप देने तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि शेष ऋतुकाल में दिये गये गन्ने पर ४ आने प्रति मन अधिक मूल्य देना अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे चीनी फैक्टरियों को गन्ना उत्पादकों से अधिक गन्ना मिलने की आशा थी। इस विचार से सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों को यह सुझाव दिया था कि वे ८ मार्च, १९५४ से ऋतु के शेष काल में दिये गये गन्ने के लिए ४ आने प्रति मन अधिक दाम दे सकती हैं। इस प्रकार से दी गई राशि का इस वर्ष के उस अतिरिक्त नफ़े से समन्वय कर दिया जायगा जो अन्त में सम्बन्धित फैक्टरियों में गन्ना उत्पादकों के लिए निश्चित किया जा सकता है तथा इसमें गन्ने के न्यूनतम परिनियत दामों में कोई वृद्धि करने की बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को किये गये इस अतिरिक्त भुगतान से नफ़े में से भाग देने की योजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस योजना को पूर्वी उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों पर भी लागू किया जायगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में बहुत सी फैक्टरियों के बन्द हो जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों

में अपनाई गई प्रक्रिया को उन पर लागू नहीं किया गया है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्टरियों के बारे में इस कार्यवाही को करने से पहले इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के गन्ना उत्पादकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विचार कर लिया था जहां स्थिति लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी ही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने परिणामों का उचित सीमा तक अनुमान कर लिया है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या यह सच है कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री किदवई ने इस वर्ष ८ फरवरी को रायकोला में हुए उत्तर भारतीय गन्ना-उत्पादकों के सम्मेलन में इस अभिप्राय का एक वक्तव्य दिया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार को भी इन लाभों से वंचित नहीं रखा जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस वक्तव्य पर जमे हुए हैं, परन्तु वर्तमान स्थिति में इन लाभों को तत्काल देना सम्भव नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार को अपनी इस कार्यवाही के फलस्वरूप बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्पादकों द्वारा अनुभव की गई निराशा तथा उनके गहरे रोष के बारे में विदित है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारे अनुभव के अनुसार उत्पादक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि जिस दिन यह एलान किया गया था, उस दिन ईस्टर्न यू० पी० और बिहार में कितनी शुगर फैक्टरियों चल रहीं थीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां जहां शकर के कारखाने चल रहे हैं वहां सरकार की योजना लागू होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कोशिश है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य के विचार से कि चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन बहुत कम हो गया है तथा उपभोक्ता और उत्पादक दोनों चीनी तथा गन्ने के वर्तमान दामों से प्रसन्न नहीं हैं, क्या भारत सरकार गन्ने तथा चीनी के उत्पान को बढ़ाने के लिये अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार परिस्थिति तथा स्थिति पर निरन्तर विचार करती रहती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या जब तक सरकार प्राफ़िट (नफ़ा) की बात तय नहीं कर पाती है, तब तक ४ आने जो वेस्टर्न यू० पी० की फ़ैक्टरियां देती हैं, उस तरह से बिहार और ईस्टर्न यू० पी० की और फ़ैक्टरियों को यह लिख सकती है कि वह भी अपने यहां वह दें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो केन ऋश हो चुका उसके लिए तो मुश्किल है । जैसा ब्यान किया था कि फ़िलहाल जो फ़ैक्टरियां चल रही हैं उन पर यह लागू होगा । इसके मुताबिक अगर किसी को फ़ायदा होने वाला हो तो उस पर विचार होगा । और बातें स्टेटमेंट में बतलाई हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुपोषण रोग

*१०८५. **डा० रामा राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी।

(क) क्या यह तथ्य है कि क्या भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में १,००० बच्चों का कुपोषण रोग के लिये परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि उक्त प्रश्न भाग (क) का उत्तर हां है, तो उस परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ; तथा

(ग) क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार का परीक्षण करना चाहती है, और यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा देने की कृपा करें ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी, हां ।

(ख) इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त आंकड़ों समेत एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८**] । सर्वेक्षण अभी जारी है ।

(ग) जी, हां । भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् की पोषण सलाहकार समिति द्वारा कई राज्यों में अध्ययन के हेतु इस प्रकार के सर्वेक्षण किये गये हैं और अभी भी किये जा रहे हैं ?

बन्दर

*१०८९. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अधीन सरकार पारितोषिक के आधार पर बन्दरों को मरवाना चाहती है ;

(ख) यह कार्यक्रम कब से प्रारम्भ हुआ है, और कहां ;

(ग) क्या बन्दरों को मारने के लिये हिमाचल प्रदेश को कुछ धन राशि मिली है ;

(घ) यदि हां, तो यह अनुदान कब दिया गया था ; तथा

(ङ) अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ?

खाद्य मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). जी, हां । १९४७-४८ से यह पद्धति अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अधीन चल रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जून १९५३ में ।

(ङ) १८,००० रुपये ।

रेलवे भविष्य निधि

*१०९२. **श्री मुनिस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व समवाय कर्मचारियों और राज्य रेलवे कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि पर दिये गये जाने वाले सूद की प्रतिशत दर में क्या कोई अन्तर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): जी, नहीं परन्तु न्यूनतम प्रत्याभूत दरों की अनुमति देने में कुछ अन्तर रखा गया है ।

विमान दुर्घटनायें

*१०९३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् विमान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जीवन हानि, बीमाकृत तथा पंजीबद्ध वस्तुओं तथा अन्य सामान की क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को कितनी क्षति पूर्त्ति देनी पड़ी है ; तथा

(ख) नष्ट होने वाले विमानों के मूल्य को मिलाकर सरकारी सम्पत्ति के नाश के कारण कितनी हानि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

कृषि सम्बन्धी प्रकाशन

*१०९७. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) "भारतीय कृषि (इण्डियन फ़ार्मिंग)" तथा "खेती" के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ;

(ख) किस मात्रा में उद्देश्य पूर्ति हुई है ;

(ग) इन प्रकाशनों का कुल परिचालन कितना है ; तथा

(घ) इनके प्रकाशन पर कितनी लागत आती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) किसानों और विस्तार कर्मकरों को कृषि संबंधी लाभप्रद जानकारी देने के लिये ।

(ख) बहुत हद तक ।

(ग) "इण्डियन फार्मिंग" का परिचालन —५,००० ।

"खेती" का परिचालन—१,०००।

(घ) "इण्डियन फार्मिंग"—१,००,००० रुपये प्रतिवर्ष ।

"खेती" —६,०९५ रुपये प्रतिवर्ष

पश्चिमी बंगाल में चावल का समाहार

*११०३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के खुले बाजार के चावल के व्यापारियों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम के मुफस्सिल जिलों से चावल का समाहार बन्द करने का निदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उन्हें उत्तर-प्रदेश और विदेशों से चावल प्राप्त करने का निदेश दिया गया है; तथा

(ग) यदि उक्त प्रश्न भाग (क) तथा (ख) का उत्तर हां हो तो क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करने और उन व्यापारियों को पश्चिमी बंगाल के ज़िलों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से चावल प्राप्त करने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). वस्तुस्थिति यह है कि १९५३ में पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के ज़िलों में खरीदे गये चावल की सीमित मात्रा को अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानों को बेचे जाने के निमित्त व्यापार द्वारा कलकत्ता में लाये जाने की अनुमति दी गई थी । १ जनवरी, १९५४ से यह रोक दिया गया है । परन्तु सरकारी लेखे को छोड़ कर एक राज्य से दूसरे राज्य को चावल के लाने ले जाने की अनुमति न देने के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में व्यापार को उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से कुछ मात्रा में चावल आयात करने की अनुमति दी गई है । नैपाल का चावल भी कलकत्ता में राज्य सरकार की अनुमति से लाया जा सकता है ।

(ग) सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि व्यापारियों को पश्चिम बंगाल के ज़िलों और निकटवर्ती क्षेत्रों से चावल का समाहार करने की अनुमति दी जाये, क्योंकि (१) जहां तक पश्चिम बंगाल के ज़िलों का सम्बन्ध है, अनुभव से ऐसा प्रतीत हुआ है, कि इस प्रकार असीमित और प्रतियोगिता के आधार

क्रय के कारण बाजार में उथल पुथल हो जाती है और भाव चढ़ जाते हैं; तथा

(२) दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, साधारण नियम यह है कि सरकारी उद्देश्य को छोड़ कर, एक राज्य से दूसरे राज्य में चावल के लाने ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। परन्तु क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वयं ही पश्चिम बंगाल के अधिक चावल वाले ज़िलों से बहुत बड़ी मात्रा में चावल खरीद लिया है, और क्योंकि केन्द्र कलकत्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार चावल देने के लिये तैयार है, तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

***११०९. श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ में बी० एस० ए० और अन्य मेक के बहुत से स्वंचलित स्क्रू-कटर (पेच काटने वाली मशीनें) अब कुछ समय से प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं;

(ख) उक्त फैक्टरी में इस प्रकार की पेच काटने वाली मशीनों की संख्या और उनकी कुल लागत तथा क्षमता;

(ग) कितने प्रतिशत क्षमता प्रयोग में लाई जाती है; तथा

(घ) इन स्वचलित मशीनों से अब तक काटे गये पेचों की कुल कितनी संख्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय ६१ मशीनों से १६ प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं।

(ख) ६१ मशीनें, जिनकी लागत लगभग १३ लाख रुपये है। इनमें ३०० लाख पेच और दूसरी पेचदार वस्तुएं बनाने की वार्षिक क्षमता है।

(ग) लगभग ५० प्रतिशत।

(घ) २६१ लाख पेच और दूसरी पेचदार वस्तुयें।

अछनेरा और फुलेरा में इकट्ठा करने की व्यवस्था

***१११४. श्री वाघमारे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अछनेरा और फुलेरा में इकट्ठा करने की अपर्याप्त और अनुचित व्यवस्था के कारण, कितने वैगन-दिवसों की हानि हो जाती है; तथा

(ख) यदि ऐसी बात है, तो इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

कमालपुर-अम्बासा रोड

***१११५. श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा राज्य में कमालपुर-अम्बासा रोड के निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितनी ग़ैर-सरकारी भूमि अधिग्रहण की गई है;

(ख) निर्माण कार्य के कारण भूमि और फसलों को पहुंची क्षति पहुंचने के लिये भूमियों के स्वामियों को कुछ प्रतिकर दिया गया है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कुछ प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

डाकघरों में गबन

*१११७. **श्री गणपति राम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश और विशेषतया बनारस ज़िले में १९५३ में ग़बन किये गये बीमाकृत पत्रों की कुल संख्या;

(ख) कितने मामलों की जांच की गई है और पुलिस के सुपुर्द किये गये हैं;

(ग) इनमें से कितने मामलों में आरोप पत्र जारी किये गये हैं; तथा

(घ) अब कितने मामले पुलिस की पड़ताल में हैं, विशेषतया बनारस ज़िले में, और इन मामलों में कुल कितने धन का ग़बन किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बनारस ज़िले में चार को मिला कर ३० ।

(ख) उपरोक्त समस्त ३० मामलों की जांच पड़ताल की गई थी । बनारस जिले के चारों मामलों को मिला कर २९ मामलों की सूचना पुलिस को दी गई थी । एक मामला अभी भी विभाग के जांचाधीन है ।

(ग) बनारस ज़िले के दो मामलों को मिला कर तीन ।

(घ) बनारस ज़िले में दो मामलों को मिला कर अभी भी आठ मामले पुलिस के जांचाधीन हैं । बनारस जिले के ८७० रुपये को मिला कर ग़बन की गई कुल रक़म १३,८८८ रुपये ७ आने है ।

सहकारी कृषि

*११२६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सहकारी तथा सामूहिक कृषि के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; तथा

(ख) सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की नीति है । सहकारी कृषि से पृथक् सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ख) सहकारी कृषि संस्थाओं को कुछ सुविधायें, जैसे उनकी अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं में सहायता देने के काम में उनको अधिमान दिया जाना और लगान के सम्बन्ध में विभिन्न रियायतें, देकर प्रोत्साहन दिया जाता है । ऐसी संस्थाओं को संगठित करने के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को प्राविधिक एवं आर्थिक सहायता देने को तैयार है । मैं यह भी बता दूं कि यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है ।

इण्डियन टलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड कार्मिक शिशु-गृह

*११३१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर, की महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिये कितने कार्मिक शिशु-गृहों की व्यवस्था की गई है; तथा

(ख) उस कारख़ाने की महिला कर्मचारियों के शिशुओं की देखभाल करने के लिये यदि कोई नौकरानियां हैं, तो उनकी संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) अभी हाल ही तक उस कारख़ाने के जो स्थायी आदेश थे, उनके अधीन उस कारख़ाने में केवल अविवाहित महिलाओं और बिना बाल बच्चों वाली विधवाओं को ही काम मिल सकता था, और

इसलिये कार्मिक शिशु-गृहों या बच्चों की देखभाल करने के लिये नौकरानियों की कोई मांग नहीं थी। अब वे स्थायी आदेश संशोधित किये जा चुके हैं और विवाहित महिलाओं को नौकरी देने पर जो रोक थी वह हटा दी गई है। अतः मांग होने पर कार्मिक शिशु-गृहों की व्यवस्था की जायेगी।

नहर प्रशासन के तारघर

*११३२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने तारघर हैं जो केवल नहर प्रशासनों के प्रयोग के लिये ही हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ३१ मार्च, १९५३ को उत्तर प्रदेश सर्किल में ३२७ नहर के तार घर थे। इनमें से १५ तारघरों में जनता द्वारा दिये जाने वाले तार भी स्वीकार किये जाते थे; परन्तु शेष तार घर केवल नहर प्रशासन को प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये थे।

रेलवे बोर्ड

*११३३. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों की वर्तमान पदावधि कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पांच वर्ष।

माल डिब्बों का आवागमन

*११३४. **श्री दाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि फैडरेशन आफ़ इंडियन चेम्बर्स आॅफ़ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उसने गेज परिवर्तन के स्थलों पर परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता, कुछ जंकशनों पर माल के अधिक जमा होने, खाली और भरे हुए माल डिब्बों के आवागमन में सामंजस्य के अभाव और माल डिब्बों के विलम्ब से वापस लौटने के सम्बन्ध में शिकायत की है; तथा

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार इस मामले में कुछ करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जो बातें उठाई गई हैं, उनकी जांच हो रही है।

गन्ने के मूल्यों का न दिया जाना

*११३५. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ७३, जिसका उत्तर १७ नवम्बर, १९५३ को दिया गया था, की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चीनी के कारखानों ने गन्ना बोने वालों के सभी बक़ाया भुगतान दे दिये हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो उन मिलों के नाम जिन्होंने बक़ाया राशि का भुगतान नहीं किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) जिन चीनी के कारख़ानों ने अभी तक बक़ाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनकी एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विवाहित महिलाओं का काम पर लगाया जाना

*११३६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) क्या इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ लिमिडेड, बंगलौर, के प्रशासनिक मामलों से

सम्बन्धित स्थायी आदेशों में ऐसा कोई आदेश है जिसके अनुसार उस समवाय की सेवा में विवाहित महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अभी हाल तक ऐसा एक उपबन्ध था। कारखाने में विवाहित महिलाओं के काम पर लगाये जाने पर रोक लगाने वाले खण्ड को अब निकाल दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में लेथम तथा आइजक प्रतिवेदन

***११३७. श्री टी० बी० विट्ठल राव:** (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५२ में दो चीफ मेकेनिकल इंजीनियर सर्व श्री डबल्यू० जी० लेथम और ई० डबल्यू० आइज़क, जिन्होंने रेल गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारणों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की थी, द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ?

(ख) क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का विचार करती है ?

(ग) कौन सी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री डबल्यू० जी० लेथम, सिविल इंजीनियर और ई० डबल्यू० आइज़क, मेकेनिकल इंजीनियर, ने अपना प्रतिवेदन जनवरी, १९५१ में दिया था और बोर्ड ने उस पर मई, १९५१ में अन्तिम रूप से विचार कर लिया था।

(ख) निश्चय ही, यदि उसमें वर्णित अति प्रविधिक विषयों में सदस्यों को कोई रुचि है तो।

(ग) उस समिति द्वारा की गई ६८ सिफारिशों में से ६२ को पूर्ण रूप से और चार को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकृत सिफारिशें स्थायी मार्ग और इंजन, डिब्बों आदि, के नमूने और उनकी देख भाल, यातायात संचालन नियमों, संचालन कर्मचारियों के कार्यवहन तथा हम्प और मार्शलिंग यार्डों के काम के तरीकों से सम्बन्धित थीं। कुछ मामलों को छोड़कर स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने का काम या तो पूरा कर दिया गया है या किया जा रहा है।

बैरछा और मकसी के बीच रेल दुर्घटना

***११३८. श्री रघुनाथ सिंह:**
श्री काचिरोयर:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २ मार्च की रात के ग्यारह बजे मध्य रेलवे की भोपाल-उज्जैन लाइन पर बैरछा और मकसी स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी पुल पर से गुज़रते समय पटरी से उतर गई और उसके २७ डिब्बे नदी में जा गिरे और पुल को क्षति पहुंची;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इसके फलस्वरूप रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां। २ मार्च, १९५४ की रात को लगभग ग्यारह बज कर पांच मिनट पर।

(ख) रेलवे अधिकारियों द्वारा जो जांच पड़ताल की जा रही है उसके पूरे होने पर यह पता चलेगा।

(ग) रेलवे सम्पत्ति को लगभग, १,९५,००० रुपयों की क्षति हुई है।

बिहार में चावल की मिलें

*११३९. **श्री एस० एन० दास:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व बिहार विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से बिहार की चावल की मिलें बन्द कर देने की सिफारिश की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस मामले को भेजा था और उसके सम्बन्ध में उसकी सलाह मांगी थी;

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; तथा

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) बिहार सरकार को सूचित कर दिया गया है कि देश में चावल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस बात के लिये उत्सुक है कि धान को चावल के रूप में परिवर्तित करने के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हों। चूंकि इस समस्या में ग्रामीण लोगों के काम पर लगाये जाने जैसी अन्य बातें भी अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः भारत सरकार ने एक ऐसी समिति बनाने का निश्चय किया है, जो कि इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार कर सके और उस समिति का प्रतिवेदन मिलने पर कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

रेलों में चोरियां

*११४०. **श्री आर० एन० सिंह:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) माल डिब्बों में हुई चोरियों के कारण उत्तर रेलवे के भिन्न भिन्न खण्डों में गत वर्ष कितनी हानि हुई थी; तथा

(ख) रेलवे पुलिस द्वारा कितनी चोरियों का पता लगाया गया और कितने ऐसे मुकद्दमे चलाये गये जिनमें सफलता प्राप्त हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

नौकरी दफ्तर

१९९. **श्री हेमै राज:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के नौकरी दफ्तरों में कुल कितने ग्रेजुयेट, अण्डर ग्रेजुयेट और मैट्रिक पास लोगों ने नौकरी के लिये अपने नाम दर्ज कराये थे; तथा

(ख) ऐसे व्यक्तियों की राज्यानुसार संख्या जिन्हें नौकरी दफ्तरों द्वारा नौकरी दी गई थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य	दर्ज किये गये व्यक्तयों की संख्या			जिन्हें नौकरी दी गई उनकी संख्या		
	ग्रेजुयेट	अण्डर–ग्रेजयेट	मैट्रिक	ग्रेजुयेट	अण्डर–ग्रेजुयेट	मैट्रिक
१	२	३	४	५	६	७
पंजाब	१,९३९	२,०७४	१६,६६१	२०४	१८८	१,४२७
पेप्सू	३६८	२६२	१,७१६	२१	११	१३४
हिमाचल प्रदेश	२५	३५	३३५	५	१३	११७
कुल योग	२,३३२	२,३७१	१८,७१२	२३०	२१२	१,६७८

व्यवसायिक तथा प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

२००. **श्री हेम राज:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश में व्यवसायिक तथा प्रविधिक केंद्रों की संख्या तथा प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या ;

(ख) क्या वर्ष १९५४ में पंजाब में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ग) इस प्रकार से प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरियां प्राप्त करने में सरकार ने क्या सुविधायें दी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) पंजाब में पांच, पैप्सू में दो तथा हिमाचल प्रदेश में एक प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय हैं ।

(ख) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापनायें विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी दफ्तरों के द्वारा सहायता दी जाती है ।

नौकरी दफ्तर

२०१. **श्री राचय्या:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के नाम जो मैसूर राज्य के नौकरी दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्तियों को नौकरियां दिलाने में सहायता दे रहे हैं; तथा

(ख) वर्ष १९५३ में नौकरी दफ्तरों के द्वारा मैसूर के स्थानीय निकायों में कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पलट पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में बंजर भूमियां

२०२. **श्री राचय्या:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में मैसूर राज्य म कृषियोग्य बंजर भूमि का विस्तार; तथा

(ख) सन् १९४८ से १९५३ तक, वर्षवार, कृष्ट की गई कृषियोग्य बंजर भूमि का क्षेत्रफल ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सन् १९५३ सम्बंधी अपेक्षित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है । वर्गीकरण सम्बंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े सन् १९५०-५१ के सम्बन्ध में हैं और नीचे दिये जाते हैं ।

कृषि योग्य बंजर भूमि*

(एकड़ों में)

मैसूर राज्य (जिसमें पहले के मद्रास राज्य के बेल्लारी ज़िस के साथ तालुके सम्मिलित हैं)	९००,०००

[टिप्पणी : *इसमें (१) वह भूमियां सम्मिलित हैं जिस पर पहले खेती की जाती थी परन्तु जिनको बाद में किन्हीं कारणों से छोड़ दिया गया ; तथा (२) वह क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि वह कृषि योग्य हैं, परन्तु शर्त यह है कि इन दोनों प्रकार की भूमियों का समुचित व्यय तथा समुचित परिश्रम से कृष्यकरण किया जा सके । ऐसी भूमियां या तो बंजर हैं या उन पर झाड़ियां तथा जंगल उगे हुए हैं जिन को किसी भी काम में नहीं लाया जाता है ।]

(ख) उपलब्ध सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	कृष्ट की गई कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्रफल* (एकड़ों में)
१९४९-५०	८३,७१८
१९५०-५१	१०३,१३८
१९५१-५२	८१,११२

[टिप्पणी: *इस में राज्य ट्रैक्टर संगठन या निजी अभिकर्त्ताओं द्वारा जिन भूमियों का कृष्यकरण किया गया है वह भी सम्मिलित हैं । आंकड़े पुराने मैसूर राज्य के सम्बन्ध में हैं]।

राज्यों को दिये गये ऋणों की वसूली

२०३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी उर्वरकों की प्रदाय के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार को ऋण के रूप में दी गई कुल धन राशि में से फ़रवरी १९५४ के अन्त तक कितनी धन-राशि वसूल हुई है; तथा

(ख) शेष धन राशि के कब तक वसूल हो जाने की प्रत्याशा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रादेशिक रेल प्रयोक्ता समितियां

२०४. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अपनी स्थापना के समय से उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवेज़ की प्रादेशिक रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों में से प्रत्येक के द्वारा आयोजित की गई बैठकों की संख्या तथा तिथियां ;

(ख) इन बैठकों में की गई मुख्य सिफ़ारिशें तथा उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही; तथा

(ग) क्या कोई प्रक्रिया नियम निश्चित किये गये हैं अथवा क्या उन को अपने स्वयं के नियमों को बनाने का अधिकार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर रेलवे प्रादेशिक समितियां :—

लखनऊ समिति—तीन बैठकें · १५-७-५३, २९-१०-५३ तथा २२-१२-५३ को

दिल्ली समिति—तीन बैठकें:
१५-७-५३, १२-१०-५३ तथा १६-१-५४ को।

जोधपुर समिति—तीन बैठकें:
१५-७-५३, ३-११-५३ तथा २३-२-५४ को।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रादेशिक समितियां:—
मुज़फ़्फ़रपुर समिति—तीन बैठकें:
१७-७-५३, २७-१०-५३तथा १२-२-५४ को।

लखनऊ समिति—तीन बैठकें:
३१-७-५३, १७-११-५३ तथा २-३-५४ को।

पांडु समिति—तीन बैठकें:
२४-७-५३, ५-१०-५३ तथा १-२-५४ को

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इन समितियों के लिये सामान्य नियम रेलवे बोर्ड द्वारा बनाये गये हैं, परन्तु रेलवेज़ ने रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से सामान्य नियमों के ढांचे में ही कुछ सहायक नियमों की भी अभिस्वीकृति दी है।

महाखण्डी रेलवे प्रयोक्ता समितियां

२०५. **श्री एम० एल० अग्रवाल:** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर और उत्तर-पूर्वी रेलवज़ की महाखंडीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा समितियों द्वारा अपने निर्माण के समय से आयोजित सभाओं की तिथियां और संख्या क्या हैं ;

(ख) सभाओं की मुख्य सिफारिशें और विभाग द्वारा उन पर की गई कार्यवाही क्या है ; और

(ग) क्या कोई प्रक्रिया नियम निर्धारित किये गये हैं अथवा वे अपनी ओर से नियम बनाने में स्वतंत्र हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क)

महाखंडीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा समिति, उत्तर रेलवे	दो सभाएं २७-३-५३ और १५-१२-५३ को।
महाखंडीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा समिति, उत्तर-पूर्वी रेलवे	तीन सभाएं २०-७-५३, २८-९-५३, और ४-१-५४ को

(ख) चर्चा के मुख्य विषय और उन पर की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ग) इन समितियों के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा सामान्य नियम बनाये गये हैं लेकिन रेलवेज़ ने रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से सामान्य नियमों की सीमा-रेखा के अन्तर्गत कुछ सहायक नियम ग्रहण किये हैं।

राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परिषद्

२०६. **श्री एम० एल० अग्रवाल:** क्या रेल मंत्री राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता मंत्रणा परिषद् की प्रक्रिया के नियम व्यक्त करने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा परिषद् की प्रक्रिया के नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस.-८८-५४]**

राशनिंग

२०७. **श्री एस० एन० दास:** क्य **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) परिनियत राशनिंग और (२) यथानियम राशनिंग के अधीन (राज्य

वार) में इस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ;

(ख) भारत की समूची जनसंख्या का कितना प्रतिशत इस राशनिंग में आत है; और

(ग) (१) परिनियत राशनिंग और (२) अनियमित राशनिंग के अधीन उक्त जनसंख्या को सम्भरित प्रत्येक किस्म के खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) सदन पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) परिनियत राशनिंग और अनियमित राशनिंग के अधीन समूची जनसंख्या भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का क्रमशः लगभग ५·८ और १०·१ प्रतिशत है ।

(ग) जनवरी, १९५४ में परिनियत राशनिंग के अधीन निर्गमित खाद्यान्न की मात्रा लगभग ६५,००० टन चावल, ३६,००० टन गेहूं और ५,००० टन दूसरा अनाज था । यथानियम राशनिंग के अधीन ४२,००० टन चावल, ९४,००० टन गेहूं और १५,००० टन दूसरा अनाज निर्गमित किया गया था ।

रेलवे के रियायती टिकट

२०८. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से दिसम्बर, १९५३ की अवधि में जारी किए गए विभिन्न प्रकार के टिकट ;

(ख) जिस अवधि के लिये उक्त टिकट दिये जाते थे; और

(ग) इन टिकटों की बिक्री से होने वाली पूरी आमदनी, प्रत्येक शीर्षक के अधीन अलग-अलग आंकड़ों सहित क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना प्रकट करने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

सैन्ट्रल मैडिकल स्टोर, करनाल

२०९. **डा० सत्यवादी**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) सैन्ट्रल मैडिकल स्टोर, करनाल में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं; और

(ख) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में भंगियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
प्रथम	१	कुछ नहीं
द्वितीय	२	कुछ नहीं
तृतीय	५५	५
चतुर्थ	७६	७

(ख) तीन ।

आसाम डाक सर्किल में भरती

२१०. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग का आसाम सर्किल कर्मचारियों की भरती के कार्य के लिये चार भागों में विभाजित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभागों तथा प्रत्येक विभाग में सम्मिलित किये गये जिलों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक विभाग में कौनसी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) प्रत्येक विभाग में १९५३-५४ में भरती किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) आसाम डाक तथा तार विभाग में भरती करने वाले ग्यारह एकक हैं ।

(ख) से (घ). ग्यारह एककों से सम्बंधित जानकारी विवरण पत्र के रूप में सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

खड़गपुर रेलवे वर्कशाप

२११. श्री एन० बी० चौधरी: क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९५३ को अथवा उसके आसपास खड़गपुर के वर्कशाप स्टोर्स से २०,००० रुपये के मूल्य की वस्तुएं गायब हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस के बाद यह वस्तुएं ढूंढी जा चुकी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) खड़गपुर के वर्कशाप स्टोर्स में कोई चोरी नहीं हुई लेकिन १९५३ की २१।२२ दिसम्बर को खड़गपुर के जनरल स्टोर्स में १९,८९७ रुपये के मूल्य की ३४६ जेबी घड़ियों की चोरी हुई ।

(ख) ३४६ जेबी घड़ियों में से लगभग १०,७०० रुपये के मूल्य की १८६ घड़ियां अभी तक ढूंढी जा चुकी हैं ।

रेलवे की आय

२१२. श्री जेठालाल जोशी: क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल से दिसम्बर १९५३ तक यात्रियों से होने वाली, श्रेणीवार, रेलों की आय कितनी है; और

(ख) पिछले साल की इसी अवधि की आय में उस की क्या स्थिति है ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). श्रेणियों के अनुसार पहली अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक यात्रियों से होने वाली अनुमानित आय और १९५२ की समनुवर्ती अवधि से उस की तुलना इस प्रकार की जाती है :—

(आंकड़े हजारों में)

	अप्रैल से दिसम्बर १९५३	अप्रैल से दिसम्बर १९५२
शीतोष्ण नियंत्रित	२०,६१	१३,५८
प्रथम श्रेणी	१,०५,८४	१,३९,६५
द्वितीय श्रेणी	३,०४,२९	२,७९,३४
मध्यम श्रेणी	३,७८,०२	४,००,५१
ततीय श्रेणी	६४,०४,४६	६५,४०,८६
कुल योग	७२,१३,२२	७३,७३,९४

सरसों के बीज

२१३. श्री गणपित राम: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में देश में सरसों का कुल कितना उत्पादन हुआ और भीतरी उपयोग के लिये पेरी गई सरसों की मात्रा कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवधि में आयात तथा निर्यात की गई कुल मात्रा कितनी है; और

(ग) तेल पेरने वाली फैक्टरियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सरसों के उत्पादन के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यह आंकड़े अलसी और सरसों के एक साथ संग्रहीत हैं और १९५२-५३ के अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार, जिस में बाद में संशोधन किया जा सकता हैं, देश में उत्पादित अलसी और सरसों की कुल मात्रा ८२८,००० टन बताई गई है ।

देश के भीतरी उपभोग के लिये पेरी गई सरसों के सम्बन्ध में भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुमान किया जाता है कि १९५२-५३ में ७४०,००० टन अलसी और सरसों पेरे जाने के लिये उपलब्ध थे ।

(ख) १९५३ में सरसों की कुल १५१ टन मात्रा निर्यात की गई थी । हम विदेशों से सरसों नहीं मंगाते हैं अतः १९५३ में इस का आयात नहीं हुआ ।

(ग) केवल खाने के तेलों (जमाये हुए तेलों को छोड़ कर) के निर्माण में लगी फैक्टरियों के सम्बन्ध में ही जानकारी उपलब्ध है । इन फैक्टरियों के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राज्यों के नाम	खाने के तेलों (जमाये हुए तेलों को छोड़कर) के निर्माण में लगी फैक्टरियों की संख्या	
	१९५१	१९५२ का पूर्वार्द्ध
आसाम	२८	२३
बिहार	७६	२८४
बम्बई	२६६	२६८
मध्य प्रदेश	७८	६७
मद्रास	६३३	५४४
उड़ीसा	७	६
पंजाब	३३	३०
उत्तर प्रदेश	११५	१००
पश्चिमी बंगाल	६१	५६
अजमेर	—	—
कुर्ग	—	—
दिल्ली	३	४
अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप	—	—
	१,३००	१,३८२

श्रमिक संगठन

२१४. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **श्रम** मंत्री दिनांक १७ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के प्रति दिये गये उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे :

(क) क्या ३१ मार्च, १९५३ के आंकड़ों के आधार पर चार केन्द्रीय धार्मिक संघों के विषय में यह जांच पूरी कर ली गई है कि उन में से कौन मजदूरों का सब से अधिक प्रतिनिधित्व करता है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) विभिन्न संगठनों की सदस्य-संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) भारत में मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिनिधि संगठन भारत की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ।

(ग) चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की प्रमाणित सदस्य संख्या इस प्रकार है :—

संघ	कुल प्रमाणित सदस्य संख्या
(१) भारत की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	९,१९,२५८
(२) हिन्द मजदूर सभा	३,७३,४५९
(३) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	२,१०,९१४
(४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन्स कांग्रेस	१,२९,२४२
कुल	१६,३२,८७३

बिना लाइसेन्स के रेडियो

२१५. **श्री बल्लाथरास :** क्या संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन स्थानों में बिना लाइसेंस के रेडियो रखने वालों का पता लगाने के लिये १ मार्च १९५४ को दस्यु-विरोधी कर्मचारी वर्ग काम कर रहे थे ;

(ख) १९५२, १९५३ और जनवरी और फरवरी, १९५४ में बिना लाइसेंस रेडियो रखने के कितने मामलों का, राज्यवार, पता लगाया गया; और

(ग) कर्मचारियों के निर्वहन तथा मामलों का पता लगाने में १९५२ और १९५३ में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बाहदुर) : (क) सभी डाकीय सर्किलों में दस्यु-विरोधी कर्मचारी वर्ग संलग्न हैं इस प्रकार के १३ केन्द्र हैं । कर्मचारी वर्ग अपने अपने सर्किलों के क्षेत्राधिकार के सभी स्थानों पर पता लगाने के लिये जाते हैं ।

(ख) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६.**]

(ग) १९५२ में ३·५८ लाख रुपये, १९५३ में ६·३२ लाख रुपये ।

Par. S. 18. II. 25 54
285

अंक २

संख्या २५

बुधवार

१७ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

——:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से संदेश—

१. विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक

२. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [पृष्ठ भाग १६०९]

सदस्यों के भत्ते [पृष्ठ भाग १६०९—१६११]

अधीनस्थ विधान कार्य सम्बन्धी समिति—प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग १६११]

सामान्य आयव्ययक—साधारण चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग १६११—१६७६]

पार्लियामेन्ट सैक्रेटेरियट, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

29 PSD

लोक सभा

बुधवार, १७ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३.७ म० प०

राज्य-परिषद से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित विधेयकों के बारे में राज्य-परिषद को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५४ ।

(२) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५४.

सदस्यों के भत्ते

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, सुना गया है कि राज्य-परिषद के सदस्यों का यात्रा भत्ता कम करने का फैसला किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों के भत्ते के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, आप को मालूम है कि यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ है कि कुछ रेलों में

पहिला दर्जा खत्म कर दिया गया है । गत सत्र में महालेखा परीक्षक ने आपत्ति की थी कि जब पहिला दर्जा हटा दिया गया है तो सदस्यों को पहले दर्जे का किराया कैसे दिया जाता है । हम ने इस पर विधि मंत्रालय से मशवरा किया तथा उन की राय यह थी कि सम्पूर्ण स्थिति को विधिवत बनाने के लिए विधान पास करना आवश्यक है । अतः हम ने संसद के दोनों सचिवालयों को बताया कि विधान बनाने के समय तक स्थिति यथावत रखी जाये । समय के अभाव के कारण गत सत्र में हम यह विधान पास नहीं करा सके हैं ।

आप को मालूम है कि कुछ समय पहले सदस्यों के भत्तों के प्रश्न पर विचार करने के लिए आप ने एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति के निश्चय के सम्बन्ध में एक संकल्प क्रम-पत्र पर रखा गया था परन्तु किसी न किसी कारण से इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

डा० लंका सुन्दरम : कारण क्या था ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : कारण यह था कि सदस्यों में तीव्र मतभेद था । सदन के सत्रावसान के परिणामस्वरूप उस संकल्प का स्वभावतः निरसन हुआ । सरकार ने इसलिए इसे इस महीने की २७ तारीख के क्रमपत्र पर रखने का निश्चय किया । सरकार का इरादा तो यह है कि यह मामला उसी समिति को फिर से सौंप दिया जाये अथवा किसी और समिति को सौंप दिया जाये जोकि आप नियुक्त करेंगे । हम इस समिति का काम जल्दी से जल्दी पूरा

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

करेंगे तथा ज्योंही इस की रिपोर्ट पेश होगी तो हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत करेंगे जिस में कि इस समिति के निश्चय दिये गये हों। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि दोनों सदनों के सत्रावसान से पूर्व ही यह विधान पास हो।

अधीनस्थ विधानकार्य सम्बन्धी समिति

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं अधीनस्थ विधान कार्य सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सामान्य आयव्ययक

अध्यक्ष महोदय : सदन अब बजट पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगा।

श्रीमती जयश्री (बम्बई--उपनगर) : श्रीमान्, देश में शान्ति तथा व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता रखने के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। हमें अपनी विदेश नीति पर भी गर्व है; बहुत से राष्ट्र हमारे शान्ति तथा सद्भावना के सिद्धान्त से प्रेरित हुए हैं। लोकतंत्र वर्तमान युग में केवल तभी सफल हो सकता है जब कि यह जनता के सुख तथा कल्याण का कारण बन जाये; तथा जब कि जनता को इस से अपनी मेहनत का अविलम्ब फल मिल जाये। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में हम केवल तभी प्रगति कर सकते हैं जब कि जनता के साथ हमारा निरन्तर सम्पर्क रहे तथा वह इस बात को महसूस कर सकें कि अन्तिम अधिकार उस के हाथ में है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम सामुदायिक परियोजनाओं पर बड़ी बड़ी आशाएं लगाये बैठे हैं। परन्तु मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। जब तक कि हमारा सामाजिक ढांचा कमजोर है, और जब तक कि हमारी करोड़ों मातायें, बहिनें निरक्षरता, पाखंड तथा रोगों का शिकार बनी रहेंगी। सरकार आज तक इन समस्याओं के प्रति उदासीन रही है। बाल-विवाह, दहेज तथा अन्य ऐसी बातें अभी तक हमारी प्रगति में रोड़ा अटका रही हैं।

इधर हम सामुदायिक परियोजनाओं पर आशाएं लगाये बैठे हैं, उधर वित्त मंत्रालय से उन्हें समय पर पैसा नहीं मिला है। कई ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में लगभग एक वर्ष तक इंजीनियरों की सेवाएं ही उपलब्ध नहीं की गई तथा कोई योजनाएं आदि तैयार नहीं की गईं। ग्रामीणों ने हजारों रुपये का काम किया लेकिन सरकार से उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे।

जहां रोटी और कपड़े के सम्बन्ध में हमारी स्थिति कुछ संतोषजनक रही है, वहां बेकारी की समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। योजना आयोग ने हाल ही में खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड नियुक्त किया है, परन्तु इसे उतनी धनराशि नहीं मिली है जितनी कि इस के लिए मंजूर की गई थी। इस बोर्ड की मांग यह है कि इसे संविहित शक्ति प्राप्त होनी चाहिये तथा काम चलाने के लिए अपने पास पर्याप्त धन भी रहना चाहिये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस मामले पर भी विचार करेंगे।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि हथकर्घों के बने माल पर तथा दस से कम शक्ति-चलित कर्घों के छोटे यूनिटों में बने माल पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया जायगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह सीमा १० करघों से बढ़ा कर ५० कर दी जाये क्योंकि कई ऐसे छोटे करघे हैं जो घाटे पर चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि छोटे छोटे उद्योगों पर कोई नया

शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं विशेष कर मोटे कपड़े तथा कृत्रिम रेशम उद्योगों का उल्लेख करती हूं । सूरत में कृत्रिम रेशम उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है । बम्बई में इस के लिए सहकारी समितियां बनी हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि कम से कम इन उत्पादकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सम्पदा-शुल्क अधिनियम का कार्य-संचालन कैसे हो रहा है । महिलाएं यह जानने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि इस का बहुत सा प्रभाव उन पर भी पड़ता है ।

छोटी बचत योजना के सम्बन्ध में कुछ महिला संघटन काम कर रहे हैं । सुनने में आया है कि जो लोग प्राइवेट एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं, वह अपने कमीशन का कुछ हिस्सा लोगों को दे देते हैं । दूसरी बात यह है कि इन पर कुछ ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है । कुछ अन्य ऋणपत्रों पर तथा विनियोजनों पर अधिक ब्याज मिलता है तथा लोग उनमें ही अपना धन लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं । मंत्री जी को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : माननीय वित्त मंत्री ने सदन में प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती दी है कि वह बतायें कि पंचवर्षीय योजना में क्या परिवर्तन किये जाने चाहियें । इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं उन्हें कुछ अपने रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं ।

हमें अपने से यह पूछना होगा कि हम अपनी सुप्त अर्थ व्यवस्था को जागृत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं तथा सरकार आंकड़ों आदि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । आखिरी सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है, यह है कि सरकार हमारी लेन-देन की स्थिति के सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है । वर्तमान युग में लेन देन की अनुकूल स्थिति भी अशुभकर हो सकती है ।

पंच वर्षीय योजना पर इस समय तक २२३९ करोड़ रुपये में से १००० करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है । परन्तु क्या कारण है कि इस के बावजूद भी हमारी अर्थ व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

पंच वर्षीय योजना के अनुसार हमारे विनियोजनों में पांच प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये । परन्तु मेरे मतानुसार यह अपर्याप्त है; इस में लगभग १२ ½ प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस योजना को क्रियान्वित किये जाने पर हमारी आर्थिक स्थिति में अथवा आर्थिक विकास में कोई प्रगति होगी ?

आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होने के बावजूद भी हमारे औद्योगिक इतिहास में ऐसे अवसर आये हैं जबकि उद्योगपतियों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के साथ साथ देश की आर्थिक गति-विधियां बढ़ गई थीं । १९३४—१९३६ में तथा फिर १९४४ से १९४६ तक आर्थिक गतिविधियों को इस तरह का प्रोत्साहन मिला । उतना थोड़ा पुनर्विनियोजन भी आज नहीं है । वैयक्तिक बचत से हम उद्योगों में ज्यादा धन नहीं लगा सकते हैं । दूसरे देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि उद्योगों में लगे धन का अधिकांश भाग—१६ से १८ प्रतिशत तक—निगमों आदि द्वारा की गई बचत से प्राप्त होता है । समय आ चुका है जब कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि निगमों आदि द्वारा की गई बचत को उद्योगों में लगाने की क्रिया को कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

नोट छाप कर धन उपलब्ध करने की प्रस्थापना है । मुद्रा-स्फीति आदि के आधार

[डा० कृष्णस्वामी]

पर इस का विरोध नहीं किया जा सकता है। युद्ध काल में इस के परिणाम खराब हो सकते हैं क्योंकि जिस सामग्री को प्राप्त करने के लिए हम नोट छापते हैं वह युद्ध में प्रयुक्त होती है। उस से कोई रचनात्मक काम नहीं होता और अन्त में हमारे पास कुछ रह भी नहीं जाता है। परन्तु यदि इसे शान्तिकाल में बुद्धिमानी से तथा नियमित रूप से उपयोग में लाया जाये तो हमारी विकास योजनाएं पूरी हो सकती हैं जोकि हमारी आर्थिक उन्नति का कारण बन सकती हैं। अन्य देशों में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। हमारे सामने प्रश्न यह नहीं कि क्या नोट छाप कर पैसा उपलब्ध करना अच्छा है अथवा नहीं। प्रगति के लिए यह एक अनिवार्य चीज़ है। प्रश्न केवल यह है कि इस तरह से प्राप्त किये गये धन को कैसे उपयोग में लाया जायगा। तथा मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। माननीय मंत्री ने स्वयं प्रतीकारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वह स्वयं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं कि वास्तव में कुल कितना धन खर्च किया जायगा। उनके विचार में इस बात पर विचार करना अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा।

सर्वप्रथम, हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देना है कि जब हम वृहद परिमाण में रकम परिचालित करते हैं तो कीमतों में वृद्धि होगी। हमें केवल इस भय से बच कर रहना है कि इस से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न न हो जाये। 'हाऊ टू पे फार दी वार' में लार्ड केनिस ने सुझाव दिया है कि अतिरिक्त आय का कुछ भाग सरकार द्वारा निकाल लेना चाहिये ताकि चालू उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करने के लिये व्यक्ति के हाथों में अतिरिक्त आय का कम से कम भाग बच पाये।

दूसरे, वित्त मंत्री से मैं यह बात ध्यान में रखने के लिये कहूंगा कि जिन क्षेत्रों में गति-अवरोध है, यह रकम सीधे नहीं निदेशित की जाये। अतः जब हम रुपया खर्च करने की बात सोच रहे हैं तो हमें इसे उन संदिग्ध योजनाओं पर खर्च नहीं करना चाहिये जो शीघ्र ही वास्तविक रूप धारण न करें तथा जिन के लिये पच्चीस या तीस वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े। इसीलिये कहा गया है कि घाटे के खर्च द्वारा शिक्षा में धन नहीं लगाया जा सकता और न ऐसा करना चाहिये क्योंकि वयस्कता प्राप्त करने में शिक्षा को समय चाहिये और वस्तुओं के बाजार में आने में भी समय लगता है।

गत वर्ष निश्चयानुसार रुपया खर्च न करने का कारण वित्तीय मामलों में चल रही 'लाल फीता शाही' पद्धति थी। माननीय वित्त मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह लोक हितकारी राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखें और कुछ नियम तथा मापदण्ड निर्धारित कर दें ताकि हमारे पास फिजूल खर्ची और बर्बादी को रोक कर कुछ नियंत्रणसहित खर्च मिल सके।

यह भी एक कठिनाई है जो वित्त मंत्री को बड़े पैमाने पर घाटे की अर्थव्यवस्था में प्रवेश करते समय अनुभव करना पड़ेगी। कठिनाइयों में उन के साथ सहानुभूति रखने के साथ साथ मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि वित्त मंत्री और उनके सहयोगी अविभाज्य ह। मंत्रियों को भी अनुपात वृत्ति और देश-भक्ति की भावना बनाये रखना है। अब मैं लेखा व्याख्या करने वाला स्मृतिपत्र और सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विचार करूंगा।

व्याख्या करने वाले स्मृतिपत्र में विकास व्यय का जो संक्षिप्तीकरण दिया गया है वह हमें केवल सरकार द्वारा प्राधिकृत खर्च की अधिकतम सीमा बताता है। हम यह नहीं

जान पाते हैं कि पिछले वर्ष कितना खर्च किया गया था और न हम यह मालूम कर सकते हैं कि इस वर्ष कितनी रकम खर्च करने की संभावना है। उदाहरण के लिये पृष्ठ ५३ पर "मांग" शीर्षक के अधीन हथकरघा उद्योग के विकास के लिये ३ करोड़ रुपये और खादी उद्योग के लिये १ करोड़, १० लाख रुपये के खर्च का उपबन्ध रखा है। यह विभागों द्वारा मांगी गई रकम है। इसमें से कितनी खर्च की गई है? कितनी रकम अभी खर्च नहीं हुई है? हमें यह सब मालूम होना चाहिये था, ताकि हम यह जानने की स्थिति में हो सकें कि क्या इन मांगों का पिछले खर्च और पिछले कार्य से कोई सम्बन्ध है। आखिरकार संसद् को इन बातों की जांच का अधिकार है।

एक बात पूंजी के बजट के सम्बन्ध में है। व्याख्याकर्ता स्मृति पत्र के पृष्ठ ६६ पर एक अस्पष्ट मद है जिस का अर्थ मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। १९५३-५४ में मशीनों के औजार बनाने वाली फैक्टरी के लिये १ करोड़ ४३ लाख ५० हजार रुपये व्यय करने की योजना है। संशोधित प्राक्कलन में हम इस पर १० हजार रुपये ही व्यय कर रहे हैं। जब हम से संसद् के सदस्यों की स्थिति में इन हिसाबों की जांच करने के लिये कहा जाता है तो हमें यह मालूम करने की स्थिति में होना चाहिये कि अंकों का क्या अभिप्राय है। केन्द्र में हुई योजना की प्रगति के सम्बन्ध में हमारे सामने कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास विभिन्न योजनाओं——उदाहरणार्थ, दामोदर घाटी योजना——से सम्बन्धित एक संक्षिप्त इतिहास होना चाहिये। इनकी प्रगति किस स्तर पर है? हम ने किन आशाओं के साथ कार्य आरम्भ किया था? यह आशाएं किस हद तक पूरी हुई हैं? इस सब जानकारी के अभाव में हम इन कार्यों की प्रगति अथवा अवनति के सम्बन्ध में अपनी सम्मत्ति नहीं दे सकेंगे। सब से मुख्य आलोचना जो मुझे करनी है वह यह है कि पूंजी के बजट को अपनी उपलक्षणाओं के कारण किसी भी रूप में बदला जा सकता है। सस्पेंस एकाउंटस (उचन्तीखाता) एक ऐसा जगत है जिस के अन्तर में हम नहीं झांक सकते हैं और जिसके अन्दर विविध लीलाएं रची जा सकती हैं।

वित्त मंत्री ने गत वर्ष कहा था कि हमारा नगद संतुलन नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन इस वर्ष अपने बजट प्राक्कलन में उन्होंने बताया कि हमारे पास १८ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी है। यह किस प्रकार हो सकता था?

अब मैं वित्त मंत्री की नवीन लेखा प्रक्रिया पर विचार करूंगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह १६ करोड़ रुपये पूंजी सम्बन्धी हिसाब की ओर निर्देशित करने का इरादा रखते हैं जिन का पन्द्रह वर्ष की अवधि में राजस्व के हिसाब में अपवर्जन कर दिया जायेगा। १६ करोड़ रुपये की रकम को समान रूप से वितरित न करने का तथ्य सन्देह उत्पन्न करता है।

अब मैं भुगतान तुला पर दो एक मिनट विचार करूंगा। क्या माननीय वित्त मंत्री ने यह अनुभव किया है कि लन्दन अथवा अन्य स्थानों में संतुलन के संचय से हम ऐसे समय विदेशों में ऋण देने के अतिरिक्त और क्या कर रहे हैं जब कि हमें ऋण लेने की आवश्यकता हो। निर्यात आय में कमी होने से त्रावणकोर-कोचीन को भारी हानि उठानी पड़ी है और यदि हमारी निर्यात-आय अलग-अलग क्षेत्र-वार होती तो हमें क्षेत्र विशेष के आर्थिक संकट का ज्ञान होता और हम उस दिशा में निधि भेज देते।

मैं चाहता था कि कर लगाने की व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय समस्याओं पर बोलने के लिये मुझे और समय दिया जाता। मैंने वित्त मंत्री को न केवल कोई सांत्वना ही नहीं दी है प्रत्युत उन्हें चिन्ता में पटक दिया है। उन्हें कोई भी सांत्वना नहीं दे सकता है। यथार्थ तो

[डा० कृष्णस्वामी]

यह है कि वित्त मंत्री को देख कर मुझे कवि की इन पंक्तियों का स्मरण हो आता है—

"तुम्हारे व्यग्र मस्तिष्क को शाश्वत चिन्ताएं घेरे रहती हैं, जिन का उद्गम तथा समाधान तुम कभी नहीं ढूंढ सकोगे....."

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली–उत्तर) : मैं इस वर्ष के बजट पर टीका करने खड़ा हुआ हूं। मेरी इच्छा है कि इस वर्ष कुछ अच्छा बजट रखने के लिये वित्त मंत्री की प्रशंसा में मैं भी अपना स्वर मिला दूं। विरोधी दल के कतिपय सदस्यों ने बजट को रुढ़िवादी और कट्टरपंथी कह कर पुकारा है। यदि "कट्टरपंथी" से उन का अभिप्राय यह है कि वित्त मंत्री ने देश में व्याप्त स्थितियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है तो निस्सन्देह ही बजट रुढ़िवादी और कट्टरपंथी से भी बढ़कर है। मैं अनुभव करता हूं कि वित्त मंत्री को पुराने वित्त मंत्रियों की भांति नहीं होना चाहिये जो केवल राजस्व की वृद्धि करना और उसे खर्च करना जानते थे। आजकल वित्त मंत्री को कुछ अंश में राजनीतिज्ञ भी होना पड़ता है और यदि वह राजनीति में निपुण हो सकें तो अच्छा है। सरकार की सामाजिक और राजनीतिक नीतियों की कार्यान्विति उन का काम है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वित्त मंत्री ने जिस रीति से देश की वित्त व्यवस्था संभाली है उस पर हम सब को गर्व है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा रुपया डालर से कुछ सुलभ और स्टर्लिंग से तनिक दुर्लभ है। लेकिन कसौटी के चार विन्दुओं के आधार पर हम बजट की परीक्षा करें तो हमें निराश होना पड़ेगा। यह चार बातें इस प्रकार हैं : क्या बजट ने कर के भार में कमी की है; क्या उस ने जीवनयापन के मूल्य को सस्ता किया है; क्या बेरोजगारी की गंभीर समस्या में उससे कुछ राहत पहुंची है और अन्तिम स्थिति में क्या बजट ने देश के प्रशासन में बचत का प्रयत्न किया है। यह चतुर्थ सारभूत प्रमाप हैं जिन के अनुसार हमें बजट को परखना चाहिये। अब मैं इन बातों पर अलग अलग विचार करूंगा। पिछले भाषण में मैं ने कहा था कि देश में कर लगाने के चार अभिकरण हैं—केन्द्र, राज्य, स्थानीय अधिकारिवर्ग और पञ्चायतें। हमारे देश में प्रति व्यक्ति कर ४० रुपये है। केन्द्र में नवीन करों के रूप में १६ करोड़ रुपये प्राप्त करने के प्रयत्न में हम सम्पूर्ण देश में कर के भार को बढ़ा रहे हैं जो पहले ही करभार से लदी जनता पर अतिरिक्त बोझ है।

कल माननीय मित्र श्री तुलसी दास किलाचन्द ने सुझाव रखा था कि योजना के सम्बन्ध में राज्यों के खर्च पर निगरानी रखनी चाहिये। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कर के मामले में केन्द्र और राज्यों में संनिधा होना चाहिये। कुछ वस्तुओं पर केन्द्र द्वारा कर लगाया जाता है लेकिन उन्हीं वस्तुओं पर राज्यों में कर लगा दिया जाता है। इस का एक उदाहरण वस्त्र है। सुपर फाइन (अति महीन) फाइन (महीन) और मध्यम किस्म के कपड़ों पर उत्पाद शुल्क है और सुपर फाइन कपड़े पर शुल्क लगा कर आप ने उसे बढ़ा दिया है। एक वस्तु पर केन्द्र द्वारा एक रूप में कर वसूल किया जाता है और राज्य द्वारा दूसरे रूप में।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : आप सुपर फाइन कपड़े की बात कह रहे हैं। साधारण व्यक्तियों की क्या हालत है ?

श्री सी० डी० पांडे : मैं साधारण व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी कहूंगा। करारोपण

अतिक्रमण स्थिति में पहुंच गया है और कर लगाने के लिये कोई वस्तुएं नहीं बची हैं। आप ने सुपारी, साबुन और जूतों पर भी कर लगा दिये हैं। पहली मर्तबा इस प्रकार के कर लगाये गये हैं। इन करों से कुल ७,८०,००,००० रुपये प्राप्त होंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अनुचित है कि इतनी छोटी राशि के लिये जनता पर कर लगाये जायें। मैं आप को बता दूं कि आप उपभोक्ताओं को २८ करोड़ रुपये के लगभग की हानि पहुंचा रहे हैं। सुपारी के कर को लीजिये। आपने इस पर तेरह आने प्रति सेर का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि सिंगापुर में सुपारी छै आने सेर मिलती है और वही सुपारी चांदनी चौक में ४ रुपये ८ आने प्रति सेर बेची जाती है। मेरा विचार है कि सुपारी पर कर सब से अधिक है।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़–पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : स्वास्थ्य के लिये खराब है।

श्री सी० डी० पांडे : हो सकता है कि वह स्वास्थ्य के लिये खराब हो लेकिन लोग मूर्खतावश सुपारी खाते हैं, अतः उन की इच्छाओं और आदतों का आदर किया जाना चाहिये। इससे सुपारी के स्वदेशी उत्पादन की कीमत में भी वृद्धि होगी। मैं आप को बता दूं कि दिल्ली, लखनऊ और नैनीताल में लगभग आठ आना प्रति सेर कीमत में वृद्धि हो गई है।

आपने साबुन में प्रति हंडरवेट ६ रुपये ४ आने का कर लगाया है। इस का अर्थ है तीन पैसे प्रति पौंड। एक पौंड में तीन टिकियां होती हैं अर्थात् एक पैसा फी टिकिया। वस्तुतः दुकानदार ठीक एक पैसा ही वसूल नहीं करता है वह दो पैसे वसूल करता है। जो साबुन पहले पांच आने में मिलता था अब वह साढ़े पांच आने में मिलने लगा है। इसलिये यदि आप सुपारी पर कर के रूप में तीन करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो उपभोक्ताओं को वास्तव में १२ करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। यह ९ करोड़ रुपये की राशि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में समाप्त हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अध्यक्ष की ओर सम्बोधन करना चाहिये।

श्री सी० डी० पांडे : यह आप की बहुत पुरानी शिकायत है। मुझे बोलने का अवसर कभी कभी ही मिलता है अतः यदि संसदीय शिष्टाचार के सम्बन्ध में कोई गलती हो जाये तो मैं माफी का हकदार हूं। एक और भी निकृष्ट कर है जिसे मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था कहता हूं। घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी एक प्रकार का कर ही है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि जीवनयापन की कीमत घट रही है लेकिन आंकड़े इस का समर्थन करते नहीं दीखते हैं। जब आप का सन्देश बाहर के जगत में,––बाजारों, खेतों और कारखानों में पहुंचेगा तो लोग हतप्रभ रह जायेंगे। आप जनता के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया देखिये। सचिवालय में काम करने वाले दस हजार व्यक्तियों के दिलों से पूछिये कि बजट के विषय में उन का क्या विचार है। यह कहना सरासर उपहास है कि अवस्थाओं में सुधार हो रहा है। मैं वित्त सम्बन्धी कार्यों का पण्डित नहीं हूं लेकिन मैं यह कह दूं कि अगले वर्ष रुपये की कीमत केवल तेरह आने रह जायेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति को किस प्रकार टाला जा सकता है। मुझे एक गृह-पत्नी की गाथा स्मरण हो आती है जो परिवार के सदस्यों में पांच सेर दूध वितरित करना चाहती है, लेकिन दूध की मात्रा कम होती देख कर उस में आधा सेर पानी मिला देती है। क्या आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में क्या दूध का पोषक मूल्य उतना ही रहेगा ?

श्री अलगू राय शास्त्री : मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस का मूल्य उतना ही रहेगा।

श्री सी० डी० पांडे: अर्थशास्त्र के नियम अगोचर भले ही हों लेकिन वह निराधार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के पन्द्रह मिनिट पूरे हो गये हैं।

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, मैं ने अभी अभी अपना भाषण आरम्भ किया था। कुल मिला कर जन साधारण के जीवनयापन मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था। मैं विशेष रूप से कसौटी की उन चार बातों से बजट को देखने का प्रयत्न करता।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप को अन्य बातों पर इतना नहीं बोलना चाहिये था।

श्री सी० डी० पांडे : बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये और गंभीर प्रयत्न किया जाना चाहिये। लोगों पर भीषण निराशा और गंभीर क्षोभ का वातावरण छा रहा है। वित्त मंत्री को जनता की कठिनाइयों को समझना चाहिये। जनता को उन की लग्न-शीलता और तत्परता की अनुभूति नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह जनता की कठिनाइयां समझेंगे और जनता उन की कठिनाइयों को समझेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संगण्णा। मैं ने गलती कर दी है। मैं श्री सोमना का नाम ले रहा था। कोई बात नहीं : श्री संगण्णा का नाम भी यहां है और उन्हें भी बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : घाटे की वित्त व्यवस्था ग़लत चीज़ नहीं है क्योंकि यह रकम विकास कार्यों के लिये खर्च की जायेगी। जब हमारे विशेषज्ञ वित्त मंत्री यह कहते हैं कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध वह पर्याप्त संरक्षण कर लेंगे तो हमें उन की बात पर विश्वास करना चाहिये। मुझे एक बात और कहनी है। हम ने सुना है कि कुछ बाहरी सहायता ली जा रही है। लेकिन हमें आंतरिक संसाधनों पर भी निर्भर होना चाहिये। मैं श्री गाडगिल की बात से सहमत हूं कि ऊंची आय पर कर लगाने चाहिये। मैं श्री गाडगिल के इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि अधिक आय पर कर लगाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में करारोपण जांच समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि भूतपूर्व नरेशों के पास बहुत ज्यादा धन है। हाल ही में समाचारपत्रों से पता चला है कि हैदराबाद के निज़ाम के पास २०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोकहितकारी राज्य में यह उचित है कि किसी व्यक्ति विशेष को इतने मूल्य की सम्पत्ति संग्रहीत करने की अनुमति दी जाये। राजनीति अथवा राजधर्म यही होगा कि इन लोगों से न केवल और अधिक कर लिये जायें अपितु इन की सम्पत्तियों को भी हाथ में लिया जाय तथा इन्हें इन के बदले में 'बांड' दिये जायें जैसे कि उत्तर प्रदेश में जमींदारों को दिये गये हैं।

योजना आयोग जो महान कार्य कर रहा है, उस की हम सराहना करते हैं। इस सम्बन्ध में सामुदायिक परियोजनाओं का काम विशेष महत्व का है; क्योंकि ग्रामीण जनता भाखड़ा-नांगल तथा दामोदर घाटी जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं से उतना प्रभावित नहीं होती है जितनी कि वह अपने इलाक़े में इन छोटे छोटे रचनात्मक कार्यों से होती है। मेरा अपना विचार यह है कि ग्रामों की स्थिति सुधारने का यह एक प्रमुख उपाय है।

पता चला है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में आयोजन का काम नीचे से अर्थात ग्राम-स्तर

से शुरू होगा । यह निस्सन्देह एक सुन्दर विचार है ।

सामुदायिक परियोजनाओं के कार्य संचालन में इस समय कुछेक दोष पाये जाते हैं । जहां जहां अधिकारी उत्साहपूर्ण हैं वहां बड़ा सुन्दर काम हो रहा है तथा जनता अपना पूर्ण सहयोग दे रही है । लेकिन अधिकांश ज़िलों में स्थिति इस समय यह है कि यह काम ज़िला कलेक्टरों के कार्य-भार में है जिन्हें इस ओर अधिक ध्यान देने का समय नहीं मिलता है । मैं वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि ज़िला-स्तर पर सलाहकार परिषदों में कुछ संसद-सदस्य तथा विधान मण्डलों के सदस्य विनियुक्त किये जाने चाहियें जिस से कि वह सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय समय पर अपना परामर्श दे सकें । इस के अलावा सामुदायिक परियोजनाओं के काम में तथा सरकारी विभाग के काम में यथासमय समन्वय होना चाहिये ताकि आगे के लिए भी ठीक तरह से काम होता रहे । कुर्ग में यह प्रयोग सफल रहा है ।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इन के द्वारा ही हम अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे ।

कहा गया है कि गत वर्ष उत्पादन बहुत अच्छा रहा है । हम तो यह नहीं कह सकते हैं कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ जाने के कारण अथवा क्षेत्र बढ़ जाने के कारण उत्पादन बढ़ गया है । इस का श्रेय मेरे विचार में पर्याप्त वर्षा आदि को है । पड़ती ज़मीनों का अभी तक भी कोई परिमाप नहीं किया गया है । योजना आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिये ।

संचार साधन बढ़ा दिये जाने चाहियें तथा ग्रामीणों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहियें । कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही इन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया है । इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

जहां तक नई करारोपण प्रस्थापनाओं का सम्बन्ध है, मैं इन का समर्थन करता हूं । सुपारी, कृत्रिम रेशम, चमड़े का सामान आदि विलास की वस्तुएं ही समझी जा सकती हैं । (अन्तर्बाधा)

सुपारी पर आयात शुल्क लगा कर यदि सुपारी उत्पादकों के लिए कुछ अतिरिक्त आय की व्यवस्था की गई है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये । सुपारी के पेड़ लगाना तथा उन से सुपारी प्राप्त करना एक कठिन काम है जिस में कि बहुत सा समय लगता है । मुझे सुपारी उत्पादकों से सन्देश मिला है कि आयात शुल्क लगाने के बावजूद सुपारी की कीमतें नहीं बढ़ी हैं क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ी उदारता से आयात लाइसैंस जारी किये हैं जिस से कि देश में बाहर से काफ़ी माल आ रहा है ।

निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी राज्य ने अभी तक अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की है । वह इस सम्बन्ध में विधान बनाने से संकोच करते हैं । केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये :

पता चला है कि कहवे की एक बड़ी मात्रा इस समय देश में बेकार पड़ी है । कहवे का हमारा वार्षिक औसत उपभोग लगभग २२,००० टन है परन्तु कहवा बोर्ड के पास इस समय ३८,००० टन कहवा पड़ा हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहवे की फालतू मात्रा निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिये, विशेषकर जब कि इंगलैंड तथा अमेरिका में इस समय इस की बड़ी मांग है । ब्राज़ील में कहवे की फसल अच्छी नहीं रही है और यही कारण है कि अमेरिका आदि देशों में इस की मांग क्यों बढ़ गई है । मैं सरकार से

[श्री एन० सोमना]

प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ५००० टन कहवा तुरन्त ही निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिये । इस से सरकार को भी निर्यात शुल्क के रूप में फायदा होगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, मैं ने बजट को पढ़ने का प्रयत्न किया परन्तु आंकड़ों की भरमार देख कर मेरे सिर में दर्द होने लगा । माननीय मंत्री जान बूझ कर इस में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े देने की कोशिश करते हैं जिस से कि मुझ जैसे व्यक्ति बजट की आलोचना करने में बिल्कुल असमर्थ रहें ।

कांग्रेस पक्ष में से श्री पांडे और श्री गाडगिल को छोड़ कर किसी भी सदस्य ने बजट की आलोचना नहीं की । इस का एक कारण यह भी है कि कुछ लोगों की यह आदत बन गई है कि वह वित्त मंत्री की प्रशंसा करते रहते हैं । उन के मतानुसार वित्त मंत्री सदा गलती से परे हैं । मैं हैरान हूं कि आखिर इस बजट में ऐसी क्या बात है जिस के लिए कि वह वित्त मंत्री की इतनी प्रशंसा कर रहे थे ।

मैं जानना चाहता हूं कि जनसाधारण में उत्साह पैदा करने के लिए बजट में क्या कुछ रखा गया है । श्री पांडे तथा श्री गाडगिल ने सदन में जो कुछेक बातें कही हैं, उन को मैं समझ सकता हूं । मेरे विचार में श्री देशमुख ने जो बजट पेश किया है, उस से संकट, भ्रष्टाचार तथा विपदा ही उत्पन्न होगी । इस का प्रभाव कई वर्गों पर पड़ा है परन्तु धनी वर्गों पर सब से कम पड़ा है । मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के लिए क्या कुछ कार्यवाही की गई है

उन्हों ने बजट के पैरा ३ में कहा है कि युद्ध के बाद भारत अन्य देशों की तरह सामान्य स्थिति पर आ रहा है । ब्रिटिश शासन काल में हमारी सामान्य स्थिति क्या रही है—भूख, बीमारी, विपदा आदि । हमारी अर्थ-व्यवस्था की सामान्य स्थिति यही रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यही 'सामान्य स्थिति' फिर बहाल हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन विपदाओं के निवारण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ।

जहां तक ग्रामीण बेकारी का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री इस पर तनिक ध्यान देने के लिए भी तैयार नहीं । जब वह बेकारी की बात करते हैं तो उन के सामने नगरों में फैल रही बेकारी अथवा शिक्षितों की बेकारी का रूप ही आ जाता है । उन्होंने इस सम्बन्ध में नौकरी दिलाऊ केन्द्रों तथा उनमें दर्ज उम्मीदवारों का भी जिक्र किया है । किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेकारों के साथ क्या बीत रही है । वे निरक्षर हैं, बिना किसी संस्था के हैं और वे यह भी नहीं जानते कि कैसे अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए । भाग्यवाद और अन्धविश्वास ने उन को और भी दब्बू बना रखा है, यहां तक कि वे चुपचाप सारी आपत्तियां झेलते रहते हैं । ग्रामीण बेकारी की ओर निर्देश करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा है कि ग्रामीण भारत की मौलिक समस्याओं में यह भी एक समस्या है कि कृषि-क्षेत्र में बहुत ही अधिक बेकारी और काम की कमी है—इतना ही नहीं उत्पादन-क्षमता भी बहुत ही कम है । इस के परिणामस्वरूप वहां का जीवन-निर्वाह स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । इसी दोष को उन्होंने हमारी अर्थ नीति की सब से बड़ी और गहन त्रुटि माना है । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का वक्तव्य संतोषप्रद नहीं है । उन के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन उद्योगों का पूरा पूरा विकास हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से

बेकारी दूर हो जाय । श्रीमान्, आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या का लगभग ६९ प्रतिशत कृषि पर ही जीवित है । जनगणना की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन ६९ प्रतिशत में से--अर्थात् २४ करोड़ ९० लाख लोगों में से--१४ करोड़ ७० लाख लोग तो कुछ भी नहीं कमाते--वे तो आश्रित हैं, जिस का यह अर्थ है कि वे भी बेकार हैं । मैं सविनय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे भारत की इस करोड़ों जनता के लिये कौन सी तत्काल सहायता देना चाहते हैं । शिक्षित बेकार तो प्रेस और प्लेटफार्म के माध्यम से हो हल्ला मचा कर अवश्य कोई न कोई काम करा सकते हैं, किन्तु इन बेचारों का क्या हो सकता है । इसीलिए, मैं इस बात पर ज़ोर देता रहा हूं कि ये अशिक्षित लोग ही वास्तव में पीड़ित हैं । इतनी विशाल जनता का बेकार रहना ठीक नहीं । सरकार को किसी भी दिन इन लोगों की ओर से धक्का पहुंच सकता है । हम कहा करते हैं कि साम्यवादी ही इस देश में क्रान्ति करेंगे, किन्तु मुझे दीख रहा है कि हमारे वित्त मंत्री और उन की मिली-जुली अर्थनीति ही उस क्रान्ति का सामान जुटा रही है । जब तक कोई ऐसा तत्काल काम नहीं किया जाता जिस से देश की अर्थनीति ठीक हो, तब तक स्थिति सुधर नहीं सकती ।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि, दुर्भाग्यवश प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की मूल्यवान रिपोर्टों को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है । चूंकि आप प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के नाते इस सदन की ओर से राज्यकोष के निगरानी करने वाले हैं, अतः आप इस प्रकार की प्रथा चलाइए कि इन समितियों की रिपोर्टों पर पूरी पूरी चर्चा हो । श्रीमान्, में इन रिपोर्टों को पढ़ कर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बजट किये गये अनुदान से व्यय कुछ ज्यादा हो गया है । बजट किये गये अनुदान पर कुछ बचत है किन्तु उसे समय पर सरकार को नहीं सौंपा जा रहा है । मैं उन सब बातों को यहां नहीं गिना सकता किन्तु इतना बता देना चाहता हूं कि लोगों में इस की यही आलोचना की जा रही है कि भ्रष्टाचार और अकार्यक्षमता के साथ आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भरे पड़े हैं । "अधिक अन्न उपजाओ" के बदले अब हम अधिक अफसर बनाओ की नीति पर चल रहे हैं । जब भी कोई शिकायत होती है तो कमेटियां नियुक्त की जाती हैं, और होता क्या है कि एक बड़ी संख्या में पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जिस के परिणामस्वरूप परिवार-पोषण, पक्षपात और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाता है । और जब भी ये कमेटियां किसी का दोष सिद्ध कर देती हैं तो विभाग वाले उसे दोषमुक्त बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं ।

पाक-अमरीकी सन्धि से हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा । स्वयं मैं और विरोधी पक्ष के अन्य सदस्य पंडित जी से इस मामले में सहमत हैं और इस खतरे को दूर करने के लिए अपनाई गई उन की नीति का पूरा समर्थन करते हैं । अमरीका का यही उद्देश्य है कि साम्राज्यवाद बना रहे--वह श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को नहीं चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति एशियाई देशों की दासता समाप्त करना चाहता हो, वह अमरीका को कैसे पसन्द आये । अमरीका यह भी नहीं चाहता कि श्री जवाहरलाल उन के गुट से बाहर रहें । यह तो दबाव डालने की एक चाल है जो वे अब चल रहे हैं । मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्या कहूं ! वहां लोगों ने सामन्तशाही और प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध क्रान्ति शुरू की है । पूर्वी बंगाल के निर्वाचनों के परिणाम से इस बात का स्पष्टीकरण होगा कि वहां क्या हो रहा है । स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध जहां इस प्रकार का संघर्ष चल रहा हो वहां संघर्षियों के साथ हमारी सहानभूतियां होनी

[श्री एस० एस० मोरे]

चाहियें। मेरे मान्य मित्र श्री एन० सी० चटर्जी, ए० जी० देशपांडे और डा० एन० बी० खरे का कहना है कि रक्षा के साधनों को बढ़ाया जाय। भला, यह कैसे हो सकता है। आप आधुनिक युग के शस्त्रास्त्रों को देखिये। वर्ष भर के बजट के पैसे से भी हम दर्जन भर विध्वंसक और पनडुब्बियां या एम-जी प्रकार के लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकते। मैं जंगखोर नहीं हूं और न चाहता हूं कि संसार में युद्ध की सनसनी फैल जाये। हम रक्षा पर अधिक पैसा नहीं खर्च सकते, न तो हाथ पर हाथ धर कर बैठ सकते हैं। आखिर, हम क्या करें? श्री देशपांडे का सुझाव है कि हमें अपने नव-युवकों को प्रशिक्षित करना चाहिए—ठीक है, किन्तु किसी विध्वंस के लिए नहीं, अपितु रचनात्मक कार्य के लिए मैं आईजनहावर की इस बात से सहमत हूं कि सैनिक तैयारियों की अपेक्षा हमें आर्थिक क्षेत्र में तैयार रहना चाहिए।

हमारा एक विशाल देश है जिस में असीमित बाहुबल है, जनसंख्या है, किन्तु है यह एक निर्धन देश। जहां तक धन-समृद्धि का सम्बन्ध है, हम इतने निर्धन हैं कि किसी भी देश के साथ युद्ध सामग्री जुटाने में होड़ नहीं ले सकते। हमें नैतिक रूप से, और अनुशासित ढंग से तैयार रहना चाहिए। सेना तो पेट के सहारे चलती है। यदि देश को ज़रा भी ख़तरा पहुंचा, तो यहां के युवकों, कृषकों और कमकरों को उस समय लड़ना पड़ेगा—वे लोग नहीं लड़ेंगे जो वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय से अनुज्ञप्तियां निकाल कर व्यापार में लगे हैं। हमारे भावी युद्धवीरों को आप पालिये—और हर एक गांव को आप एक सेना की टुकड़ी समझिए—आप का यही प्रयत्न होना चाहिये कि हर एक गांव में हर्ष और सन्तोष बना रहे।

श्री ए० घोष (बर्दवान) : विगत चार वर्षों में राष्ट्रीय निर्माण तथा कल्याण के विभागों में होने वाले व्यय में निरन्तर वृद्धि करने के कारण मैं श्री सी० डी० देशमुख का प्रशंसक बन गया हूं और इस आयव्ययक के लिए उन की प्रशंसा करता हूं। कुछ आंकड़ों की तुलना से इस तथ्य का पता चल जायेगा; १९५०–५१ में शिक्षा पर ३·२ करोड़ रुपये व्यय हुए थे, १९५४–५५ में १२·८ करोड़ व्यय होने जा रहे हैं अर्थात् ३०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इन्हीं वर्षों में वैज्ञानिक विभाग के व्यय में १०२ प्रतिशत (४·३ करोड़ से ८·७ करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है, चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य के व्यय में ९५ प्रति शत (२·०० करोड़ से ३·९ करोड़) की वृद्धि हुई है, कृषि के व्यय में ११७ प्रति शत (२·३ करोड़ से ५ करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई है, उद्योगों के व्यय में ११३ प्रति शत (६·५ करोड़ से १३·९ करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई है और आदिम जाति कल्याण के व्यय में १९६ प्रतिशत (१·६ करोड़ से ४·४ करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वाधीनता के समय हम ने दायित्वों के साथ कार्यभार संभाला था। फिर अविकसित और युद्ध की घोषणा करने वाले देश घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाते ही हैं और हम ने देश के विकास के लिए निर्धनता और आलस्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है।

योजना के लिए निश्चित किये गये २२०० करोड़ रुपए में से १००० करोड़ व्यय हो चुके हैं। जिस के लिए वित्त मंत्री हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। एक लोक कल्याण राज्य के आयव्ययक की आलोचना हमें यही बात ध्यान में रख कर करनी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण विभागों पर कितना व्यय हो रहा है।

बंटवारे के बाद हमारा राज्य पश्चिमी बंगाल तीन भागों में बंट गया है, और उत्तर के तीन ज़िला का और मध्यके ज़िलों का प्रधान केन्द्र से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है और संचार की

इस समस्या की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । पूर्वी बंगाल से लगभग ३५ लाख विस्थापित व्यक्ति इधर आये हैं और पंजाब की अपेक्षा गुरुतर समस्या यह है कि उस ओर कुल १५ लाख व्यक्ति ही गये हैं । मैं जोर दे कर बता देना चाहता हूं कि इतने व्यक्तियों को बसाने की सामर्थ्य हमारे राज्य में नहीं है, और केन्द्रीय सरकार को इन निराश विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।

फिर कलकत्ता बन्दरगाह, जो केन्द्र को ५० प्रतिशत निर्यात राजस्व और ३० प्रतिशत आयात-राजस्व देता है, गंगा की मुख्य शाखा से हुगली में पानी न जाने के कारण खतरे में पड़ गया है और केवल ज्वार-भाटे पर ही निर्भर रहता है । मुर्शिदाबाद ज़िले में फरक्का के निकट गंगा नदी में एक बांध (बैरेज) नितांत आवश्यक है । इस से उत्तर और मध्य के ज़िले संचार की दृष्टि से जुड़ जायेंगे और कलकत्ता बन्दरगाह को गंगा से पानी मिलता रहेगा । प्रधान केन्द्र से उत्तरी ज़िलों तक जाने के लिए या तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है या एक पड़ोसी राज्य से हो कर, जो बंगला भाषा और बंगाल से घृणा करता है और इस प्रकार सत्तासीन दल के महान् आदर्शों को कलुषित करता है और हमारे राज्य को कोई सहायता नहीं देना चाहता । अतः इस बांध योजना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

दामोदर घाटी, चितरंजन, सिंदरी, आदि परियोजनाओं की भी भारी आलोचना की गई है, परन्तु मेरा निवेदन है कि इन परियोजनाओं को यथार्थतः देख कर ही कुछ आलोचना करनी चाहिए । वित्त मंत्री को शिक्षित व्यक्तियों के अज्ञान और अशिक्षितों के आलस्य इस प्रकार दुहरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतः मैं इस आयव्ययक के लिए उन्हें बधाई देता हूं ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : जैसा वित्त मंत्री ने बताया है, विगत दो वर्षों में २३०–२४० करोड़ रुपयों के नोट छाप कर अर्थव्यवस्था की गई थी, और उस का देश पर कोई विशेष बुरा प्रभाव न पड़ा था, अतः इस वर्ष २५० रुपयों के घाटेवाली अर्थव्यवस्था कोई अद्भुत बात नहीं है और डा० कृष्णस्वामी द्वारा नियंत्रणों का समर्थन तथा साम्यवादी दल के उपनेता की आलोचना उचित नहीं है ।

घाटे वाली अर्थव्यवस्था की मुख्य कसौटी मुद्रा प्रसार है । १९५१ की तुलना में १९५२ में १५० करोड़ रुपये से अधिक की मुद्रा की कमी हो गई थी, पर तब से कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । १९५२ में यह १८०५ करोड़ रुपए और मार्च, ५३ में १८४१ करोड़ रुपये थी, २६ फरवरी, १९५४ को यह १८४५ करोड़ हो गई । सारांशतः वृद्धि उतनी नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिये थी ।

अतः मेरे विचार से इस में कोई खतरा नहीं है । परन्तु अल्पकालीन धन-दरों में निरन्तर होने वाली वृद्धि की ओर मैं उन का ध्यान आकर्षित करूंगा : १९४८ में यह दर ।। प्रतिशत थी और यह १९५२ में २ $^{१}/_{३२}$ प्रतिशत, १९५३ में २ $^{१}/_{४}$ प्रतिशत, और जनवरी, १९५४ में २ $^{७}/_{८}$ प्रतिशत हो गई । उसी प्रकार राजकोष-विपत्रों की ब्याज-दर भी बढ़ रही है । गत वर्ष यह रु० २–८–० थी और पिछले सप्ताह यह रु० २–११–० हो गई है । पर राजकोष विपत्रों द्वारा रुपया लेने से अल्पकालीन-संभरण की ब्याज-दर बढ़ रही है । मैं सुझाऊंगा कि रु० २–८–० या रु० २–१२–० की ब्याज दर से कुछ निश्चित किये गये समय के लिए रिजर्व बैंक को दी गई तदर्थ-प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण लेने का प्रयत्न किया जाये ।

[श्री मुहीउद्दीन]

. योजना आयोग ने स्पष्ट माना है कि प्रथम दो वर्षों में आर्थिक-विकास की प्रक्रिया चालू ही हो सकेगी। परन्तु तीसरे चौथे वर्षों में भी पूरा-पूरा आर्थिक सुधार न हो सकेगा ।

श्री मोरे ने देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारों को सहायता न देने के लिए आयव्ययक की आलोचना की है, परन्तु विकास पर व्यय होने वाले धन का ८० प्रतिशत से अधिक अंश देहातों में रोज़गार और पूरा पूरा काम देने के लिए व्यय होता है और सिंचाई-व्यवस्था में सुधार होने से भी यह संभव हो सकेगा। हमारी जनसंख्या प्रति सौ वर्ष में १·४ प्रतिशत बढ़ जाती है और प्रति वर्ष ५–६ प्रतिशत की बचत वर्तमान स्तर को ही बनाये रख सकेगी। अतः इस वर्ष २५० करोड़ रुपये की और पूरे योजना-काल में ६०० करोड़ रुपये की घाटे वाली अर्थव्यवस्था हमें इस चक्र को तोड़कर विकास करने में सहायता देगी ।

माननीय वित्त मंत्री ने द्वितीय सदन में कहा था कि लगभग ९० प्रतिशत योजना पूरी हो जायगी। परन्तु एक त्रुटि की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। बड़ी परियोजनाओं जैसे तुंगभद्रा परियोजना के सिंचाई क्षेत्र में एक नई समस्या पैदा हो जायगी। इस क्षेत्र को विकसित करने में ३००–४०० रुपए प्रति एकड़ व्यय होंगे। इस प्रकार तुंगभद्रा के सिंचाई-क्षेत्र के ४–४ १।२ लाख एकड़ों के विकास के लिए १५ करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिन के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है न हैदराबाद सरकार ही इतना व्यय कर सकेगी। इस प्रकार सिंचाई न हो सकेगी, और प्रत्याशित फसलें न हो सकेंगी ।

उत्पादन मंत्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रमों के लिए १९५३–५४ में रु० ३,४५,९५,००० का उपबन्ध किया गया था, पर पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार रु० १,०३,२०,००० ही व्यय हुए हैं। इस राशि के व्यय न हो सकने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस वर्ष इसी मद के लिए १४,४३,७९,००० रुपये रखे गये हैं। परन्तु उन के बारे में बहुत कम सूचना दी गई है। उक्त मंत्रालय के संक्षिप्त विवरण में मार्च, १९५३ तक सिंदरी में २७१ लाख रुपये के लाभ का उल्लेख किया गया है। मुझे पता चला है कि सिंदरी पर कुल व्यय २५,४० लाख और विकास पर ११३ लाख व्यय किया गया है, जो अधिक है। इस प्रकार हम अपनी परियोजनाओं में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा रहे हैं। अन्य उपक्रमों के बारे में भी पूरी-पूरी जानकारी नहीं दी गई है। आशा है, उत्पादन मंत्रालय हमें पूरे विवरण बता दिया करेगा, जिस से हम प्रगति की बात जान सकें ।

साबुन कारखानों के बारे में जैसा कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बताया था, १,९४,००० टन की कुल परिसामर्थ्य में से ६०,००० टन ब्रिटिश फर्मों के हाथ है और वही पूरी परिसामर्थ्य तक उत्पादन कर रही हैं। भारत के दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग वनस्पति उद्योग की परिसामर्थ्य ३,५०,००० टन बताई जाती है और उन में से विदेशी फर्में अपनी परिसामर्थ्य के ८०–९० प्रतिशत का उत्पादन कर रही हैं, जब कि देशी फर्में ५० प्रति शत ही उत्पादन कर रही हैं। साथ ही ४७,००० टन परिसामर्थ्य वाली ९ फर्में बन्द हो गई हैं। आशा है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस समस्या पर ध्यान देगा कि विदेशी फर्मों के पूरी परिसामर्थ्य तक काम करने और देशी फर्मों के ५० प्रतिशत तक भी काम न कर सकने का कारण क्या है ?

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): विगत चार वर्षों से गांव में रहने के कारण मैं ग्रामवासी बन गया हूं और उसी दृष्टि से

आयव्ययक के बारे में अपनी बात कहूंगा । माननीय मंत्री के भाषण के अन्त में यह सुन कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ था कि देश की मुख-छवि परिवर्तित हो कर सुन्दरतर होती जा रही है । कौन नहीं चाहता कि मां का मुख सुन्दर हो ? उस से सन्तानें सुन्दर होंगी । परन्तु भारत माता के मुख पर कुछ भद्दे दाग हैं और जब तक पिछड़े वर्गों और जातियों के इन भद्दे दागों को दूर नहीं किया जाता, उस का मुख सुन्दर न लग सकेगा । देश की महत्ता सीमा या जन-संख्या के परिमाण में नहीं, बल्कि व्यक्तियों की विशेषता और महानता में निहित होती है । पंचवर्षीय योजना देश का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, परन्तु हमारी जन-संख्या का एक चौथाई से अधिक समुदाय पूर्णतः अविकसित है । पंचवर्षीय योजना में भी उन के ऊपर सब मिला कर कुल ४५ करोड़ रुपये व्यय होने जा रहे हैं । आयव्ययक-भाषण में बताया गया था कि उन के ऊपर जो राशि गत वर्ष व्यय होनी चाहिये थी पूरी-पूरी व्यय नहीं हो सकी थी । इन सामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए हमें पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए । अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के विकास के हेतु दस वर्ष के लिए सुविधाएं दी गई हैं, परन्तु इस चाल से तो १०० वर्षों में भी वे अन्य नागरिकों के समतल पर न आ सकेंगे ।

शरणार्थियों के पुनर्व्यवस्थापन पर ७२ लाख रुपये व्यय होते देख मुझे हर्ष हो रहा है । परन्तु इन अस्थायी शरणार्थियों के अतिरिक्त कुछ स्थायी सामाजिक शरणार्थी भी हैं और उन को भी फिर से बसाना होगा । आज आप एक अनुसूचित जाति वाले की झोंपड़ी की दशा देखें--२० × १० वर्गफीट के स्थान में एक दर्जन मानव और आधे दर्जन पशु साथ-साथ रहते हैं ।

अशोक चक्र और सिंहों का चिह्न तो आपने अपनाया है, परन्तु आप को यह भी याद रखना चाहिए कि आदिमजातियों के लिए अशोक ने एक पृथक् मंत्रालय खोला था । सरकार को भी अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों की वास्तविक दशा जानने के लिए एक पृथक् मंत्रालय बनाना चाहिए ।

श्री राजभोज को सदन में कुछ कहते सुन कर हमें बुरा लगता है, परन्तु हम ने पीढ़ियों से इन लोगों को भूखा-नंगा रखा है । अतः आज यदि वे कुछ कहते हैं, तो हमें बुरा न मानना चाहिए । उच्च जातिवालों पर कुछ कर लगना चाहिए, जिस से इन लोगों का विकास किया जा सके । हमें स्वराज्य की नई भावना के साथ इन शोषितों के प्रति कुछ नई बात करनी चाहिए और नया आदर्श रखना चाहिए । संपदा शुल्क से संचित होने वाली राशि, जो प्रायः उच्च लोगों से ली जायेगी, इन लोगों में बांटी जानी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों की समस्या वास्तव में आर्थिक है तथा उनका मुख्य दोष निर्धनता है । वास्तविकता यह है कि अस्पृश्यता के इस प्रश्न को सुलझाना बड़ा ही कठिन है क्योंकि निर्धन होने के कारण वे इस स्थिति में हैं । मैं अपना एक अनुभव, सुनाता हूं । मैं अपने एक भाई को अपने कमरे में नहीं आने देता--वह चार या पांच दिन तक स्नान नहीं करता है, जो चाहता है खाता है और गन्दे कपड़े पहने घूमता रहता है । यदि अपने सगे भाई के प्रति मेरी यह प्रतिक्रिया है तो आप समझ सकते हैं कि एक हरिजन भाई के प्रति, जिसे कपड़े धोने को पानी नहीं मिलता है तथा जो भी मिलता है खाता है, मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी ? जब मैं किसी भंगी को दूरी पर देखता हूं तो अपना सुगंधित रूमाल निकाल कर अपनी नाक पर रख लेता हूं । यही मुख्य कारण है कि अनुसूचित जातियों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है । भंगी बस्ती में हमारे जाने तथा वहां ठहरने से कोई लाभ

[श्री खर्डेकर]

नहीं है परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भंगी बस्तियां अवश्य मिटा देनी चाहियें और वे विस्तृत रूप में जाति का एक भाग होना चाहियें ।

उनकी मुख्य मांग यह है कि मन्दिर खुले रखे जायें । इससे बहुत सी कटुभावनायें उत्पन्न हो गई हैं और बहुत से सनातन धर्मियों ---हिन्दू महासभा या राम राज्य परिषद् के सदस्यों---की भावनाओं पर आघात हुआ है । यदि मैं हरिजन होता तो कहता कि, "मेरा ईश मन्दिर में बन्द नहीं है : वह तो वहां है जहां जोतने वाला अपनी भूमि जोत रहा है तथा जहां मार्ग बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है ।" यदि मैं अपने ईश का मन्दिर चाहता हूं तो मैं अपना मन्दिर बनाऊंगा । हम इन मन्दिरों के खुलने के बारे में क्यों परेशान हों और क्यों कटुभावनायें उत्पन्न करें ? यदि उच्च जाति वालों में कटु भावना उत्पन्न हो जाती है तो अनुसूचित जाति वालों को काम तथा अन्य सुविधायें कौन देगा ? अतः आप या तो उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बना दें और या सनातनधर्मियों की भावनाओं पर आघात न करें ।

मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि हमें अपने कर्त्तव्य का पालन तथा इन व्यक्तियों के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट है उसकी बड़ी आलोचना, मधुर आलोचना और कड़ी आलोचना, यहां कई दिन से हो रही है और आज भी अंग्रेज़ी भाषा में अब तक अनेक भाषण हुए हैं यह पहले पहल मैं आज के वाद विवाद में हिन्दी में बोल रहा हूं । मैं नहीं जानता कि कितने भाइयों के पल्ले मेरी बातें पड़ेंगी, क्योंकि उन को अभ्यास अंग्रेजी का है, हिन्दी का नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी वाले ज़्यादा हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : मेरी विवशता यह है कि मैं अपने विचारों को हिन्दी में ही रख सकता हूं और मैं यह कर्त्तव्य भी समझता हूं कि जब हिन्दी को हम ने अपनी राज्य भाषा और राष्ट्र भाषा का स्थान दिया तो उसका प्रचार भी होना चाहिये और उसमें इस भवन के अन्दर अधिक भाषण भी होने चाहियें ।

मुझे बजट के आंकड़ों पर कुछ नहीं कहना है । बजट इसी तरह से बनते हैं, कुछ आमदनी होती है और कुछ खर्च होता है, कुछ आय, कुछ व्यय । आय की भी भिन्न भिन्न मदें होती हैं और व्यय के भी भिन्न भिन्न खाते होते हैं । इस प्रकार कोई नयी बात, अलौकिक और नयी अदृष्टपूर्व और अश्रुतपूर्व बात कोई फायनैन्स मिनिस्टर लाकर रख दे किसी बजट में, यह सम्भव नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पल्ले कुछ नहीं पड़ता ।

श्री अलगू राय शास्त्री : पड़ेगा धीरे धीरे ।

अब इस दृष्टि से देखें तो बजट के सामान्य वाद विवाद में कुछ मौलिक नीतियों के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया जा सकता है और उससे अनुरोध किया जा सकता है कि जब वह जनता का धन इस तरह अपने खजाने में, अपने कोष में लेती है, तो उस के व्यय को इस तरह चरितार्थ करे कि उससे अधिक लोक सेवा हो और समाज उन्नति की ओर जाय । इसी दृष्टि से कुछ सुझाव मैं यहां रखना चाहता हूं ।

पहली बात जो मुझे कहनी है और जिसका मुझे बड़ा भारी महत्व मालूम होता है वह यह है कि जहां स्वराज्य होने के बाद स्वर्गीय सरदार पटेल ने बहुत सी देशी रियासतों को मिलाया, एक किया, और वह टुकड़े टुकड़े

मिल कर कुछ बड़े टुकड़े बने, वहां आज छोटी छोटी बातों को सामने रख कर नन्हीं नन्हीं बातों में पड़ कर हम भाषावार प्रांतों की मांग करते हैं और एक आयोग की नियुक्त भी इस सम्बन्ध में हो गयी है । छोटे छोटे प्रदेशों का निर्माण कर के हमने लाखों विधान सभाओं के सदस्य, हज़ारों मन्त्री और सैकड़ों मुख्य मन्त्री बनाने की व्यवस्था की है । यह सब जनता के ऊपर शासन का भार बढ़ाती है । हमें नहीं चाहिये कि हम छोटे छोटे प्रान्तों की संख्या बढ़ायें और इस भाषा के भेद को लेकर देश के और भी टुकड़े करें । यहां पर जब मुस्लिम साम्राज्य था तो छोटे छोटे टुकड़ों को बना कर लोग अपनी नवाबी देश में फैला कर इस देश को रसातल में ले गये । भेद को फैलाने वाली और आपसी भेद को बढ़ाने वाली कोई भी योजना चालू नहीं होनी चाहिये । आयोग का ध्यान इस ओर जाना चाहिए । सरकार को भी अपनी नीति इस तरह से निर्धारित करनी चाहिये कि जो प्रदेश हैं उन की सीमा बड़ी हो । २०० से कम जहां की विधान सभा के सदस्य हो सकते हों, ऐसा प्रदेश अपने खर्चे को आप चलाने वाला नहीं हो सकता । केन्द्र से खर्चा देकर, सबसिडी देकर, छोटी छोटी स्टेट्स को चलाते रहना न किसी प्रकार से श्रेयस्कर है और न उससे जनता का कोई लाभ है और न ही कोई वहां बड़ी योजना चलाई जा सकती है । छोटे क्षेत्र में छोटी भावनाएं जागृत होती हैं । तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भाषा के कारण जो भेद फैला कर देश के टुकड़े करने की भावना है, छोटे छोटे हिस्सों में देश को जो बांटने की भावना है, इसको रोकना चाहिये ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

दूसरी बात जो मेरे सामने है, उस को मैं इस तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति के परिणामस्वरूप हम ने कोरिया में जो दृष्टिकोण लिया वह एक शानदार दृष्टिकोण था ।

हमारी शान्ति सेना ने वहां भारत का गौरव बढ़ाया । पाकिस्तान को अमरीका ने जो प्रोत्साहन दिया पिछड़े हुए राष्ट्रों को बढ़ाने के लिए उनके विकास के लिये सहायता देना श्रेयस्कर है किन्तु जो अविकसित अवस्था में हैं, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, विशेष कर आर्थिक दृष्टि से, उनको लड़ने के लिये आमादा कर देना उनको लड़ाई का सामान मुहैया कर देना यह उनके विकास को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, ऐसा करके तो उनके लिये पूरे विनाश का मार्ग खोल देना है । इसमें भी जो दृष्टिकोण हमने अपनाया वह श्रेयस्कर और प्रशंसनीय है, उससे राष्ट्र जागरूक हुआ है, उसके गौरव को ठेस लगी है और जिसको बड़े ओजस्वी शब्दों में हमारे राष्ट्र नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था । मैं इस विषय में अपनी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और एक सावधानी का शब्द कह देना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति बड़ी जागरूक और बड़ी सतर्क होनी चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि हम तटस्थों को शत्रु न बनावें और मित्रों को तटस्थ न बनावें । हमारी नीति यह होनी चाहिये कि जो आज शत्रु हैं हम इस तरह से बर्ताव करें, और इतने सतर्क हों कि वह कम से कम तटस्थ तो बन ही जावें और जो आज तटस्थ हैं उनके सम्बन्ध में हमारी नीति ऐसी हो कि वह हमारे साथ मित्र की तरह व्यवहार करें । जहां हमने अपने गौरव के अनुकूल अब तक क़दम बढ़ाया है और जो कुछ हमने किया है उससे भारत का गौरव बढ़ा है, वहां यह भी देखना ज़रूरी है और वैदेशिक नीति निर्धारित करते समय हमारे सामने यह गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिये कि हम असावधानी में

[श्री अलगु राय शास्त्री]

कहीं ऐसी बातें न कर जायं जिससे हमारे दोस्त शत्रु बनते जायं। और जो हमारे मित्र लोग हैं वह तटस्थ बनते जायं। हमारी पालिसी तो इस प्रकार चलायी जानी चाहिये जिससे जो तटस्थ हैं वह हमारे मित्र बन जायं और शत्रु तटस्थ हो जायं। विशेष रूप से इस बात की सावधानी हम को मुस्लिम राष्ट्रों के प्रति बर्त्तनी चाहिये, हमारे वैदेशिक विभाग का प्रचार इस दिशा में इतना गहरा गम्भीर और विशद होना चाहिये कि किसी प्रकार का भ्रम हमारी भावनाओं और आकांक्षाओं के बारे में उल्टा न पड़ने पाये, इसमें हम को सतर्क रहना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि काश्मीर समस्या पिछले ६, ७ वर्षों से उलझी हुई पड़ी है। वहां की संविधान परिषद् ने अपना एक निर्णय दे डाला है, मगर चीज़ें वैसे ही चली जा रही हैं, तलवार लटक रही है और कोई हल होता नहीं दीखता। वहां पर हमारी फौजें भी घिरी हुई हैं, काश्मीर के बारे में यह जो एक अनिश्चितता की अवस्था आज वर्षों से चली आ रही है, उसकी समाप्ति की कोई सीमा होनी चाहिये और अब वह अवस्था समाप्त होनी चाहिये। काश्मीर का जनमत काश्मीर की जनता जिसने व्यस्क मताधिकार पर अपने यहां चुनाव किये, वहां की संविधान परिषद् का निर्णय हो गया, अब कौन सी पंचायत दुबारा बैठ कर उस प्रश्न का निर्णय करेगी, संविधान परिषद् ने काश्मीर के भविष्य का निबटारा तो कर दिया और इसलिये वह प्रश्न समाप्त सा मानना चाहिये वह तो विवाद हल हो गया, सब बात समाप्त हो गयी, काश्मीर की जनता जहां है वहीं है उसके न इधर जाने का प्रश्न है न उधर जाने का प्रश्न है, उसने अपना भाग्य सदा के लिये भारत के साथ जोड़ने का निश्चय कर लिया है और इस विवाद को अब हमें हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहिये, और काश्मीर का प्रश्न जो एक मेलटिंग पौट में पड़ा हुआ है, वह समाप्त होना चाहिये।

सैनिक संगठन की बहुत आवश्यकता है और यह निर्विवाद है कि सैनिक संगठन जिस राष्ट्र का प्रबल नहीं है वह राष्ट्र नहीं टिक सकता। व्यक्ति अवश्य अहिंसा के आधार पर संसार को चला सकते हैं, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो अपने त्याग और तपस्या से इस पृथ्वी को हिला दे, मगर जहां पूरे राष्ट्र के पुण्य और पाप का सन्तुलन होता है वहां पर राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है और उसके लिये प्रदर्शनात्मक ढंग से सेना की तैयारी को बताने की आवश्यकता नहीं है, अब जैसे कुछ राइफल क्लबस खोल दिए, उस से काम बन नहीं सकता, वह केवल प्रदर्शन की बात है। हीरा गुदड़ी में भी पड़ा हो तो भी हीरा रहता है।

"हीरापाया गांठ गठिआया—
बार बार वाकों क्यों खोले ?
प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं।"

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): सरकार की तरफ़ से राइफल क्लब्स नहीं चल रहे हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री: जी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी शक्ति सचमुच दृढ़ है तो हम एक विशाल राष्ट्र कहलाने योग्य हैं। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि और कमी नहीं आनी चाहिये, उस दिशा में हम को पूरा सावधान रहने की आवश्यकता है। सैन्यबल बढ़ाने के सम्बन्ध में हम यह नारा नहीं दे सकते कि आत्मबल से और आध्यात्मिक शक्ति से हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। उस ओर मैं अपनी सरकार को जागरूक करना चाहूंगा, सरकार को पूरी सतर्कता और सावधानी से हम को जो वर्त्तमान

युग है उसके अनुरूप अपने सैन्यबल को संगठित करना चाहिये ।

"निर्हस्ताः नः शत्रवः ।"

हमारे शत्रु निरस्त्र हों, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले पछतायें और हम आक्रमण करने वाले न हों, किन्तु किसी भी आक्रमण को रोकने की हम में शक्ति और क्षमता हो, ऐसा हमारे राष्ट्र का लक्ष्य होना चाहिये ।

दो शब्द शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

हमारी शिक्षा की जो आज विधि है वह ऐसी है कि जिसमें हम प्रतिवर्ष हज़ारों और लाखों की तादाद में पढ़े लिखे आदमी पैदा करते जाते हैं, लाखों की तादाद में लिटरेट बनते हैं, शेक्सपियर के नाटक पढ़ते हैं, कालीदास और भवभूत छोड़ दिये गये, कीट्स, शैले, शैक्सपियर और बाइरन यह हमारे ऊपर सवार हैं और आज यही पढ़ाई पढ़ाई मानी जाती है । इसी पढ़ाई ने हम को एक क्लर्क नेशन बना कर छोड़ दिया है, हम में न इनिशियेटिव है, न अपने पैरों पर खड़े होने की और न अपनी भाषा में बोलने की क्षमता है । आज तो हालत यहां तक पहुंच गयी है कि हम शरमिन्दा होते हैं कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, हमें इस बात में गौरव प्रतीत नहीं होता कि हम अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करें और अपनी भाषा में जिस कुशलता से और अच्छी प्रकार अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह दूसरी भाषाओं में हमारे लिये व्यक्त करना असम्भव सा है । आज यह बड़े खेद का विषय है कि हम में अपनी भाषा को सम्पन्न और प्रतिभाशाली बनाने के लिये जो उत्साह और लगन होनी चाहिये उसका अभाव है । इस समय हमारे शिक्षा मंत्री नहीं हैं, मैं आशा करता हूं कि हमारे गुहा साहब मेरे विचार उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मंत्री को हिन्दी के प्रचार में विशेष ध्यान देना चाहिये । उनको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे हमारे नवयुवक पढ़ाई लिखाई पूरी करके केवल एक सफ़ेद हाथियों की एक बड़ी भारी जमात के समान न खड़े हो जायं जिनको अच्छा भोजन तो चाहिये लेकिन जो भोजन का एक दाना भी पैदा करना अपराध समझते हैं, और मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्त्तन नहीं करते और शिक्षण में वर्त्तमान दोष मौजूद रहता है तो देश के सामने एक बड़ी भारी क्राइसिस आने वाली है, क्योंकि शिक्षितों की बेकारी की समस्या का तो हमें सामना करना ही पड़ेगा । बेकारी को हमने जान बूझ कर बहुत बढ़ाया । उसके सम्बन्ध में मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की बातें कही जाती हैं, वहां हमारी सरकार एक ट्रेडिंग कम्पनी सी बनती जा रही है । हर एक छोटा मोटा काम सरकार चलाना चाहती है । बेकारी बढ़ रही है, यह जो मामूली लारियां चलाने वाले हैं, तीस तीस चालीस चालीस और पचास पचास ये बेचारे ग़रीब आदमी एक दिन में बेकार हो गये और वह रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि बतलाइये हम कल से क्या काम करें वे बेकार हो गये क्योंकि सरकार ने उन रूट्स को ले लिया जिन पर उनकी गाड़ियां चलती थीं, उनकी लारियां बेकार खड़ी हैं और हम कहते हैं कि हम बेकारी को हल करना चाहते हैं । सरकारी काम जो भी होता है उसमें कुछ तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, कम से कम आदमी उसमें खपते हैं, इनके बरअक्स जो व्यक्तिगत उद्योग और धंधे हैं उनमें ज़्यादा आदमी खप सकते हैं । इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमको समझ बूझ कर बहुत सतर्क होकर इस काम में ध्यान देना चाहिये कि जिन कामों को वह अपने हाथ में लेना चाहती है, उनके बारे में देखें कि हम

[श्री अलगू राय शास्त्री]

उससे कितने आदमियों को बेकार बनाते हैं। सरकार हर एक उद्योग धंधे और व्यवसाय में स्वयं एक व्यापारी की तरह से आ पड़ती है। हमारे शासन को शिक्षा, रक्षा और पालन पोषण के काम के लिये अधिक सतर्क होना चाहिये।

मैं एक बात यहां पर और कहना चाहता हूं कि हमने राष्ट्र संघ में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान पाया है और यह हमारे देश के लिये बड़े गौरव की बात है कि हमारी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित उस राष्ट्र संघ की यू० एन० ओ० की प्रेसीडेंट हैं और उनके रहते मैं यह आशा करता हूं कि जैसे राष्ट्र संघ की अंग्रेज़ी और फ्रेंच, आदि भाषायें हैं, उसी प्रकार ३५ करोड़ देशवासियों की यह हिन्दी भाषा भी वहां की स्वीकृत भाषा होनी चाहिये वहां हमारे प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलना चाहिये, हमारी श्रीमती विजयलक्ष्मी को हिन्दी में बोलना चाहिये, उसका उल्था भले ही दूसरी भाषा में करा लिया जाय, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी को वहां स्थान मिले।

एक दो बातें कह कर मैं खत्म किये देता हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार से जो सहायता अपने कार्यों के लिये मिले, वह सहायता काफ़ी और पर्याप्त हो, आज सहायता का उचित भाग उसको प्राप्त नहीं होता, और अधिक सहायता उसको मिलनी चाहिये और मैं चाहता हूं कि जिस तरह के प्राजेक्ट्स और प्रदेशों में हो रहे हैं, उसी तरह कोई न कोई प्राजेक्ट वहां पर भी होने चाहियें।

जैसे हमने चितरंजन या सिंदरी फैक्टरी या दूसरे काम सरकार की तरफ से चलाये हैं, कारखाने खोले हैं, वैसे कारखाने उत्तर प्रदेश में भी खुलने चाहियें। यथा सम्भव इसके पूर्वी जिलों में जहां रेह का एक खजाना है, जहां ऊसर भूमि है, वहां पर इंडियन ऐग्री-कल्चरल रिसर्च कौंसिल की तरफ से कोई न कोई इस तरह का प्रयोग होना चाहिये, जिससे उसमें हम धान की खेती कर सकें या उसको रिक्लेम करके उसमें दूसरी खेती कर सकें। वहां हम जूट (सन) की खेती कर के उस की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस तरह का कोई न कोई काम इस क्षेत्र में भी अनिवार्य रूप से चालू करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस तरीके पर उत्तर प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिये, मैं इसके लिये अनुरोध करूंगा।

एक चीज़ कह कर मैं खत्म करता हूं। मैंने इस बजट में आय बजट की सारी चीजों को देखा। आय के साधनों में साबुन, सुपारी और शू हैं। इन तीन तिलों में से इतना तेल नहीं निकल सकता है जिससे यह नवराष्ट्र का शिशु अपने शरीर में तेल लगा सके और उससे कुछ खाने की चीज भी बना सके। यह ओस चाट कर प्यास बुझाने का काम है। इसमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह अपना पालन पोषण कर सके। अगर हमें आय बढ़ानी है तो इसके लिये हमें दूसरे साधनों की तरफ देखना होगा। मैंने साबुन, सुपारी और शू के साथ तिलों का तेल जो बताया है उस में 'स' और 'त' दोनों को मिला कर एक शाश्वत सत्य की विवेचना की है।

इतना निवेदन करके मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : वित्त मंत्री को मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में अपने आय व्ययक पर मिश्रित प्रतिक्रियाओं के लिये तत्पर रहना चाहिये। बड़ी बड़ी जिल्दों में इकट्ठी की गई तालिकाओं के जो हमें दी गई हैं, के ठीक होने या अन्यथा किसी और बात के प्रश्न पर सदन को परेशान करना नहीं

चाहता हूं। मैं देश की आर्थिक व्यवस्था को एक अनजान व्यक्ति की दृष्टि से देखूंगा और यह बताऊंगा कि खेतों में काम करने वाले का क्या विचार है। मैं २५० करोड़ रू० के घाटे के वित्त से भी, जिसके लिये उन्होंने इस आय व्ययक में साहस किया है, भयभीत नहीं हूं। इसके साथ ही साथ मैं सन्तुष्ट भी नहीं हूं। अतः मैं थोड़े से शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि देश में तथा कथित पीड़ित जन अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, इसे विश्वसनीय बनाने के लिये यथोचित ध्यान देना पड़ेगा।

औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में यथा सम्भव वृद्धि हुई है। इस सबके लिये वित्त मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे थोड़े उत्पादन की चिन्ता नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आय-व्ययक का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना को उचित रूप में लागू करना है। आगामी दो वर्षों में १३०० करोड़ रू० व्यय होना है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि यह उचित रूप में प्रयोग होगा या नहीं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से विदित हुआ है कि कुटीर उद्योगों छोटे छोटे उद्योगों, के अन्तर्गत योजनायें बन सकती हैं--मैं यह नहीं कहता कि 'बन रही हैं'—जो तनिक भी कार्यान्वित न हों। इसका परिणाम होगा कि आय व्ययक में जिस धन की व्यवस्था की गई है वह प्रयोग न होगा, या यदि प्रयोग होता भी है, तो गलत ढंग से होगा। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन बहुत सी योजनाओं की जांच करने में वह उचित ध्यान दें और यह देखें कि वे उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हैं जहां वे बनाई जाती हैं।

उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यह अच्छा है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था किस ओर मोड़ी जा रही है? यह कहते हुये मुझे बड़ा दुख होता है कि अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई है। सरकार को चाहिये वह एक बार अपनी नीति निश्चित कर ले। जब तक कि कोई नीति नहीं बनाई जाती है, तब तक उत्पादन चाहे कितना ही हो परन्तु उससे साधारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार न होगा। हमने एक बार इस सरकार को एक मंत्री को यह कहते सुना था "भारत को समृद्ध बनाने के लिये हमें दस वर्षों तक पीने दो।" श्रीमान्, यह बड़े दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में मिश्रित विचार धारा नहीं होनी चाहिये। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि देश की अर्थ-व्यवस्था पीड़ित व्यक्तियों के सुधार में लगानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि देश की अर्थ-व्यवस्था एक दृढ़, निश्चित ढंग से निश्चित होनी चाहिये। आय व्ययक में मुझे वह निश्चय दिखाई नहीं पड़ता है और मुझे उसके लिये खेद है।

मैंने वित्त मंत्री के भाषण को कई बार पढ़ा है। मैं यह महसूस करता हूं कि उन्होंने साहस कर के जो भय तथा जोखम उठाई है उनका उन्हें ध्यान है। एक दिन दूसरे सदन में उन्होंने कहा था कि बेकारी में कोई कमी नहीं हुई है। इसके बजाये हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री यह कहें कि निश्चित रूप से सुधार तथा प्रगति हुई है। मैं देखता हूं कि समाज के दो अंग कम से कम एक बात में दूसरे से सम्बद्ध हैं। एक यह है कि गांवों में भूमिहीन मजदूर, वह बेकार है। दूसरा, नगरों तथा उनके आस पास में शिक्षित व्यक्ति, वह भी बेकार हैं। दोनों विस्फोटिक वस्तुयें हैं। यदि आप प्रतीक्षा ही करते रहें तो स्थिति की विस्फोटिकता समाप्त न होगी। अतः मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह हम से यह कहने की बजाये कि देश की स्थिति बदल रही है उन्हें यह देखना चाहिये कि परिवर्तन कहां हो रहा है तथा कितना हो रहा है।

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

मैं अमरीका पाकिस्तान फौजी गठबन्धन से भयभीत नहीं हूं । हमें उस से सतर्क रहना चाहिये तथा अपने शस्त्रीकरण के लिये समझौता नहीं करना चाहिये । यदि हम साधारण जन तथा शिक्षित व्यक्तियों के जीवन में स्थायित्व लाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत को सर्वाधिकार शासन से कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है अपितु उसे जनतन्त्रवादी जीवन का विश्वास होगा ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा--दक्षिण) : चेयरमैन साहब, कुछ बातें जो मेरी जान में आयी हैं मैं सरकार के सामने उन को रखना चाहती हूं ।

आप ने आर्टिफिशियल सिल्क पर ज़कात लगाने का सोचा है उस के कारण कितनी परेशानी होगी उस के बारे में तो मैं जानती हूं कि बम्बई राज्य से आप के यहां पत्र आया है । इस से मज़दूरों को भी दिक्कत होने वाली है ।

किसानों के घरों में तम्बाकू फंसी पड़ी है । उस को देखने के लिए आप ने एक अफसर को (on the spot enquiry) आन दी स्पाट इन्क्वाइरी करने को भेजा है और मुझे उम्मीद है कि वह आप को पूरा ख्याल दे सकेगा कि इस से उन को कितनी मुसीबत होने वाली है ।

दूसरी बात मुझे यह बतानी है कि कुछ दिन हुए यहां पर एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में जो कुछ नमक के बारे में कहा गया था उस से मुझे बहुत परेशानी हुई । अगर यह ख्याल हो कि इस से गांधी इरविन पैक्ट का भंग न हो तो यह काफी नहीं है । उस के बाद तो महात्मा जी के साथ यहां के उस वक्त के जो फाइनेन्स विभाग के अफसर थे और जो नमक के बारे में देखते थे वह अंग्रेज थे, उन से बहस हुई । और मैं जनती हूं कि डिपार्टमैंट तो इस चीज़ पर राजी नहीं था लेकिन काफ़ी बहस के बाद कुछ सहूलियतें दी गयी थीं जिन के द्वारा दस एकड़ तक नमक बनाने की इजाज़त थी और उस को कहीं भी ले जा कर बेचने की आज़ादी थी । अब यह कह कर उस सहूलियत को वापस ले लेना कि इस का ट्रेडर लोग नाजायज़ फायदा उठाते हैं मेरी समझ में नहीं आता । आप को यहां बैठे बैठे इस बात का ख्याल नहीं हो सकता है कि समुद्र के किनारे पर जो देहात हैं वहां के जो लोग हैं उन को इस सहूलियत से कितनी राहत मिली है और उन के जीवन में इस से जो आमदनी होती है कितना लाभ हुआ है । शायद यह भी दलील दी जायगी कि वह नमक इतना साफ नहीं होता है । तो इस का उत्तर यह है कि सारा नमक खाने के उपयोग में ही नहीं आता है ।

नमक की तो खाद में भी जरूरत पड़ती है, नमक की चमड़ा पकाने में भी ज़रूरत पड़ती है । जिन को बढ़िया नमक खाना हो तो उन के लिये आप के कारखाने से नमक लेने की छूट है और आप चाहें तो उस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उस की क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिये । परन्तु आप का उत्पादन बढ़ गया है । इसलिये उस को रोकने के लिये, उस को मीट ओवर करने के लिये, ग़रीब आदमियों को इस तरह से मारना नहीं चाहिये । इसलिये मेरी विनती है कि अभी इस का अमल तो अगले साल होने को है, तो फिर इस बात को सोचिये । अगर आप का कहना यह हो कि आप ने सब स्टेट्स को लिखा है और उन के पास से भी यही जवाब आया हो, तो मैं आप से यह जानना चाहती हूं कि आप ने यह भी कहा है, उन को यह भी बताया है, कि महात्मा जी के साथ जो समझौता हुआ था उस के पीछे आप जा रहे हो, उस वक्त जो सहूलियतें देने को क़बूल किया था वह सब वापिस ले रहे हो ।

एक बात यह कहनी है कि हम ने सब हवाई जहाज की कम्पनियां ले लेने को तय

किया । क़रीब दस ग्यारह महीने होने को आये और सब हवाई जहाज ले लिये । सब को लिये हुए भी जहां तक मुझे ख़्याल है दस या आठ महीने हो गये हैं । जहां तक मैं जानती हूं, उस का पैसा अभी तक किसी को नहीं दिया गया है । अब इस में जिन की कम्पनियां थीं, उन को कोई दिक्कत होती है या नहीं, उस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मुझे कोई पर्वाह नहीं । पर उस में जो शेयरहोल्डर्स हैं, उन की बात को भी आप को सोचना चाहिये । पैसे लेने में तो आप बहुत होशियार हैं, तो देने में भी मेरी विनती है कि आप थोड़ी तेज़ी रखें । आज इस के लिये बाहर क्या कहा जाता है, यह भी मैं आप को बताना चाहती हूं । कहा जाता है पता नहीं कोई पैसा दिया जाने वाला है या नहीं । तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि सौ के हुए साठ, उस के किये आधे और आधे में फिर देना क्या और लेना क्या । इस में सरकार की प्रैस्टीज का बड़ा सवाल है । इसलिये मैं आप से, सरकार से, विनती करती हूं कि शेयरहोल्डर्स की बात आप सोचिये । आप को फर्स्ट इंस्टालमैंट में तेजी दिखानी चाहिये और जल्दी देना चाहिये । पीछे आप उन का हिसाब किताब आराम से करते रहिए ।

एक बात यह कहना चाहती हूं कि यहां एक भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पूरा पैसा नहीं दिया जाता, या यह कि कम दिया जाता है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि शुगर सैस कई साल से वहां लगाया जाता है और आप ने कभी पूछा है कि वह पैसा किस काम में लगाया जाता है । पहले जब लगाया गया तब कहा गया था कि गन्ने को सुधारने के लिये, शुगरकेन को इम्प्रूव करने के लिये, इस सैस का उपयोग करना है । उसमें से कितना पैसा उस में लगाया गया और कितना उस में सुधार हुआ ? अगर सुधार नहीं होता है तो सारे देश पर इस का बोझ क्यों लगाया जाता है ? सुधार नहीं हो तो देश में और जगह वहां कारखाने खोलने की रज़ा देनी चाहिये, क्योंकि कोयम्बटूर में जो गन्ना पैदा होता है उस में से ज़्यादा चीनी मिलती है । बम्बई राज्य में जो गन्ना पैदा होता है उस से ज्यादा चीनी पैदा हो सकती है । तो फिर बिहार और यू० पी० जहां की ज़मीन में से सोना निकले ऐसी उत्तम ज़मीन है, गंगा तट की ज़मीन है. वहां क्यों गन्ने में से ज़्यादा चीनी नहीं निकल सके, इस के बारे में सोचना चाहिये ।

इन्हों ने यह कहा है कि जितने चाहियें उतने पैसे काम्युनिटी प्राजैक्ट में नहीं दिये जाते हैं । तो यहां मैं आपको एक बात जो लोगों के ख़्याल में है, जो उन के दिल में है, वह बता दूं । वह जो कहते हैं वह बताती हूं । वह कहते हैं कि जो यहां के प्रधान लोग होते हैं वह अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसी की तरफ़ ध्यान देते हैं और जहां से बेचारे मामूली आदमी आते हैं उस की तरफ़ उस की वृद्धि के लिये कोई नहीं देखता है । आप ने अच्छा किया जो नये नये मर्ज्ड स्टेट्स से एक एक राज्य बनें, जैसे कि सौराष्ट्र, मध्य भारत, इन सब के हालात देखने के लिये समिति बनाई है । उस को कितनी आर्थिक मदद देनी चाहिये, यह सोचने के लिये उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है । इस के साथ साथ आप को यह भी सोचना चाहिये कि जो पुराने राज्य थे और उन में जो मर्ज्ड एरिया आये हैं, उन की क्या हालत है । उन को मदद देने के लिये, उन को आगे बढ़ाने के लिये क्या करना चाहिये, यह आप को देखना है । मैं अपने यहां के दो प्रदेश की मिसाल देना चाहती हूं और आप वहां जायें तो मैं बहुत खुश होऊंगी—क्योंकि मोटर में तो कोई जा नहीं सकता है—साबरकंठा और बनस्कंठा । वहां कोई सड़क है नहीं, जीप में जायें तो भी चार पांच मील की गति से कहीं आप चल सकेंगे और शाम को तो अच्छी तरह आप के बदन में दर्द होने लगेगा । तो ऐसी जगह जहां हैं वहां आप को कुछ पैसा खर्च करने और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिये सोचना चाहिये ।

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

कुछ बातें और मेरे ध्यान में आई हैं, वह भी आप को बताना चाहती हूं और उनको आप को सोचना चाहिये । यहां जो बसेज चलती हैं वह दो प्रकार की बसेज चलती हैं, ऐसा मैं समझती हूं । एक तो लीलैंड या ऐसे नाम की कुछ बजेस हैं । वह १७० बसेज ली गईं । उन में से ४८ तो तीस हज़ार मील चलीं और टूट गईं, उन का गीयर बक्स टूट गया और कई दिनों तक वह गराज में पड़ी रहीं । उस की क़ीमत क़रीब ३४ हज़ार रुपया है । दूसरी स्कैंडिनिवेयन बसेज हैं, उस की क़ीमत है २८ हज़ार के आस पास । फिर ३४ हज़ार की क़ीमत वाली बसेज एक लाख मील चलें तो उस के बाद उन को ओवरहाल करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जाता है और स्कैंडिनेवियन बसैज अगर दो लाख मील चलें तो उस के बाद उन को ओवरहाल करने की ज़रूरत है । फिर जो स्पेयर पार्ट्स हम को लेने पड़ते हैं, उन में ३४ हज़ार कीमत वाली बसैज में हम को २५ परसैंट ज़्यादा देना पड़ता है । अगर यह चीज़ हो तो जो कोई मोटर के धन्धे में समझता हो और जो कोई उस की मैशीनरी को समझता हो, उस तरह के इंडिपैंडैंट आदमी से आप तलाश करवाइये और जो बात हमारे देश के भले में हो, उस को आप को सोचना चाहिये । जो कम्पनी ठीक क़ीमत पर हम को दे और हम को लूटे नहीं उसी से सामान लेना चाहिये । इस के साथ अगर इस सब के लिये अगर यहां पर ही फैक्टरी बनाने की बात सोचनी हो तो वह भी आप को सोचना चाहिये ।

एक दूसरी बात जो मेरे ध्यान में आई है, उस को भी आप को सोचना चाहिये कि हम इतने रिवर वैली प्राजैक्ट्स बना रहे हैं । इन रिवर वैली प्राजैक्ट्स के लिये हम को बाहर से मैशीनरी की मदद मिलती है तो अच्छी बात है । यह मैशीनरी और उस के लिये फिर स्पेयर पार्ट्स हम को क़रीब क़रीब १५ साल के लिये लेने पड़ेंगे । लेकिन उन स्पेयर पार्ट्स में सुना है कि जिस की क़ीमत २८ डालर पड़ती है उस के लिये हमारे पास से ७२ डालर दिये जाते हैं, तो क्या यह बात सही है ? अगर ऐसा हो तो उस की क़ीमत कम कराने के लिये और ठीक दाम देने के लिये हम को कुछ न कुछ करना चाहिये । बाहर से हम को आगे बढ़ने के लिये मदद मिले, यह ठीक है । मगर उस के हिसाब किताब में हम को कोई मूर्ख बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिये, जैसे कि एक हार्लिक्स मिल्क का उदाहरण आप को मैं देती हूं । हार्लिक्स मिल्क की बोटल के अन्दर जो चीज़ है उस को बनाने के वास्ते वहां उन को कोई छः पैसे पड़ते हैं । बोतल की क़ीमत तीन आने होगी । तो इस तरह उस सब की क़ीमत छः आन बढ़ा कर रुपया ले लो । लेकिन यहां उस के साढ़े तीन रुपये लिये जाते हैं । इसी तरह से स्ट्रैप्टो-माइसीन, आरियोमाइसीन, और न जाने कितनी तरह के माइसीन तेज़ दवाएं हैं । इन के बिना भी पहले काम चलता था, लेकिन अगर काम नहीं चल सकता है और इन को लेनी हो तो ठीक दाम से लेनी चाहिये, क्योंकि यह इस तरह की ऐंटी बायोटिक्स दवाइयां हम लें और उस में हम को लूटा जाय तो यह इस तरह से काम नहीं होना चाहिये ।

अपनी टेलीफोन डाइरैक्टरी है उस में मैं ज़रा देखने लगी तो इतनी लम्बी चौड़ी आप की मिनिस्ट्री की लिस्ट है, उस में इतने ज्वाइंट सेक्रटरी, डिप्टी सेक्रटरी वग़ैरह हैं कि मैं ने सोचा कि ज़रा देखूं तो । मैं ने देखा और गिना तो मेरी हिम्मत नहीं चली । इतना ज़्यादा स्टाफ़ होने के बावजूद भी सरकार का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, इस का आप इस से अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि मई सन् १९५३ को एक आदमी को कोलम्बो प्लान में स्कालरशिप दिलाने के लिये लिखा गया लेकिन उस का निबटारा होते होते कितना वक्त लगा ?

दस फ़रवरी सन् ५४ को कहीं उस का निकाल हो पाया। इतनी तेज़ी से आप के यहां काम होता है तो उस की यह गति देख कर हम को बड़ी निराशा होती है। लोग बहुत उत्सुक हैं कि अपने देश को आगे बढ़ायें, उस में मदद भी करना चाहते हैं, परन्तु आप के डिपार्टमैंट्स में हर जगह से बाधा चलती है और रोक डाली जाती है और जिस से लोगों को बहुत निराशा होती है। अभी आज मैं ने पढ़ा कि हमारे यहां एक जगह पर वैगन्स न मिलने के कारण सीमेंट आदि नहीं आ पा रहा है और वैगन्स न मिलने के कारण कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का काम रुका पड़ा है।

सोशल वेलफेयर के बारे में कह कर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगी। जैसा कि कल हमारी एक बहिन ने कहा, सोशल वेलफेयर वर्क ठीक ढंग से होना चाहिये। पच्चीस लाख रुपया उस साल के लिये रखा गया और उस में से क़रीब पच्चीस हज़ार रुपया ख़र्च हुआ। कुल ९१९ अर्ज़ियां आई थीं, जिन में से ५४६ केसज़ में मदद देना तय किया गया और उस धनराशि में से काफ़ी लोगों को मदद दी गयी और ऐसा करते वक्त बिना सोचे समझे हुए कोई चीज़ नहीं की गयी थी। सब इन्स्टीट्यूशन्स देखे जाते हैं और जो सही हों और जिन को स्टेट्स भी सपोर्ट करती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ही मदद दी जाती है। मुझे आज जो बोलने का अवसर दिया उस के लिये मैं आप की बहुत आभारी हूं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : आयव्ययक को पढ़ने पर मैं पाता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के भाषण में कितने ही विरोधाभास हैं। पहला विरोधाभास तो यह है कि वह देखते हैं कि प्रगति हुई है जब कि सामान्य व्यक्ति का अनुभव इस के विपरीत है। वास्तविकता यह है कि बेकारी में वृद्धि हुई है, लोगों की क्रय-शक्ति में ह्रास हुआ है तथा करों में बढ़ोतरी की गयी है। इसीलिए उन्हें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि प्रगति हुई है तो इतनी सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी?

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का प्रश्न है, विभिन्न उद्योगों में क्या हो रहा है? वस्त्र उद्योग को लीजिये। हम देखते हैं कि बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, मलाबार, त्रावनकोर कोचीन आदि में मिलें बन्द हो रही हैं। यदि छोटे पैमाने के उत्पादकों को इतनी गम्भीर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो हम नहीं समझ सकते कि उत्पादन में वृद्धि कहां हुई है। कुछेक बड़ी फैक्टरियों में उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, किन्तु यह छोटे पैमाने के उत्पादकों के मूल्य पर हुई है। बेरोज़गारी की कुल संख्या बढ़ गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही, उद्योगों में लगे मज़दूरों की संख्या एक लाख कम हो गयी है। हमें नहीं मालूम कि एक ओर बेरोज़गारी में वृद्धि और दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि, ये दोनों बातें किस प्रकार साथ-साथ चल सकती हैं।

फिर वैसानिकन का खतरा है। कानपुर में हाल में ८००० मज़दूरों को छंटनी का सामना करना पड़ रहा है। जब कि कानपुर में केवल वस्त्र उद्योग में इतने मज़दूरों के साथ यह हो सकता है, तो मैं नहीं जानता कि अन्य केन्द्रों में क्या होगा। माननीय मंत्री जी को इन बातों का उत्तर देना होगा क्योंकि बेरोज़गारी दूर करने के लिए वह पंच वर्षीय योजना में १७५ करोड़ रुपये और जोड़ने जा रहे हैं।

जो मज़दूर रोज़गार में लगे भी हुए हैं उन की दशा अच्छी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने औद्योगिक मज़दूरों की दशा-सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। किन्तु सरकार उन्हें लागू करने का साहस नहीं

[श्री नम्बियार]

करती । केवल यही नहीं । जो भी सहूलियतें उन्हें मिली हुयी हैं उन्हें भी कम करने की मांग मिल-मालिकों द्वारा की जा रही है ।

गांवों में भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 'अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति' के प्रतिवेदन में कहा है कि हमारी कृषि भूमि पर पहले से ही भार बहुत है और प्रति वर्ष ३० लाख व्यक्ति खेतों पर अवलम्बित होने के लिए और बढ़ जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तथा योजना-काल में यही स्थिति रही, तो ईश्वर ही जानता है कि योजना-काल के अन्त में क्या होगा । मालूम नहीं वह बेरोज़गारी को किस प्रकार दूर करेंगे ।

विधान द्वारा किसानों को जो भी थोड़ी बहुत सुविधाएं दी गयी हैं उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । मद्रास विधान मण्डल द्वारा अभी हाल में एक भूमि सम्बन्धी विधान पास किया गया था किन्तु इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं मिली है जब कि प्रेस (आपत्तिजनक-विषय) अधिनियम जैसे दमनकारी विधान बहुत जल्दी पास कर दिये जाते हैं ।

योजना काल के गत दो वर्षों में लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गयी है । इसलिए यदि उत्पादन अधिक भी होगा तो उस को खरीदने के लिए लोग रुपया कहां से लायेंगे ?

घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता । किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ चेतावनी देना चाहता हूं । सामान्य जनता की अनभूति है कि (१) घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने के साथ माननीय मंत्री को कुछेक धनिक व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित क्रय-शक्ति को हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए (२) उत्पादन, मूल्य तथा वितरण पर उन का वित्तीय नियंत्रण होना चाहिए जो आजकल नहीं है । दूसरी ओर जो भी कन्ट्रोल है उन्हें वह उठाते जा रहे हैं (३) कर अपवंचन को रोकने के लिए प्रशासनात्मक व्यवस्था की कार्य क्षमता में सुधार करने की कोई गारंटी नहीं है । कर-अपवंचन के अनेक मामले हमें सुनने को मिलते हैं (४) हमारा आयात अधिक होना चाहिए जिस से कि हम अपने पौंड पावने का प्रयोग कर सकें । यदि इन सावधानियों का ख्याल न करते हुए घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनाई जायेगी तो निर्वाह-व्यय बढ़ जायेगा ।

अन्त में, मुझे यह कहना है कि इन बातों के अलावा, यदि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताई गयी विदेश नीति को वास्तविकता में चालू रखना चाहते हैं तो हमारी गृह नीति में मूल-भूत परिवर्तन की आवश्यकता है । यदि मज़दूरों की ओर मध्य वर्ग की ओर तथा अन्य लोगों की ओर हमारा दृष्टिकोण बदल जायेगा और उन की ओर हम अधिक ध्यान देने लगेंगे तभी देश के अन्दर वह शान्तिमय वातावरण हो सकता है जो कि बाहर शान्ति को बनाये रखने में सहायक होगा ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर जी ने इस मर्तबा हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है । लास्ट इअर उन्होंने बजट के पृष्ठ ११ पर जो रकम मंजूर किया था उस को भी कम कर दिया है । उन्होंने अब की हमारे ऊपर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया । खाली टाल मटोल कर दिया है, इस से क्या होता है ? देश में हमारी करीब करीब ६ करोड़ की आबादी है, हमारी हालत सब से खराब है, यह हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जानते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिये कोई प्रोग्राम अमल में

नहीं लाते हैं। जब हम बतलाने के लिये जाते हैं तो सुन लेते हैं लेकिन उस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। हम लोग भी देश के रहने वाले हैं, देश के सेवक हैं, लेकिन जब तक हमारी हालत जो हजारों वर्षों से गिरी हुई है, वह ठीक नहीं होती है, हमारी उन्नति, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, नहीं होती तब तक हमें बराबर इस हाउस में बोलना पड़ेगा।

मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं। हम में और गांधी जी में कुछ भी डिफरेन्स आफ ओपीनियन रहा हो, हम में कुछ भी मतभेद रहा हो, लेकिन जब वह जिन्दा थे, बराबर हम लोगों के लिये दुनिया में नारा लगाते थे। लेकिन गांधी जी के मरने के बाद अछूतों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो प्रेजुडिस्ड माइंड से, हर एक हम पर कुछ न कुछ शक करता है, और हमारे भलाई के लिये कोई कुछ नहीं करता है। आज कितनी ही पार्टियां देश में हैं, उन के कई प्रकार के प्रोग्राम हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम इंडेपेन्डेन्ट पालिसी चलाने वाले हैं, इसलिये दूसरी पार्टियों के लोग जो चुनाव में हमारी वोटों पर आये हैं, वह भी हमारे लिये कुछ नहीं बोलते। उन को बोलने की ज़रूरत भी क्या है? उन का काम खत्म हो गया, उस के बाद हमारे लिये कोशिश करने से उन से क्या मतलब? लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां के ५० परसेन्ट लोग जो हमारे वोटों पर चुन कर आये हैं वह हमारी ओर ध्यान दें। हमारे भाई खर्डेकर अछूतों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, हम लोग हजारों वर्षों से मरते आये हैं, हम दबे हुए रहे हैं, जब तक हमारी हालत अच्छी नहीं होती, तब तक किस तरह से देशमुख साहब अपने बजट में इतनी स्कीमें रख रहे हैं? उन को हमारे गिरे हुए भाइयों के लिये, उन की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिये, उन को सब प्रकार की सहूलियत देने के लिये कुछ न कुछ स्कीम रखनी चाहिये ताकि हमें यहां हाउस में बोलने के लिये ज्यादा ज़रूरत न पड़े।

आज हमारी गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी बिल ला रही है, गवर्नमेंट वजीफे दे रही है लेकिन जबतक हमारी आर्थिक हालत नहीं सुधरती और हमारे लिए कपड़े, खाने और मकान का प्रबन्ध नहीं होता तबतक कुछ नहीं हो सकता। इस के लिए कोई स्कीम नहीं है। अगर आप हमारे लिए थोड़े दिन के वास्ते एक अलग कालोनी बना दें तो उस से हमारी उन्नति हो सकती है और हम बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप ने रिफ्यूजीज़ के लिए किया है। हम तो यहां पर हजारों वर्षों से रिफ्यूजी हैं। हम को हिन्दुओं ने दबाया हुआ है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पहले आप अपना मकान तो ठीक बनाइये फिर दूसरी बात कीजिये। हमारे पंडित नेहरू और तो बहुत सी बातें करते हैं और हमारे लिये एक भी बात नहीं करते। और सब के लिये बोलेंगे, महिलाओं के लिए बोलेंगे, रिफ्यूजीज़ के लिए बोलेंगे लेकिन पिछले दो वर्षों में मैं ने उन की शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए एक बात भी नहीं सुनी। जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है आर्डर आर्डर दूसरों के लिए यह नहीं कहा जाता। हमारे मुसलमान भाई चिल्लाते हैं तो उन के एक दो, तीन, चार, पांच मिनिस्टर बना दिये जाते हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका का पैक्ट हुआ है तो कहा जाता है कि मुसलमानों को और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाओ, तुम्हारे हाथ में ताकत है। लेकिन हम लोग उन से ज्यादा गिरे हुए हैं। वह तीन करोड़ हैं, हम ६ करोड़ हैं। जब समय आवेगा तो देश की रक्षा के लिए हम से कहा जायगा। आज भी हमारी ३ पलटनें काश्मीर में हैं। देश की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं और खाने के लिए मैं और मेरा बड़ा भाई। तो हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए हमारी सहायता चाहिए

[श्री पी० एन० राजभोज]

लेकिन वह सहायता कैसे मिलेगी जब कि हमारी हालत ही ठीक नहीं होगी। आप किस दृष्टि से हमारी सहायता मांग सकेंगे। हम तो देश के दुश्मन को खत्म करने वाले हैं लेकिन आप की गवर्नमेंट की मशीनरी में उच्च वर्ण के लोग हैं जो कि मिनिस्टर हैं। आप देखिये कि हैदराबाद में आठ में से ५ मिनिस्टर ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार सब प्रान्तों में हैं। मुझे किसी जाति से द्वेष नहीं है, लेकिन यह लोग थोड़ी तादाद में होने पर भी सब उच्च पदों पर बहुमत में हैं और हमारे लोगों को सताते हैं। आप के आफिसेज़ में जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं वह हमारे कागज़ात का गोलमाल करते हैं और ठीक जवाब नहीं देते हैं। आठ महीने हुए मैं ने पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा था लेकिन उस का जवाब टाल मटोल में पड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि होम डिपार्टमेंट को कागज़ भेजा है। कभी कहते हैं कि यहां भेजा है कभी वहां भेजा है। आठ महीने हो गये जवाब नहीं मिलता। अभी हमारी मणि बेन ने कहा कि उन के पत्र का भी जवाब नहीं मिला। आप की जो मैशिनरी है वह इतनी खराब है कि वहां से जवाब तक नहीं मिलता है। वह मैशिनरी इतनी खराब है कि हमारी हालत को देख कर ठीक नतीजा नहीं निकालती।

जहां तक गवर्नमेंट सरविसेज़ का सम्बन्ध है उस में हमारा कोटा पूरा नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब वैसे देखने में तो बहुत होशियार हैं लेकिन उन को प्रेक्टिकल नालिज नहीं है। इसलिए मुझे दुःख है।

एक महिलाओं के लिए केन्द्र खोला गया है। वह तो ठीक है लेकिन वह काम तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। उस से गरीबों की बस्ती के लिए कोई लाभ नहीं है। आप ने अन्नपूर्णा निकाल दिया। इस से हम को क्या लाभ है। हमारा कौन है। अगर हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि हम जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में आप की गवर्नमेंट में जातिवाद है। हम तो चाहते हैं कि जाति-पांति बिल्कुल मिट जाय और हम लोग भाई भाई बन कर काम करें। हम चाहते हैं कि हम देश के दुश्मनों को खत्म करें। अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट बन जायेंगे तो क्या हालत होगी। पेप्सू के इलेक्शन में हम ने किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया और हम इंडिपेंडेंट रहे। हमारी आबादी वहां पर एक चौथाई है लेकिन हम गिर गये क्योंकि वहां पर जाइंट इलेक्टोरेट है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस गोलमाल कर के आ गयी है। लेकिन देखना है कि तीन बरस के बाद हम लोगों की क्या हालत होती है। हम नहीं चाहते कि रिजरवेशन बना रहे। हम लोग कहते हैं कि हमें मकान दो, ज़मीन दो जिससे हमारी आर्थिक हालत सुधरे। हमारे देशमुख साहब तो अर्थ-शास्त्र के ज्ञाता हैं। वह हमारे लिए कुछ करें। मेरे पास फिगर्स हैं जो कि मैं पेश करना चाहता हूं। हमारे देश की ज़मीन की स्थिति इस प्रकार है :

कुल भौगोलिक क्षेत्र	८१.१ कोटि एकड़
किसानी किया हुआ कुल क्षेत्र	५७.७ कोटि एकड़
जंगल विभाग का क्षेत्र	८.४ कोटि एकड़
निरुपयोगी पड़ा हुआ उपजाऊ क्षेत्र	९.३ कोटि एकड़
निरुपयोगी पड़ा हुआ अनुपजाऊ क्षेत्र	९.३ कोटि एकड़
जोतकर छोड़ा हुआ क्षेत्र	६.२ कोटि एकड़
किसानी के काम में आया हुआ कुल शुद्ध क्षत्र	२४.४ कोटि एकड़

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश होते हुए भी यहां भूमि हीन मज़दूर बड़ी संख्या में हैं। इन मज़दूरों की उपजीविका अत्यन्त दरिद्रता में व्यतीत होती है और बड़े किसान इन का शोषण

करते हैं। इन मज़दूरों में अछूत और अन्य पिछड़े हुए जाति के मज़दूरों की संख्या बहुत बड़ी है। कोई कारण नहीं कि यह भूमिहीन मज़दूरवर्ग अपने और अपने देश के दारिद्रय का कारण या प्रतीक बने रह कर अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिये जायं। मैं हाउस को अपील करना चाहता हूं कि जो ज़मीन उपलब्ध है उसमें कम से कम हमारी एक कालोनी बना दीजिये। जब हमारी आर्थिक हालत ठीक हो जायगी तो सब बात ठीक हो जायगी। हमारे लिए मन्दिर खोल दिये जाते हैं, हमारे लिये होटल खोल दिये जाते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हम मन्दिर में क्या चढ़ायें और होटल से क्या खरीदें। यह ठीक है कि एक समय हम इन चीज़ों के लिए लड़े थे। लेकिन इतने से ही हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। आप अनटचेबिलिटी बिल ला रहे हैं। यह ठीक है लेकिन अगर हमारी आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी तो यह डिमाक्रेसी फेल हो जायगी। मैं तो सोचता हूं यहां सिविल वार हो जाय। आप कहते हैं कि यह आज़ादी अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां जूते पर टैक्स है, साबुन पर टैक्स है। यह सब ठीक नहीं है। मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि वह नमक पर टैक्स क्यों नहीं लगाते। दारुबन्दी कर के क्यों आप अपनी आमदनी खो रहे हैं। आप की दारूबन्दी की नीति के कारण बम्बई में घर घर शराब बनने लगी है। इस से आप का बहुत नुकसान हो रहा है। आप बीमा का राष्ट्रीयकरण करें और यह जो राजा, सामन्त भाई हैदराबाद में और दूसरी जगह पर हैं इन पर टैक्स लगायें। लेकिन आप समझते हैं कि इन लोगों ने तो हमारी मदद की है इसलिए आप इनको नाराज नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूं कि राशनिंग आफ हाउसेज़, राशनिंग आफ पापर्टी और राशनिंग आफ लैंड इन तीन के करने से हमारे हाथ में पैसा ही पैसा आ जायगा और दूसरे टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस से सब कुछ ठीक हो जायगा। लेकिन करते हैं भूमिदान। क्या इस से कोई काम होने वाला है। यह जो ज़मीन इकट्ठी की गयी है यह दी नहीं जा रही है। यह तो इलेक्शन के वक्त दी जायगी। इस तरह कुछ न कुछ षडयंत्र किया जायगा। तो मैं हाउस में यह अपील करना चाहता हूं कि हम हज़ारों वर्षों से दबे हुए हैं, हज़ारों वर्षों से हमारी हालत खराब है। मैं ने सजेशन्स दिये हैं। मेरे पास फिगर्स भी हैं जो कि मैं आप को देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि कोई कारण नहीं कि नमक कर को क्यों न फिर जारी किया जाय। केवल भावनाओं से प्रभावित हो कर नमक कर उठा दिया गया था। इस से नमक सस्ता नहीं हो पाया उल्टे नमक बहुत महंगा हो गया। इस से एक बात मात्र हुई और वो यह कि इस से सरकार ने ११ कोटि की आय को खो दिया जिस के कारण देश के विकास कार्य में बड़ी न्यूनता आ गयी। यदि नमक पर ३० कोटि आय प्राप्ति तक कर लगाया गया होता तो भी जनता पर उस का कोई बोझ नहीं पड़ता। दारू बंदी से बंबई और मद्रास में बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग सामन्त हैं, राजा हैं, जागीरदार हैं उन से टैक्स लीजिये। हमारे भाई श्री दास ने कहा था कि इस देश में जो ९९ पर सेंट गरीब हैं, उन के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले भी यही कहते हैं। अवश्य मिडिल क्लास वालों को भी तकलीफ़ है लेकिन उससे हमारा मुकाबला नहीं है। हमारी बहिन श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन ने कहा कि मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। उन के लिये कुछ न कुछ किया जाय यह ठीक है। लेकिन फिर भी उन की हालत कुछ न कुछ ठीक है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के और शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उन की हालत कितनी खराब है। आप उन के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनावें, उन को ठीक से नौकरी दी जाय और हमें उम्मीद है कि अगर हमारे देशमुख साहब चाहें तो उनकी उन्नति के

[श्री पी० एन० राजभोज]

लिए बजट में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उन की सराउंडिंग ऐसी खराब है, हमारी मैशीनरी इतनी खराब है, कि उन के दिल में बहुत प्रेम नहीं होता । वह मैशीनरी बताती है और यह उसी तरह काम करते हैं । तो मैं हाउस से अपील करना चाहता हूं कि हमारे हजारों वर्षों के जो गिरे हुए लोग हैं, उन की आर्थिक, सामाजिक स्थिति बदलने के लिये कोशिश करना चाहिये । उन की सैपरेट मिनिस्ट्री बनाने से सब प्रकार की स्कीम, योजना, बना कर, पांच दस वर्ष में ही उन की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सब तरह की उन्नति करने की आप कोशिश कर सकेंगे । ऐसी मुझे उम्मीद है और इसीलिये मैं ने अपील की है ।

मैं ने पंडित जी का उल्लेख किया है और कहा है कि हमारी फारेन पालिसी ठीक नहीं होगी जब तक कि हमारे लोगों का उद्धार नहीं होगा । कोरिया, साउथ अफ्रीका की बात करने से क्या फायदा जब कि हमारे यहां गांव गांव में कोरिया और साउथ अफ्रीका है । यह पहले अपने घर की बात देखो, फिर दुनिया की बात करो । जब मकान ठीक होगा तो दुनिया के लिये चाहे जितनी मदद हम पंडित जी की करने के लिये तैयार हैं । यह कह कर मैं हाउस से प्रार्थना कर के यह कहता हूं कि मैं ने जो कुछ बताया है उस को अमल में लाने के लिये कोआपरेशन होना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी (मैसूर) : भारत में इस समय ३६ करोड़ लोग रह रहे हैं और यहां की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है । हमारा देश कृषि-प्रधान देश है और यहां फसलें अब भी प्राकृतिक कारणों पर ही पूरी तरह निर्भर रहती हैं । १९५३ के वर्ष में भारत में ३४० लाख टन चावल का उत्पादन हुआ जो हमारी वार्षिक आवश्यकताओं से अधिक है; परन्तु फिर भी देश में भुखमरी फैली हुई है । हमारी वास्तविक कठिनाई यह नहीं है कि देश में अनाज की कमी है, बल्कि यह है कि आम लोगों के पास उसे खरीदने के लिये पैसा नहीं है । यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार-भाव के मुकाबले में हमारे यहां अनाज के दाम कम हैं, परन्तु हमारे लोग इन कम दामों पर भी अनाज खरीदने में असमर्थ हैं । इस का इलाज यही है कि या तो सरकार लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाये या फिर वह ऐसी नीति अपनाये जिस से सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं के दाम कम हो जायें । सरकार के पास साधारण जनता की क्रय-शक्ति बढ़ाने के बारे में कोई योजना नहीं है और इस पंच वर्षीय योजना में भी इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि इस के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं । इस विषय में, मैं बरमा से किये जाने वाले चावल के सौदे का ज़िक्र करूंगा । मुझे खेद है कि वित्त मंत्री जी ने अपने आय-व्ययक के भाषण में इस की कोई चर्चा नहीं की । हम ने इस बारे में बहुत ख़बरें और शिकायतें सुनी हैं । मैं ने जो कुछ सुना है वह मैं आप के सामने रखता हूं । कहा जाता है कि बिड़ला के यूनाइटेड कमर्शल बैंक की रंगून शाखा ने रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना ही बरमा की १९५३ की चावल की फ़सल पर एक खास दर से बरमा को रुपया उधार दिया था; परन्तु यह रुपया उसे वापस नहीं मिल सका । वास्तव में, रुपया बहुत ऊंची दर पर दिया गया था । इस के बाद, स्टॉक इकट्ठा होता गया और कोई बिक्री नहीं हुई जिस से दाम गिरते गये । इसलिये इन व्यापारियों ने घबरा कर यहां मंत्रालय में और बाहर अपना प्रभाव डाला और एक मन गढ़ंत कहानी बनाई । उन्हों ने कहा कि बरमा बड़ी मुसीबत में है और वहां चावल का बहुत बड़ा स्टॉक जमा हो गया है । यदि यह स्टॉक नहीं उठाया गया और हम ने बरमा

की सहायता नहीं की तो बरमा न केवल हमारे खिलाफ़ ही हो जायेगा वरन् आर्थिक दृष्टि से उस का विनाश भी हो जायेगा । उन्हों ने एक और चाल चली । उन्हों ने कहा कि अगर भारत यह चावल नहीं खरीदेगा तो बरमा भी पाकिस्तान की तरह अमरीका से एक सैनिक समझौता कर लेगा । पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ये बातें पहुंचाई गईं । इस सौदे में हमें चालबाजी की झलक दिखाई देती है । श्री किदवई ने इस वर्ष ३१ जनवरी को वल्लभ नगर में कहा था कि हमारी खाद्य स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे पास काफ़ी अनाज मौजूद है । परन्तु अब बरमा से ६००,००० टन चावल ४८ पौंड प्रतिटन के हिसाब से खरीदने की क्या आवश्यकता है ? क्या ऐसा किसी राजनैतिक कारण से किया जा रहा है या कोई और बात है । मैं जानना चाहता हूं कि इस के वास्तविक कारण क्या हैं और सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन क्यों किया है ? जनवरी १९५४ में खाद्य मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां बहुत स्टॉक है और अब दो महीने बाद वह बाहर से चावल खरीद रहे हैं । फिर, हम इतनी ज़्यादा क़ीमत १९५३ के चावल के लिये दे रहे हैं, जो सड़ चुका है और जो चार महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता । मैं समझता हूं कि यह सौदा बरमा को सहायता देने के लिये नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग पतियों को, जिन्हों ने बरमा को बहुत सा रुपया उधार दिया था, सहायता देने के लिये किया गया है । इस के अलावा, इस बैंक ने, रिज़र्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति के बिना, रुपया उधार देकर, नियमों का उल्लंघन किया है । यह सौदा बहुत अनुचित रूप से हुआ है । सदन द्वारा इस की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये थी ।

जहां तक आय व्ययक का सम्बन्ध है, इसे प्रस्तुत करना एक नित्य-क्रम सा हो गया है, और इस में हमें कभी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता । जब कभी कोई परिवर्त्तन होता भी है तो वह उल्टी दिशा में ही होता है । माननीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सब तरफ़ सुधार हुआ है और जीवन-निर्वाह व्यय भी कम होता जा रहा है । यह सब तो ठीक है, परन्तु आप यह बताइये कि साधारण जनता का क्या हो रहा है ? साधारण व्यक्ति अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में असमर्थ है; उस के साथ न्याय नहीं हो रहा है । यह नहीं हो सकता कि कुछ लोग तो सुख और चैन से जीवन व्यतीत करें और कुछ सड़कों पर भूखे मरें । इस प्रकार के समाज को प्रजातंत्रात्मक समाज नहीं कहा जा सकता । प्रजा तंत्रात्मक समाज तब ही कहलाया जायेगा जब वह आर्थिकसमानता और सामाजिक न्याय पर आधारित होगा । परन्तु आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है । यह आयव्ययक जनता का आयव्ययक नहीं और न ही इस से वास्तविक स्थिति का पता चलता है । यह आयव्ययक कुछ ही लोगों के फ़ायदे के लिये है । मैं चाहता हूं कि हम एक वास्तविक और प्रगतिशील आय-व्ययक नीति का अनुसरण करें । हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये जिस से कि एक ऐसी राष्ट्रीय आय-व्ययक नीति बनाई जा सके जिसे सदन के समस्त सदस्यों का एकमत से समर्थन प्राप्त हो ।

अन्त में, मैं एक यह सुझाव दूंगा कि संसद् की एक समिति बनाई जाये जो प्रगतिशील और प्रजातंत्रात्मक आयव्ययक तैयार करने में सरकार की मदद करे । यह आयव्ययक हमारी वास्तविक आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है । हमारे देश को इस प्रकार के आय-व्ययकों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं वित्त विशेषज्ञ नहीं हूं और इसलिये जो कुछ कहूंगा वह एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहूंगा । वित्त मंत्री ने नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था की है । साधारणतः यह बात सभी को मालूम है कि आप का खर्च आप की

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

आमदनी के अनुसार होना चाहिये । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि जब आप के पास रुपया नहीं है तो आप उस से अधिक खर्च क्यों करना चाहते हैं ? मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने के पक्ष में नहीं हूं ।

७ म० प०

मुझे आश्चर्य होता है कि जूतों पर भी वित्त मंत्री ने कर लगाया है । इस से साधारण व्यक्ति पर बोझ बहुत अधिक बढ़ जायेगा । अतएव मैं चाहता हूं कि इस कर को सोच समझ कर लगाया जाये । यह कहीं अच्छा होगा यदि माननीय वित्त मंत्री करारोपण सम्बन्धी सुझाव रखते समय 'फैक्टरी' शब्द की परिभाषा पर भी ध्यान दे दें । जूता बनाने का काम अधिकतर कम आय वाले लोग ही करते हैं । अत: मेरा निवेदन है कि उन्हें इस कर से मुक्त रखा जाये ।

यदि आप बजट कागजात को पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों को न केवल मोटी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं बल्कि उन्हें उस से अधिक भत्ते दिये जाते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि वे वहां पर बहुत ही शान से रहते हैं । मैं पूछता हूं कि क्या हमारा जैसा ग़रीब देश इस प्रकार धन का अपव्यय सहन कर सकता है ? मेरे विचार में हमारे दूतावासों का खर्च बहुत कम कर दिया जाना चाहिये ।

मैं ने पंच वर्षीय योजना को अनेक बार ध्यान पूर्वक पढ़ा है परन्तु मुझे उस में कोई विशेषता दिखलाई नहीं पड़ी । देखा जाये तो हम ने १९१७ के बाद से कोई उन्नति नहीं की है । उस समय अजमेर के रेलवे कारखाने में ४५ इंजन बना करते थे, जो कि 'टेल्कों' अभी तक नहीं बना पाया है । जब कि १९१७ में ४५ इंजन बना करते थे तो वहीं पर १९५३ में केवल एक इंजन बना है । इस प्रकार अदक्षता बढ़ती ही जा रही है ।

आप सेना के ऊपर लगभग २०६ करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं फिर भी, उस में उतने सैनिक नहीं हैं जितने होने चाहियें । यदि आप इस प्रकार खर्च करते गये तो रुपया कहां से आयेगा ? अत: मेरा निवेदन है कि हमें अपनी सेना उतने ही रुपयों के अन्दर संगठित करनी चाहिये जितने कि हमें मिल सकते हैं । हमें अंग्रेजों की नक़ल करने से कोई लाभ न होगा । हमें ऐसी सेना रखनी चाहिये जो हमारे देश की पूर्णरूप से रक्षा कर सके । बहुत बड़ी सेना रखने से कोई लाभ नहीं है ।

जनसंघ का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार को आश्वासन देता हूं कि यदि देश पर कोई संकट आया तो हम उस के साथ होंगे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : (हजारीबाग पूर्व) : इस प्रकार का बजट बनाने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । परिस्थितियों को देखते हुए उन का बजट बहुत ही अच्छा है । मैं इस बजट की ओर इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि यह हमारा अपना बजट है हमारे अपने देश के लिये हमारी अपनी सरकार द्वारा बनाया गया है । इस को तैयार करने में सरकार ने उन किसानों का भी ध्यान रखा है जो भारत के ६ लाख गांवों में बसते हैं । उन के लिये विकास योजनाएं तैयार की गई हैं जिन से उन के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सके । सम्पदा शुल्क अधिनियम बना कर सरकार ने यह बता दिया है कि वह न केवल नीचे से सुधार कर रही है बल्कि ऊपर से भी उसे इस बात का ध्यान है कि कहीं धनी व्यक्ति और अधिक धनवान न बनते चले जायें, इसीलिये यह कानून बनाया गया है ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था करते समय मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित चार बातों का ध्यान रखा है :

(१) बहुत अधिक आय पर रोक लगाना ।

(२) उत्पादन बढ़ाना और मूल्यों को काबू में रखना ।

(३) व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखना और अपव्यय न होने देना ।

(४) इस के प्रति जनता को जागरूक बनाना ।

इन सब बातों में से में आप का ध्यान विशेषकर तीसरी बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, अर्थात व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखना और अपव्यय न होने देना । विकास कार्यक्रम के पूरे किये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जनता का पूरा सहयोग मांगा है । परन्तु मुझे खेद है कि उन्हों ने ऐसा करते समय अधिकारियों के कारनामों पर ध्यान नहीं दिया । मेरे विचार में अधिकारियों की कार्य-कुशलता दिन पर दिन घटती जा रही है । जब तक वे अपने आप में सुधार नहीं करते तब तक वे जनता का सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकते हैं ।

जहां तक अपव्यय किये जाने का सम्बन्ध है मैं पूछना चाहता हूं कि नौकरी दफ्तरों, सम्भरण तथा उत्सर्जन, निदेशालय और भारतीय खान विभाग पर इतना रुपया क्यों व्यय किया जाता है ? भारतीय खान विभाग को ही ले लीजिये । मैं छोटा नागपुर से आता हूं और वहां पर अनेक खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं किन्तु भारतीय खान विभाग ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है । यही हाल भारतीय भूतत्वीय परिमाप विभाग का है । देखा जाये तो बहुत से अधिकारी इन दोनों विभागों में ऐसा काम करते हैं जिसे अतिछादी कहा जा सकता है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें ।

कहा जाता है कि बजट में सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है । मेरे विचार में वित्त मंत्री ने अपने वर्तमान बजट में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया है । अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का उन्हों ने ध्यान रखा है और इसीलिये उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि आर्थिक स्थिति में गहरा परिवर्तन होता है तो सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी । इस से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार संकट-कालीन स्थिति के लिये तैयार है । जब कि अमेरिका शान्ति, शान्ति चिल्लाता हुआ युद्ध की ओर बढ़ रहा तब संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जो वास्तव में वही कर रहा है जो वह कहता है । वास्तव में भारत की नीति यह है कि दोनों गुटों में से किसी में शामिल न हुआ जाये और यही सब से उत्तम नीति है ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, इस समय में माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं । पांच वर्ष पहले इस देश में क्या हालत थी और आज इस देश की क्या हालत है, इस के लिये हम गांव में जाते हैं और देहात की ओर जो कोई यात्रा करते हैं तो उन को मालूम होगा कि आज देहात के लोग सुखी हैं, आज चीजों की क़ीमत घट गई है । जो चीजें पहले पैसे देने पर भी हम को नहीं मिलती थीं, वे चीजें आज हमें गांव गांव में मिलती हैं । इन बातों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता । हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आमदनी है उस का आधा हिस्सा हमारी सुरक्षा में खर्च होता है । इस सुरक्षा के ऊपर खर्च इतना होने में हमारे देशी करण नहीं हैं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीयकरण हैं । उसी अन्तर्राष्ट्रीय करण की वजह से हम अपने देश के उन्नतिशील कार्यों

[श्री जांगड़े]

में अधिक खर्च नहीं कर सकते। इसीलिये हमारे काम्युनिस्ट भाई चिल्लाते हैं, हमारे प्रजा सोशियलिस्ट भाई चिल्लाते हैं, हमारे जन संघी भाई चिल्लाते हैं। कम्युनिस्टों की आदत बन चुकी है, क्या आदत बन चुकी है कि जितना अच्छा बजट हम बनायें, जितनी उन्नति हम करें, उतने ही कड़े शब्दों का वे प्रयोग करते हैं और जितना ही निकम्मा बजट हम बनायेंगे उतना ही वे हसेंगे और मखौल उड़ावेंगे। इसलिये उन की आदत की परवाह न करते हुए जो हमारे देश के लिये रचनात्मक कार्य हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले कार्य हैं, उन को हमें करना है।

हमारे माननीय मंत्री महोदय को मैं सन १९५० से बजट पेश करते हुए देख रहा हूं। उस में एक खास बात की कमी मुझे दीख रही थी। इस साल इस बात की खुशी है कि गृह-उद्योगों में और छोटे पैमाने के उद्योगों में अब हमारे वित्त मंत्री चार पांच करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। वह खर्च तो जरूर कर रहे हैं। पर इस बात का मतलब यही होता है कि हाथी और पूंछ। बड़े उद्योगों में हम कितने करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और छोटे उद्योगों पर हम कितने करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, इस की माननीय मंत्री महोदय को तुलना करनी चाहिये। आज हमें दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, पूना आदि की ओर नहीं देखना है। हमें जर्जर देहात की ओर देखना है। हमें पसीना बहा कर काम करते हुए किसानों की ओर देखना है। आज इस देश में हाउसिंग प्राबलैम है, घर की समस्या है। घर की समस्या कहां है? आज दिल्ली की बड़ी बड़ी चमकती हुई सड़कों की ओर हम जायें तो महलों को हम देखेंगे। बड़े बड़े महल आप की नजर में आयेंगे। परन्तु उन महलों के पीछे जो स्लम्स हैं, उन की हालत को आप देखेंगे तब आप को मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में हम को दिल्ली जैसे शहर नहीं चाहियें। हम को एक लाख, दो लाख या तीन लाख की पापुलेशन तक के शहर चाहियें, उस से ज्यादा के नहीं। इन शहरों की जन संख्या को आज आप देखेंगे तो पता लगेगा कि सन् १९४१ से सन् १९५२ में उन की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप डैवलैप्मेंट प्लान में देखिये। मैं ने एक्सप्लैनेटरी मैमोरैंडम को देखा तो जितनी ज्यादा विकास योजनाएं दिखाई जा रही हैं, वह बंगलौर, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, इत्यादि स्थानों के लिये दिखाई जा रही है। आज आप जानते हैं कि बिजली का और हरएक वैज्ञानिक वस्तु का अनुसन्धान इतना ज्यादा हो चुका है और उस का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम मामूली स्थानों में, देहातों में भी उद्योगों को स्थापित कर दें तो सरकार को भी कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर हम बम्बई या बंगलौर के बजाय भूसावल, मनमाड या कटनी में या किसी भी मामूली जगह में कोई उद्योग स्थापित कर दें तो किसी भी भाई को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हम यह देखते हैं कि हम देहात में सड़क बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, नहर का इन्तजाम करते हैं, छोटी सिंचाई का इन्तजाम करते हैं, यह सब ठीक है।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ज्यादा समय लेंगे।

अब सभा कल दोपहर के दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, १८ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।